खण्ड–510, अंक–02
मंगलवार, 26 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1941
(17 दिसम्बर, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, चतुर्थ सत्र, 2019)

(खण्ड 510 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

111 L.A. 17-12-2019 (1-230)

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	. .	1-8
नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होने के सम्बन्ध में निमय-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (जारी)	...	9
राष्ट्रीय गीत	...	9
नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (जारी)		9-11
प्रश्नोत्तर	...	11-115
नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	...	115
वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण	...	116
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	...	116
सदन को शान्तिपूर्ण तरीके से चलाये जाने हेतु लोक सभा द्वारा कमेटी के गठन की जानकारी	...	116
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	...	117-133
मा0 सदस्य (श्री नन्द किशोर गुर्जर) के व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग (जारी)	...	133-136
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	136-137
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत शेरपुर से पप्सरा खादर तक अवशेष तटबन्ध पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	137-138
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत कतिपय नगर पंचायतों से दिल्ली के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	138
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में कतिपय स्थानों पर सड़कों, नालियों व पार्कों का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	138-139
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर अन्तर्गत बीसलपुर शाखा नहर एवं निगोही शाखा नहर व उससे सम्बन्धित रजवाहों पर क्षतिग्रस्त पुलियों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	139

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत सलोनी नदी पर अस्थायी स्टील पाईल सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	139-140
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग से मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग तक सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	140
जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	140
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत ग्राम बेलरांवा से चन्द्रिका देवी मन्दिर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	140-141
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	141
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी अन्तर्गत हुसैनपुर सुधाना ड्रेन की सफाईकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	141-142
जनपद खीरी के अन्तर्गत शारदा नहर में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	142
जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा के ग्राम सरसई डेरा से मोहर देवी होते हुये परासन तक मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	143
इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में महिला सुरक्षा गार्डों एवं महिला वार्डेन की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	143
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत सुल्तानपुर शाखा नहर व फैजाबाद शाखा नहर से निकलने वाली माइनरों, रजबहों की सिल्ट की सफाई एवं टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	144
जनपद गोरखपुर में सीवर लाइन डालने से पचास हजार नागरिकों का जीवन नारकीय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	144-145

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगंज स्थित शीतग्रह वाटिका का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	145
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय (डार्क जोन) ब्लाकों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	145-146
जनपद फिरोजाबाद में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	146-147
जनपद सहारनपुर के ढमोला नदी के किनारे पिचिंग के कार्य की परियोजना का वित्त पोषण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	147-148
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में बस स्टैण्ड पर यात्रियों को हो रही असुविधाओं के निदान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	148
चिकित्सालय प्रबन्धन, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या-02, वर्ष 2019 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	148
वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2, 2017-2018 तथा विनियोग लेखे 2017-2018 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	149
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या-3 वर्ष 2019 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	149
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	149
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	149
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	149-150
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	150
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	150
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	150

विषय		पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	…	150
उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	…	151
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	…	151
उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	…	151
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	…	151
सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	…	151-152
उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	…	152
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	…	152
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	…	152
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	…	152
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	…	153
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	…	153
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	…	153
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	…	153
उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	…	154

विषय		पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	...	154
उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	...	154
मा0 सदस्य (श्री नन्द किशोर गुर्जर) के व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग (जारी)		154-157
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	157
मा0 सदस्य (श्री नन्द किशोर गुर्जर) के व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग (जारी)	...	157-158
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	158
मा0 सदस्य (श्री नन्द किशोर गुर्जर) के व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग (जारी)	...	158-160
श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	160
श्रीमती लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	160-161
श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	...	161
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	...	162
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	162-171
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	...	171
जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना विषयक श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (व्यपगत)	...	172
वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन बहाल किये जाने सम्बन्धी श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	...	172-175

विषय		पृष्ठ-संख्या
मा0 सदस्य (श्री नन्द किशोर गुर्जर) के व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग	...	175-176
जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के कतिपय घाटों पर पुलों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	...	176
जनपद सुल्तानुपर का नाम बदल कर कुश भवनपुर किये जाने विषयक श्री देवमणि द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	...	176
प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों से जन स्वास्थ्य के नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती हेतु कार्य योजना बनाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	...	176
जनपद झांसी के कतिपय ग्रामों में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	...	176
जनपद झांसी के पारीक्षा बांध से कतिपय रजवहों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने विषयक श्री जवाहर राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	...	176
प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने एवं अन्य लाभ दिये जाने विषयक श्री अजय कुमार ''लल्लू'', सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	...	177
प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन बढ़ा कर शिक्षकों के समान किये जाने विषयक श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	...	177
प्रदेश के चौकीदारों को विनियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने एवं अन्य लाभ देने विषयक श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	...	177
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	177-179
नत्थियां	...	180-200

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सत्रहवीं विधान सभा
मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-357

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
4. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
9. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
16. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
28. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
30. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
32. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
33. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
34. असलम अली, श्री — हापुड़
35. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
37. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
38. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
40. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
43. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
44. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
45. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद

46. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
47. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
48. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
49. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
50. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
51. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
52. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
53. ओमकुमार, श्री बिजनौर
54. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
55. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
56. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
57. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
58. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
59. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
60. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
61. काली प्रसाद, श्री देवरिया
62. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
63. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
64. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
65. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. केसर सिंह, श्री बरेली
68. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
69. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
70. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
71. गंगा, श्री कुशीनगर
72. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
73. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
74. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
75. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
76. गौरी शंकर, श्री जालौन
77. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
78. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
79. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
80. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
81. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
82. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
83. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
84. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
85. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
86. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
87. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
88. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
89. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
90. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
91. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
92. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
93. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
94. तजीन फातमा, डा0 रामपुर
95. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
96. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
97. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
98. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
99. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
100. दल बहादुर, श्री रायबरेली
101. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
102. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
103. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
104. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
105. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
106. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़

107. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
108. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
109. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
110. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
111. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
112. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
113. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
114. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
115. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
116. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
117. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
118. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
119. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
120. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
121. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
122. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
123. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
124. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
125. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
126. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
127. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
128. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
129. नाहिद हसन, श्री शामली
130. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
131. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
132. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
133. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
134. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
135. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
136. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
137. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
138. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
139. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
140. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
141. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
142. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
143. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
144. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
145. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
146. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
147. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
148. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
149. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
150. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
151. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
152. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
153. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
154. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
155. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
156. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
157. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
158. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
159. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
160. बावन सिंह, श्री गोण्डा
161. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
162. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
163. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
164. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
165. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव

166. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
167. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
168. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
169. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
170. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
171. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
172. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
173. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
174. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
175. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
176. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
177. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
178. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
179. महबूब अली, श्री अमरोहा
180. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
181. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
182. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
183. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
184. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
185. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
186. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
187. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
188. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
189. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
190. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
191. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
192. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
193. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
194. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
195. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
196. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
197. योगेश धामा, श्री बागपत
198. योगेश वर्मा, श्री खीरी
199. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
200. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
201. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
202. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
203. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
204. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
205. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
206. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
207. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
208. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
209. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
210. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
211. रवि शर्मा, श्री झांसी
212. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
213. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
214. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
215. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
216. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
217. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
218. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
219. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
220. राज करन कबीर, श्री बांदा
221. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
222. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
223. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
224. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
225. राजबाला, श्रीमती रामपुर
226. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद

227. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
228. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
229. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
230. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
231. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
232. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
233. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
234. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
235. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
236. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
237. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
238. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
239. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
240. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
241. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
242. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
243. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
244. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
245. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
246. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
247. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
248. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
249. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
250. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
251. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
252. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
253. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
254. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
255. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
256. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
257. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
258. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
259. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
260. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
261. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
262. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
263. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
264. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
265. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
266. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
267. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
268. वीरेन्द्र, श्री एटा
269. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
270. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
271. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
272. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
273. शशांक वर्मा, श्री खीरी
274. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
275. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
276. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
277. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
278. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
279. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
280. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
281. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
282. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
283. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर

284. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
285. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
286. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
287. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
288. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
289. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
290. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
291. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
292. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
293. संजय, श्री बुलन्दशहर
294. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
295. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
296. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
297. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
298. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
299. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
300. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
301. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
302. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
303. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
304. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
305. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
306. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
307. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
308. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
309. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
310. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
311. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
312. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
313. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
314. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
315. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
316. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
317. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
318. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
319. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
320. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
321. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
322. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
323. सुभाष राय, श्री अम्बेडकर नगर
324. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
325. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
326. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
327. सुरेश कुमार, श्री शामली
328. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
329. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
330. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
331. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
332. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
333. सुरेश राही, श्री सीतापुर
334. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
335. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
336. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
337. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
338. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
339. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
340. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
341. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
342. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
343. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
344. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
345. सौरभ सिंह, श्री खीरी
346. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ

347. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	352. हरीराम, श्री	सोनभद्र
348. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर	353. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
349. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	354. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
		355. हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
350. हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद	356. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
351. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस	357. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी), परिवहन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित रहे।

[11:05] नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश जल रहा है। हमने नियम-311 में सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

आप वन्दे मातरम् होने दीजिये। ऐसी उतावली ठीक नहीं होती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है।

।। राष्ट्रीय गीत।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम लोग वन्दे मातरम् के लिये खड़े होंगे।

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने नियम-311 में आपको नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल हो जाने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, ऐसे समय में आपको नोटिस दिया है कि नियम-311 में आपको आज जरूर अनुमति देना चाहिये। इसलिये देना चाहिये कि नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होने के बाद से प्रदेश में आग लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

हमारा कहना यह है कि प्रश्नकाल तो हो जाने दीजिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर-शराबा उत्पन्न हो गया।)

(समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विपक्ष के कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नागरिकता संशोधन कानून वापस लो, वापस लो।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मा0 नेता प्रतिपक्ष यह तो आपके भाषण में बाधा डाल रहे हैं। यह सदन का अपमान दिखाई पड़ता है कि आप लोग प्ले कार्ड लेकर आये हैं, यह सदन का अपमान है। वेल से कही गई बात कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण [xxx] सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, पूरे देश में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक उदाहरण गया है। आज पब्लिक परसेप्शन क्या है ? पूरे प्रदेश की जनता शान्ति चाहती है, विकास चाहती है। स0पा0, ब0स0पा0 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, आप प्ले कार्ड मा0 सदस्यों से बाहर कराइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इनको जनता ने मुख्य चुनाव में, लोक सभा के चुनाव में, उप चुनाव में नकार दिया। इनके पास कोई काम नहीं है। पूरे प्रदेश में अराजकता पैदा करने की सबसे बड़ी मशीन यही है जो पूरे प्रदेश में अराजकता पैदा कर रहे हैं। जिस कानून की यह बात करते हैं वह कानून केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है, उस पर इस विधान सभा में चर्चा नहीं हो सकती है।

नोट :- [xxx] कोष्ठक के अन्दर का अंश मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन का अपमान दिखाई पड़ रहा है। आप नहीं चाहते हैं कि सदन चले ? इसलिये मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 35 मिनट पर डिप्टी मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली-1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अतिवृष्टि से आवास विहीन हुए परिवारों को मुख्य मंत्री आवास योजना से लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018-19 में हुई अत्याधिक वर्षा के कारण गांवों में कितने कच्चे मकानों को क्षति पहुंची है तथा उनमें कितनों को मुख्य मंत्री आवास योजना में चयन किया गया है ? क्या सरकार उक्त आपदाग्रस्त सभी को आवास देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह)-

वर्ष 2018-19 में बारिस से प्रदेश के 24 जनपदों में 118 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान, 03 अत्यधिक क्षतिग्रस्त कच्चे मकान एवं 21873 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान कुल 21994 कच्चे मकानों को क्षति पहुंची है।

वर्ष 2018-19 में मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 7830 परिवारों को लाभान्वित कराया गया है।

मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत दैवीय आपदा से प्रभावित आवास विहीन परिवारों को नियमानुसार लाभान्वित किया जाता है।

मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्रतिवर्ष उपलब्ध बजट के सापेक्ष दैवीय आपदा से प्रभावित परिवार, जो योजना के मार्ग-निर्देश में विहित पात्रता एवं अर्हता की श्रेणी में आते हैं, को लाभान्वित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के निजी या सार्वजनिक भूमि पर नवीन धर्म-स्थल के निर्माण की अनुमति हेतु प्रक्रिया की जानकारी विषयक

***1-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपनी निजी भूमि या सार्वजनिक भूमि पर नया धर्म स्थल बनाने हेतु शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होने सम्बन्धी कोई शासनादेश पूर्व में जारी है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश में नए धर्म स्थल निर्माण की अनुमति हेतु निर्धारित प्रक्रिया क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थलों के निर्माण की अनुमति दिये जाने का कोई शासनादेश नहीं है, बल्कि विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सिविल)-8519/2006, यूनियन आफ इण्डिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-09-2009 के अनुपालन में शा0सं0-एस0सी0-03/छः-पु0-9-2009, दिनांक 29-10-09 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर मन्दिर, चर्च, मस्जिद अथवा गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई भी अनधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा अथवा न ही उसकी अनुमति दी जायेगी।

निजी भूमि पर नया धर्म स्थल बनाने हेतु शासन से अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी 'घ'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में शिक्षक भर्ती में होने वाली अनियमितताओं एवं विसंगतियों को दूर करने हेतु बेसिक शिक्षा आयोग के गठन के सम्बन्ध में

***1-श्री मनीष असीजा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षकों की भर्ती में होने वाली अनियमितताओं एवं विसंगति को दूर करने हेतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भांति बेसिक शिक्षा आयोग का गठन करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी)-

जी नहीं।

बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में अध्यापकों एवं प्राचार्यों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना में लाभान्वित समूहों के सम्बन्ध में

***2-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कितने समूहों को लाभान्वित किया गया तथा कितनों को लाभान्वित किया जाना शेष है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि शेष समूहों को कब तक उक्त योजना से लाभान्वित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 30 अक्टूबर, 2019 तक नाबालिग बच्चियों की हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे गम्भीर पंजीकृत अपराधों का विवरण एवं उनके निस्तारण की स्थिति

***3-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 जनवरी, 2015 से 30 अक्टूबर, 2019 तक कुल कितने 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग बच्चियों की हत्या, बलात्कार, अपहरण तथा अन्य गम्भीर अपराध घटित होने की प्राथमिकी/शिकायत दर्ज की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त दर्ज प्राथमिकी/शिकायतों के आधार पर कितने मामलों में पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया तथा कितने मामलों में पुलिस विवेचना लम्बित है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में 01 जनवरी, 2015 से 30 अक्टूबर, 2019 तक कुल 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चियों के हत्या के 988, बलात्कार के 9703, अपहरण के 25615 तथा अन्य गम्भीर अपराध के 2607 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

उपरोक्त पंजीकृत अभियोगों में हत्या में संलिप्त 121, बलात्कार में संलिप्त 1105, अपहरण में संलिप्त 786 तथा अन्य गम्भीर अपराधों में संलिप्त 118 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है।

पंजीकृत अभियोगों में हत्या के 20, बलात्कार के 189, अपहरण के 1704 तथा अन्य गम्भीर अपराधों के 76 अभियोग विवेचनाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 30 अक्टूबर, 2019 के मध्य प्रदेश में डा0 बी0आर0 अम्बेडकर जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने सम्बन्धी पंजीकृत मुकदमों का विवरण एवं उनके निस्तारण की स्थिति

***4-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में 01 जनवरी, 2017 से 30 सितम्बर, 2019 तक भारत रत्न डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ने या क्षतिग्रस्त करने के कुल कितने मामले पंजीकृत हुए हैं व कुल पंजीकृत मामलों में से कितने में आरोप-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार भारत रत्न डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर जी व अन्य महापुरुषों की मूर्ति तोड़ने या क्षतिग्रस्त करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के थानों में 01 जनवरी, 2017 से 30 सितम्बर, 2019 तक भारत रत्न डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ने या क्षतिग्रस्त करने के कुल 172 अभियोग पंजीकृत हुए हैं व कुल पंजीकृत अभियोगों में 40 में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा कुल 07 अभियोग विवेचनाधीन हैं। 125 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है।

इस प्रकार की घटित घटनाओं में संलिप्तता के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध विधि के अनुकूल कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती कराये जाने विषयक

***5-श्री नाहिद हसन-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में राज्य विश्वविद्यालयों में कुल कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (डॉ0 दिनेश शर्मा)-

वर्तमान में राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कुल 1021 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

गाड़ियों से निकले धुएं से प्रदेश के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के जीवन रक्षा हेतु विशेष उपकरण/ मास्क उपलब्ध कराने विषयक

***6-श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके जीवन की रक्षा हेतु कोई विशेष उपकरण/मास्क उन्हें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में यातायात कर्मियों को गाड़ियों से निकले वाले धुएं से बचाव हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 6800 गैस मास्क व वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4526 सेफ्टी गागल्स क्रय कर उपलब्ध कराये गये हैं तथा पुलिस वाहिनियों में चिकित्सालय उपलब्ध है, जहां कार्मिकों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय में इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति शासनादेश के अनुरूप दिये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा का अधिकार कानून के अन्तर्गत प्रदेश के प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटों पर गरीब बच्चों के प्रवेश सम्बन्धी सूचना

***7-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा का अधिकार कानून के अन्तर्गत प्रदेश के प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु स्थान आरक्षित किया गया है ? यदि हां, तो शैक्षिक सत्र 2018-19 तथा 2019-20 में उक्त आरक्षित सीटों पर कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(1) (ग) में विद्यालयों के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक कक्षा-1 में उस कक्षा में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा में गरीब बच्चों के प्रवेश का प्राविधान है।

शैक्षिक सत्र 2018-19 में कुल 45656 एवं शैक्षिक सत्र 2019-20 में 59588 गरीब बच्चों का प्रवेश प्रदेश के विभिन्न मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया गया।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नहरों, माइनरों आदि की व्यापक सफाई किये जाने के सम्बन्ध में

***8-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित सभी नहरें, माइनर, अल्पिकायें, रजबहा आदि की व्यापक रूप से सफाई की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

वर्तमान 1427 फसली (वर्ष 2019-20) में कार्य की आवश्यकतानुसार स्वीकृत कार्य एवं उपलब्ध धन से कुल 44863.42 कि0मी0 (14469.62 कि0मी0 राजवाहों एवं 30393.80 कि0मी0 अल्पिकाओं) नहरों की सिल्ट सफाई कराई जा रही है, जिसके सापेक्ष दिनांक 11-12-2019 तक 33997.92 कि0मी0 (रहवाहों एवं अल्पिकाओं) की सफाई कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण एवं जनपदों को ओ0डी0एफ0 घोषित किये जाने विषयक

***9-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जुलाई, 2017 से अगस्त, 2019 तक कितने शौचालयों का निर्माण हुआ ? क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय जनपदों में एम0आई0एस0 फिडिंग करके ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जुलाई, 2017 से अगस्त, 2019 तक कुल 1,81,52,913 शौचालयों का निर्माण कराया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शासकीय संस्कृत विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति विषयक

***10-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासकीय संस्कृत विद्यालयों में वर्तमान समय में शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

06 पद रिक्त हैं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सांसद व विधायक निधि से निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक

***11-श्री दलवीर सिंह-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सांसद निधि व विधायक निधि से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित मार्गों की मरम्मत कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य प्रतिबन्धित सूची में है। अतः सांसद निधि से मार्गों के मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सकता है। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिशिष्ट-2 के अन्तर्गत विधायक निधि के अन्तर्गत न कराये जाने वाले कार्यों की सूची के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार ''किसी भी टिकाऊ परिसम्पत्ति के संरक्षण/उन्नयन के लिये विशेष मरम्मत कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य प्रतिबन्धित है।

सत्ता विकेन्द्रीकरण के तहत संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित समस्त विषयों को पंचायतों को सौंपने हेतु विचार करने विषयक

***12-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन की भावनानुरूप 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से 11 विषय/विभाग सौंपने के उपरान्त अवशेष 18 विषय/विभाग भी पंचायतों को पूरी तरह सौंप कर सत्ता विकेन्द्रीकरण लागू करने हेतु उन्हें विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप कोष, कर्मी व कार्य सौंपने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन की भावनानुरूप 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से राज्य सरकार द्वारा 07 विषयों को लगभग पूर्ण रूप से और 04 विषयों को

आंशिक रूप से पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है। शेष के बारे में निर्णय लेने हेतु कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-06-2019 तथा यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 09-09-2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं मनोरंजन कर विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिस पर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी व अन्य खाली भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में

***13-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी भूमि व अन्य खाली भूमि पर बिना रजि0 बैनामा के कतिपय व्यक्तियों का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी जिला प्रशासन को यह आदेश करेगी कि उक्त अवैध कब्जाधारकों को चिन्हित कर वैधानिक कार्यवाही कर उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में रजिस्टर्ड बैनामों की प्रति सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा दाखिल खारिज की कार्यवाही कर खतौनी में नामान्तरण की कार्यवाही की जाती है। बिना रजिस्टर्ड बैनामे के प्रकरणों को दाखिल खारिज किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के प्रकरणों के चिन्हीकरण कर अतिक्रमणकर्ताओं/भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-402/1-2-2017-1 (सामान्य)/2017, दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा चार स्तरीय टास्क फोर्स क्रमशः राज्य, मण्डल, जनपद व तहसील का गठन करते हुए समस्त जिलाधिकारियों को अवैध कब्जे सम्बन्धी प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

जनसामान्य को अवैध कब्जे सम्बन्धी शिकायतों को सुगमतापूर्वक दर्ज कराने, दर्ज शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का सतत् अनुश्रवण किये जाने के उद्देश्य से एंटी भू-माफिया पोर्टल का विकास किया गया है।

एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दिनांक 12-12-2019 तक प्रदर्शित सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल अवैध अतिक्रमण के 2,74,245 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 2,73,470 शिकायतों को निस्तारित किया गया तथा 66,083.40 हे0 क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया जा चुका है।

एंटी-भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत 22,507 राजस्व वाद, 816 सिविल वाद तथा 3,819 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है। 1714 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हीकरण किया गया जिनके विरुद्ध विभिन्न आपराधिक धाराओं में कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को चिन्हित कर अतिक्रमणकर्ताओं/भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही विचाराधीन है। उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत एवं विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों में पारित निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान मण्डल सदस्यों के प्रदेश के बाहर भ्रमण/प्रवास के दौरान उनकी सुरक्षा में लगे कर्मियों को साथ ले जाने के सम्बन्ध में

***14-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल सदस्यों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को विधान मण्डल के सदस्यों को दूसरे प्रदेशों के दौरे के समय साथ ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान मण्डल के सदस्यों की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त प्रतिबन्ध को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-25237/2010 अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01-05-2013 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 10-11-2013 द्वारा प्रदेश के बाहर भ्रमण/प्रवास के दौरान महानुभावों को सम्बन्धित परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की अनुमति से 03 दिवस हेतु सुरक्षाकर्मी को ले जाने का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रदेश के विकास खण्डों में लिपिक तथा लेखाकार की संख्या में वृद्धि करने विषयक

***15-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास खण्डों में लिपिक तथा लेखाकार की कमी से बाधित हो रहे विकास कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु लिपिक तथा लेखाकार की संख्या में सरकार वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

प्रदेश के विकास खण्डों में लिपिकों की कमी के दृष्टिगत ग्राम्य विकास विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों का कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरूप ढांचा पुनर्गठन किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07-11-2014 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 प्रख्यापित की गई है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न विभागों हेतु लेखाकार के 5176 एवं सहायक लेखाकार के 2426 पद सृजित हैं जिनमें ग्राम्य विकास विभाग हेतु लेखाकार के कुल 1822 आवंटित पदों के सापेक्ष 1049 कार्यरत हैं और 773 पद रिक्त हैं, जो अन्य विभागों की तुलना में अधिक हैं।

लेखाकार के शत्-प्रतिशत पद सहायक लेखाकार से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था नियमावली में है।

सम्प्रति लेखाकार के 773 पद रिक्त हैं। पोषक संवर्ग में जो 269 सहायक लेखाकार उपलब्ध हैं, लेखाकार हेतु कोई पात्र नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के बिनौली ब्लाक का विभाजन कर नया ब्लाक बनवाने के विषय में

***16-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ब्लाक बिनौली की 53 ग्राम पंचायतें एवं 64 ग्रामों में कतिपय ग्राम ब्लाक मुख्यालय से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण ग्रामीणों को अपने कार्य कराने हेतु ब्लाक मुख्यालय जाने के लिए अधिक दूर से आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाक को दो भागों में विभाजित करके कस्बा दोघट, दाहा या पुसार में से किसी एक को दूसरा ब्लाक मुख्यालय बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विकास खण्डों के सृजन/गठन के उपरान्त विकास खण्डों के संचालन हेतु मूलभूत/अपरिहार्य अवस्थापना सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा उनको स्थापित कर क्रियाशील बनाने में आ रही व्यावहारिक कठिनाई एवं वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारियों की भारी कमी के चलते नवसृजित विकास खण्डों में अलग से खण्ड अधिकारियों की तैनाती एवं अवासीय/अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु वांछित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न होने तथा वर्तमान में सड़क यातायात एवं संचार साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्रशासनिक इकाइयों तथा पहले की तुलना में अधिक आबादी एवं दूर के क्षेत्रों तक सुगमता से

प्रशासनिक सेवायें उपलब्ध कराया जाना सम्भव हुआ है, के दृष्टिगत जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में नये विकास खण्ड का सृजन किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस को सी0सी0टी0वी0 युक्त कन्ट्रोल रूम उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

***17-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को सी0सी0टी0वी0 युक्त कण्ट्रोल रूम उपलब्ध कराने की योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शहरी क्षेत्रों में सी0सी0टी0वी0 युक्त कन्ट्रोल रूम उपलब्ध कराने की कोई केन्द्रीयकृत योजना प्रदेश पुलिस स्तर पर प्रचलित नहीं है। जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध नियंत्रण/यातायात प्रबन्ध के दृष्टिगत उपलब्ध अनुदान से आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण स्थलों/चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 उपकरण अधिष्ठापित कराये जाते हैं।

बेरोजगारी दूर करने हेतु प्रदेश के सभी सरकारी कालेजों/शिक्षण संस्थाओं में स्पेशल कोर्स संचालित करने विषयक

***18-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उच्च शिक्षा के सभी सरकारी कालेजों/शिक्षण संस्थाओं में स्पेशल कोर्स संचालित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में स्पेशल कोर्स संचालित हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार युवा बेरोजगारों को स्व-रोजगार प्राप्त करने हेतु स्पेशल कोर्स संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

विशेष पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य विश्वविद्यालयवार विवरण संलग्न है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के चतुर्थ सत्र-2019 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अमन मणि त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर का संलग्नक :-

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	विशेष पाठ्यक्रम का विवरण
1	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP), बी0वोक कार्यक्रम।
2	डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	बी0वोक (बैचलर आफ वोकेशनल कोर्स) संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
3	महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	बी0वोक (बैचलर आफ वोकेशनल कोर्स) संचालित किया जाना प्रक्रियाधीन है।
4	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	सम्प्रति संचालित नहीं।
5	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0लिब0, एल0एल0बी0, पत्रकारिता, होटल एवं टूरिज्म, बी0फार्मा, बी0पी0टी0, बी0एम0एल0टी0, बी0एच0आई0ए0, बायोटेक्नोलाजी, बी0टेक, बी0एफ0ए0, योगा, ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग आदि।
6	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	संचालित नहीं है।
7	डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या	बी0वोक, टूरिज्म एण्ड हास्पिटलटी, बी0वोक जनसंचार एवं पत्रकारिता, बी0वोक इन फैशन डिजाइनिंग एण्ड गारमेन्ट्स टेक्नोलाजी, बी0वोक इन फाइन आर्ट्स, बी0वोक इन मार्केटिंग एवं आई0टी0, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, एम0बी0ए0 इन हास्पिटलटी एण्ड टूरिज्म मैनेजमेन्ट, एम0बी0ए0 इन एग्रीबिजनेस, पी0जी0 डिप्लोमा इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, पी0जी0 डिप्लोमा इन एरोमा टेक्नोलाजी।
8	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	एम0सी0ए0, एम0बी0ए0, एम0एस0सी0 बायोटेक्नोलाजी, माइक्रोबायोलाजी, बायोकेमेस्ट्री, मास कम्युनिकेशन एवं जनर्लिज्म, स्नातक-बी0बी0ए0, इंजीनियरिंग एण्ड बी0फार्मा, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0।
9	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, फैशन एक्सेसरीज एण्ड क्राफ्ट डिजाइनिंग एण्ड एजुकेशनल इनफार्मेशन टेक्नोलाजी।
10	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	बी0वोक, एम0 वोक तथा पी0एच0डी0 जिसके अन्तर्गत ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड, वास्तुशास्त्र एवं आन्तरिक सज्जा के पाठ्यक्रम।
11	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	स्पेशल कोर्स संचालित नहीं।

12	ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	स्पेशल कोर्स संचालित नहीं।
13	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर	नवस्थापित विश्वविद्यालय है।
14	प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	स्पेशल कोर्स संचालित नहीं।
15	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया	स्पेशल कोर्स संचालित नहीं।
16	डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ	पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट, मीडिया लॉ, इंटरटेनमेन्ट एवं एथिक्स।
17	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	बी0टी0एस0, पी0जी0डी0टी0, पी0जी0डी0सी0 डब्लू एच0, पी0जी0डी0ई0एम0 एवं एफ0पी0, पी0जी0डी0वी0जी0सी0सी0, पी0जी0डी0आर0 जे0एम0सी0, पी0जी0डी0बी0एस0डी0, पी0जी0डी0बी0एस0पी0एस0, पी0जी0डी0बी0डी0टी0एम0, पी0जी0डी0एच0एच0एम0, पी0जी0डी0एस0पी0, पी0जी0डी0एफ0एस0क्यू0एम0, पी0जी0डी0एम0, पी0जी0डी0आई0सी0पी0, डी0एच0ई0एन0, डी0ई0सी0ई0, डी0ई0सी0ई0, डी0सी0डी0एन0, डी0एफ0डी0, डी0टी0डी0, डी0एच0ए0, डी0आई0पी0, डी0ए0एस0सी0, डी0जे0डी0, डी0पी0सी0, डी0यू0आर0, डी0यू0जे0एम0सी0, डी0यू0एम0आर0ए0, एम0जे0, बी0सी0ए0, पी0जी0डी0जे0एम0सी0, पी0जी0डी0एफ0एम0, पी0जी0डी0आई0एम0बी0, पी0जी0डी0एम0एम0, पी0जी0डी0पी0एम0, पी0जी0डी0एच0आर0डी0, पी0जी0डी0सी0ए0, पी0जी0डी0ए0ई0, पी0जी0डी0वाई0ओ0, पी0जी0डी0आर0एस0, पी0जी0डी0जी0एस0टी0, डी0वाई0एस0, डी0डब्लू0टी0, डी0एच0एच0एम0, डी0डी0टी0, डी0वी0ए0पी0एफ0वी0, डी0ए0जी0, डी0ए0वी0एम0, डी0डब्लू0एम0, सी0पी0एच0टी0 एवं वी0ए0, सी0सी0एम0ए0पी0, सी0एल0पी0एस0, सी0सी0एन0, सी0एन0एफ0, सी0सी0वाई0, सी0सी0टी0टी0, सी0एफ0डी0, सी0टी0डी0, सी0आर0जे0एम0सी0, सी0सी0सी0, सी0ए0एस0सी0, सी0एफ0एस0, सी0पी0एल0टी0, सी0सी0सी0ए0, सी0सी0डब्लू0डी0, सी0एल0ए0, सी0एच0एच0एम0, सी0डब्लू0डब्लू0टी0, सी0पी0टी0, सी0ओ0एफ0, सी0पी0आई0जी0, सी0जी0एस0टी0, एम0सी0ए0, एम0बी0ए0, बी0एड0, बी0एड0 (एस0ई0)।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में पी0पी0एस0 से आई0पी0एस0 बनने हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा के सम्बन्ध में

1-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0पी0एस0 से आई0पी0एस0 बनने के लिए केन्द्र सरकार की नियमावली के अनुसार आठ वर्षों तक की सेवा आवश्यक है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में अपर पुलिस अधीक्षक बनने के लिए राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार बारह वर्ष तक की सेवा आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवधि को घटाकर 8 वर्ष करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

केन्द्र सरकार की ''भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्त) विनियमन-1955'' के प्रस्तर-5(2) के अनुसार पी0पी0एस0 से आई0पी0एस0 बनने के लिये पी0पी0एस0 अधिकारी की कम से कम 08 वर्ष की नियमित सेवा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर होनी आवश्यक है।

उ0प्र0 पुलिस सेवा नियमावली-2016 के नियम-17(2)(क) के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक पद पर चयन हेतु, चयन के वर्ष की पहली जुलाई को उ0प्र0 पुलिस सेवा में बारह वर्ष की सेवा पूर्ण करना आवश्यक है।

सम्प्रति इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नया धार्मिक स्थल बनाये जाने से पूर्व शासन की अनुमति हेतु निर्धारित प्राविधान के सम्बन्ध में जानकारी

2-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपनी निजी भूमि या सार्वजनिक भूमि पर नया धर्म स्थल बनाने हेतु शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होने सम्बन्धी कोई शासनादेश पूर्व में जारी है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश के अन्तर्गत नए धर्म स्थल निर्माण की अनुमति हेतु निर्धारित प्रक्रिया क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थलों के निर्माण की अनुमति दिये जाने का कोई शासनादेश नहीं है, बल्कि विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सिविल)-8519/2006, यूनियन आफ इण्डिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम नयायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-09-2009 के अनुपालन में शा0सं0-एस0सी0-03/छः-पु0-9-2009, दिनांक 29-10-09 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सार्वजनिक गलियों/मार्गों, सार्वजनिक पार्कों अथवा अन्य सार्वजनिक

स्थानों आदि पर मन्दिर, चर्च, मस्जिद अथवा गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई भी अनधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा अथवा न ही उसकी अनुमति दी जायेगी।

निजी भूमि पर नया धर्म स्थल बनाने हेतु शासन से अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव रतनपुरी व रामनगर के बीच धू-धू नदी पर अस्थाई पाईल सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में

3-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव रतनपुरी व रामनगर के बीच धू-धू नदी पर अस्थायी पाईल सेतु का निर्माण सरकार कब तक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

4-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[1-बुधवार के अता0प्र0सं0-28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत में पूर्वी यमुना नहर की पटरी के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

5-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में पूर्वी यमुना नहर की पटरी, बड़ौत से लोनी-गाजियाबाद मार्ग जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पटरी का चौड़ीकरण कर निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान में इस नहर के सेवा मार्ग का प्रयोग नहर के निरीक्षण व रख-रखाव हेतु किया जाता है निरीक्षण हेतु नहर सेवा मार्ग की चौड़ाई पर्याप्त होने के कारण हल्के वाहनों के चलने योग्य है। इस नहर पर सेवा मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के ग्राम पंजीठ व मामोर में नगर का पानी भर जाने से बनी कृत्रिम झील से ग्रामीणों की भूमि को बचाने विषयक

6-श्री नाहिद हसन-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम पंजीठ व मामोर, ब्लाक कैराना में सीमान्त पट्टाधारकों की भूमि में समीप के नगर का पानी भर जाने से बनी कृत्रिम झील से पट्टाधारकों व अन्य ग्रामीणों की भूमि को बचाने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के द्वितीय बुधवार के निर्धारित प्रश्न संख्या-158 के उत्तर के क्रम में भूमि संरक्षण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा धारित प्रभार वाले कार्यालयों में किये गये कार्यों का विवरण

7-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के द्वितीय बुधवार के निर्धारित प्रश्न सं0-158 के उत्तर में क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, उप निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली, बदायूं तथा उप निदेशक, मण्डल मुरादाबाद भूमि संरक्षण इकाई बिजनौर, चांदपुर अमरोहा, सम्भल का भी चार्ज है ? यदि हां, तो दिनांक 01-04-2015 से 20-02-2019 तक उपरोक्त सभी कार्यालय में कितनी-कितनी धनराशि कब-कब, किस-किस कार्यों के लिए आयी तथा उसके सापेक्ष क्या-क्या कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

योजना का नाम-आई0डब्लू0एम0पी0 (धनराशि लाख रु0)

क्र0सं0	जनपद का नाम	दि0 1-4-15 से 20-2-2019 तक उपलब्ध धनराशि	कार्य	दि0 1-4-15 से 20-2-2019 तक व्यय	अवशेष धनराशि दि0 (1-3-19 को)	दिनांक 1-4-15 से 20-2-19 तक व्यय धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों का विवरण				
						EDO	WHB	PONDS	CD	Drop Spill Way
मण्डल बरेली										
1	शाहजहांपुर	574.00	जल संरक्षण	345.85	176.94	--	--	43	24	CB-MB
2	पीलीभीत	784.49	जल संरक्षण	370.77	413.73	--	--	110	--	1
3	बरेली	501.44	जल संरक्षण	443.93	57.51	--	--	46	--	--

4	बदायूं	51.71	जल संरक्षण	--	51.71	--	--	--	--	--
मण्डल मुरादाबाद										
1	बिजनौर/चांदपुर	841.54	जल संरक्षण	611.23	230.31	548	54	51	10	166
2	जे0पी0 नगर/ अमरोहा	753.33	जल संरक्षण	514.51	238.82	--	1214	28	64	--
3	सम्भल/मुरादाबाद	708.91	जल संरक्षण	566.69	142.22	7	--	95	5	--

योजना का नाम-Other Intervention जल संरक्षण (धनराशि लाख रु0)

क्र0सं0	जनपद का नाम	1-4-15 से 20-2-2019 तक उपलब्ध धनराशि	दि0 1-4-15 से 20-2-2019 तक व्यय	अवशेष धनराशि दि0 (1-3-19 को)	दिनांक 1-4-15 से 20-2-19 तक व्यय धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों का विवरण
मण्डल बरेली					
1	बरेली	87.09	13.82	74.17	5 Ponds
2	बदायूं	104.91	--	104.91	--

नोट :-अवशेष जनपदों में Other Intervention योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के विकास खण्ड डीघ में हैण्डपम्पों के पानी में आर्सेनिक/फ्लोराइड की रोकथाम किये जाने विषयक

8-श्री विजय मिश्र-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के तहसील ज्ञानपुर के विकास खण्ड डीघ में स्थापित हैण्डपम्प के पानी में आर्सेनिक/फ्लोराइड निकल रहा है ? यदि हां, तो उक्त की रोकथाम के लिए कोई योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के तहसील ज्ञानपुर के विकास खण्ड डीघ के ग्रामों में पेयजल नमूनों की जांच कराये जाने पर आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित कोई ग्राम/ बस्ती नहीं है तथा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों से शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है।

आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित कोई ग्राम/बस्ती न होने के कारण कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की तहसील मछलीशहर, ग्राम सर्वेमऊ में स्थित भू-खण्ड संख्या-663 को दबंगों से मुक्त कराने विषयक

9-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील मछलीशहर के ग्राम सर्वेमऊ में ग्राम सभा की जमीन गाटा संख्या-663 पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम सर्वेमऊ परगना गढ़वारा, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर में स्थित भू-खण्ड संख्या-663/0.028 हे0 की पैमाइस राजस्व टीम से कराई गई। मौके पर उक्त भूमि के दक्षिणी सिरे पर स्थित ग्राम पढुआ, लेवा में स्थित स्थाई बिन्दु (सिहद्दा पत्थर) एवं अन्य स्थाई बिन्दुओं से पैमाइस करके निशानदेही करा दिया गया। पैमाइस में पाया गया कि श्री संकठा प्रसाद पुत्र श्री केदारनाथ द्वारा 0.0005 हे0 भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। जिसको मौके पर कब्जा मुक्त करा दिया गया है। वर्तमान समय में आराजी संख्या-663/0.028 हे0 खाद गड्ढे की भूमि अवैध कब्जे से मुक्त है। आराजी संख्या-663 के कुछ हिस्से का प्रयोग सार्वजनिक मार्ग के रूप में किया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी, विधान सभा क्षेत्र तिलोई, ब्लाक सिंहपुर, ग्राम पुरे कैथन, मजरे टेढ़ई के अरहोवा भवानी, हैदरगढ़ मार्ग से क्षतिग्रस्त मार्ग व नाली का कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक

10-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र तिलोई के ब्लाक सिंहपुर के ग्राम पूरे कैथन मजरे टेढ़ई के अरहोवा भवानी, हैदरगढ़ मार्ग से कैलाश बिहारी श्रीवास्तव के घर तक अर्धनिर्मित क्षतिग्रस्त मार्ग व नाली को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र तिलोई के ब्लाक सिंहपुर के ग्राम पूरे कैथन मजरे टेढई के अरहोवा हैदरगढ़ मार्ग से कैलाश बिहारी श्रीवास्तव के घर तक अर्द्धनिर्मित क्षतिग्रस्त मार्ग वित्तीय वर्ष 2019-20 की पूरक कार्य योजना में इण्टरलॉकिंग निर्माण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। नाली निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक व पूरक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। नाली निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 की ग्राम पंचायत (जी0पी0डी0पी0) की कार्य योजना में सम्मिलित कर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिना शौचालय निर्माण पूर्ण हुए ही ओ0डी0एफ0 घोषित किये जाने एवं दोषियों पर कार्रवाई किये जाने विषयक

11-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कितनी ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति की बस्तियों में शौचालय का पूर्ण निर्माण नहीं होने के बावजूद तहसील-लालगंज ओ0डी0एफ0 घोषित कर दी गयी है ? यदि

हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराकर प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में पूर्ण रूप से शौचालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत बैसलाईन सर्वे-2012 एवं एल0ओ0बी0 की सूची में दर्ज शत-प्रतिशत लाभार्थियों के खाते में धनराशि अवमुक्त कर दी गई है व उनके द्वारा शौचालय निर्मित करा दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के महिला थाना में पंजीकृत दहेज उत्पीड़न के मुकदमों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना

12-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद आजमगढ़ के महिला थाना में 01 जनवरी, 2018 से 30 सितम्बर, 2019 तक दहेज उत्पीड़न के कितने मुकदमें पंजीकृत हुए हैं व कुल पंजीकृत मुकदमों में से कितने में आरोप-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं और कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के महिला थाना में 01 जनवरी, 2018 से 30 सितम्बर, 2019 तक दहेज उत्पीड़न के कुल 29 मुकदमें पंजीकृत हुए जिनमें से 28 मुकदमों में आरोप-पत्र तथा 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। कोई अभियोग शेष नहीं है।

विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के ग्राम सभा जयपालपुर व अरुआं में पानी की टंकी स्थापित कराने के सम्बन्ध में

13-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में ग्राम सभा-जयपालपुर तथा अरुआँ में पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु पानी की टंकी स्थापित कर जलापूर्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-180 पर।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के ग्राम सभा जयपालपुर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3,430 जनसंख्या है। ग्राम सभा जयपालपुर में मानक के अनुसार 29 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के सापेक्ष 129 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। ग्राम सभा अरुआं की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2,875 जनसंख्या है। मानक के अनुसार ग्राम सभा अरुआं में 19 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के सापेक्ष 34 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। उक्त दोनों ग्राम सभा पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से संतृप्त हैं।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ''हर घर नल से जल'' योजना की नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, तहसील मछलीशहर के ग्राम सर्वेमऊ में शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में

14-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील मछलीशहर के ग्राम सर्वेमऊ में कुल निर्धारित/स्वीकृत शौचालयों की संख्या 413 के सापेक्ष दिनांक 10-06-2019 तक मात्र 2016 निर्मित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में शेष शौचालयों का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद जौनपुर के तहसील मछलीशहर के ग्राम सर्वेमऊ में बेसलाइन सर्वे-2012 के अनुसार कुल 318 लाभार्थियों के शौचालय का निर्माण कराया जाना था, जिसके सापेक्ष दिनांक 10-06-2019 तक 318 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में सहायक माइनरों में सिंचाई हेतु टेल तक पानी पहुंचाये जाने विषयक

15-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में शारदा सहायक खण्ड-23 से लिंक कितने सहायक माइनरों के माध्यम से कितनी

ग्राम सभाओं में किसानों की सिंचाई सुविधा हेतु पानी टेल तक पहुंचाया जा रहा है तथा कितने माइनर बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द माइनरों को चालू कराकर पानी टेल तक पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत 43 नहर चलित हैं, जिससे 120 ग्रामों में विभिन्न नहरों के माध्यम से टेल तक पानी पहुंचाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लालगंज विधान सभा क्षेत्र में कोई माइनर बन्द नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के तहसील जखनियां में मुंसिफ न्यायालय बनाये जाने विषयक

16-श्री त्रिवेणी राम-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत जखनियां तहसील की क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को देखते हुए मुंसिफ न्यायालय बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधायी एवं न्याय, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के भूरागढ़ में केन नदी पर बैराज का निर्माण कराये जाने विषयक

17-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के भूरागढ़ में केन नदी पर बैराज का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बांदा के भूरागढ़ में केन नदी पर केन बेतवा लिंक परियोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा दोधन बांध बनना प्रस्तावित है, इसलिये बैराज का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में स्थापित शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्कृत विद्यालयों के जर्जर भवनों को चिन्हित कर उनके सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में

18-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्कृत विद्यालयों के जर्जर भवनों को चिन्हित कर उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

प्रदेश में स्थापित शासकीय संस्कृत विद्यालयों के जर्जर भवनों के सुदृढ़ीकरण हेतु संस्था प्रधानाचार्यों से मांग-पत्र प्राप्त होने पर आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन समानुपातिक रूप से किया जाता है। अशासकीय संस्कृत विद्यालयों के जर्जर भवनों के सुदृढ़ीकरण हेतु आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की कार्य परिषद् को पुनर्गठित कराने के सम्बन्ध में

19-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में कार्य परिषद् के गठन में मा0 विधायकों के सदस्य नामित न होने के कारण छात्रों की समस्या का सुचारु रूप से समाधान नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् में क्षेत्रीय विधायकों को सदस्य नामित कर कार्य परिषद् को पुनर्गठित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में मुख्य मंत्री सर्वहित दुर्घटना बीमा का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री सर्वहित दुर्घटना बीमा योजना कब से संचालित है तथा जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में मुख्य मंत्री सर्वहित दुर्घटना बीमा का लाभ कितने लोगों को प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से 13 सितम्बर, 2019 तक संचालित थी। जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ 239 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के बिना मान्यता के संचालित मदरसों को चिन्हित कर बन्द किये जाने विषयक

21-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में बिना मान्यता के संचालित मदरसों को चिन्हित कर सरकार बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

प्रश्न अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग से सम्बन्धित है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा प्रश्न को ग्रहण करने हेतु सहमति प्रदान कर दी गई है। उनके द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के निर्धारितवार में उत्तर दिया जायेगा।

22-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्य मंत्री आवास योजना में छूटे हुए पात्र परिवार का नाम वर्ष 2018-19 की सर्वे सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में

23-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में कितने पात्र व्यक्ति के परिवार का नाम वर्ष 2018-19 की सर्वे सूची में प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्य मंत्री आवास योजना में पात्रता आधार पर शामिल कर लिया गया है क्या सरकार शेष छूटे हुए पात्रों को शामिल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्य मंत्री आवास योजना में ब्लाक ईसानगर में 20035 एवं ब्लाक धौरहरा में 15201 पात्र परिवारों को वर्ष 2018-19 की सर्वे सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

यदि किसी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत कोई पात्र परिवार सम्मिलित होने से रह गया है तो उनका नाम सम्मिलित किया जाना भारत सरकार की वेबसाइट (आवास एप) खुलने पर निर्भर है।

मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण में यदि कोई पात्र लाभार्थी छूट गया है तो नियमित रूप से उनके नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में वर्तमान बी0डी0ओ0 द्वारा की गई जांच तथा इस हेतु डीजल पर हुए व्यय के सम्बन्ध में सूचना

24-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में वर्तमान में कार्यरत बी0डी0ओ0 अपनी तैनाती से किस-किस ग्राम सभा व मजरा में किन-किन तारीखों को सरकारी योजनाओं की जांच/निरीक्षण किये हैं तथा 100 किमी0 दूरी से प्रतिदिन ब्लाक के गांवों में जांच व भ्रमण पर प्रतिदिन डीजल इत्यादि पर कितना खर्च हुआ ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

विकास खण्ड धौरहरा में वर्तमान में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी दिनांक 27-08-2019 से कार्यरत हैं। उनके पास विकास खण्ड ईसानगर का अतिरिक्त प्रभार भी है। दोनों विकास खण्डों में चल रही सरकारी लाभार्थीपरक् योजनाओं जैसे ''गौवंश आश्रय स्थल'', ''प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण'', ''मनरेगा'', ''स्वच्छ भारत मिशन'' इत्यादि का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। सभी योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। मुख्यालय से दोनों विकास खण्डों की दूरी लगभग 20 कि0मी0 है। विकास खण्ड धौरहरा से ईसानगर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें यथा-कैरातीपुरवा, ओझापुरवा, बेलागढ़ी, चकदहा एवं कोडरीरूप लगभग 65-70 कि0मी0 दूर स्थित है। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में कराये गये विकास कार्यों का खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण/निरीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न समीक्षा बैठकों/निरीक्षणों में वित्तीय नियमों के अन्तर्गत डीजल इत्यादि का व्यय किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय विश्वविद्यालयों की भांति प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षक, खेल शिक्षक व अनुदेशकों की भर्ती तथा इनके स्थानान्तरण हेतु नियमावली के सम्बन्ध में

25-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उर्दू विषय की शिक्षा, खेल व स्वास्थ्य शिक्षा,

योग व अन्य सम्बन्धित विषयों का ज्ञान कराने के लिये परिषदीय विद्यालयों की भांति खेल शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्तियां करने पर सरकार कोई योजना तैयार करेगी ? क्या इन विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु सरकार ने कोई नई नियमावली बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

परिषदीय विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले जूनियर हाई स्कूलों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा पर तैनाती की गई है। भारत सरकार द्वारा यह सुविधा केवल परिषदीय विद्यालयों के लिये ही दी गई है।

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्पोजिट ग्रांट व विद्यालय विकास हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिये योजना बनाये जाने विषयक

26-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तरह कम्पोजिट ग्रांट व विद्यालय विकास के लिए अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

कम्पोजिट ग्रांट की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। सहायता प्राप्त विद्यालय निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित किये जाते हैं, जिसके लिये भारत सरकार द्वारा उक्त मद में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों विभिन्न योजनाओं को संचालित करने व नवाचारों को लागू करने हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण कराने के सम्बन्ध में

27-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का विभागीय योजनाओं को संचालित करने व शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को लागू करने हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण कराया जाता है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने विषयक

28-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों तथा रिक्त पदों का विवरण सरकार विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्राक्रिया व आरक्षण का पालन कराये जाने हेतु आयोग का गठन किये जाने विषयक

29-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया व आरक्षण पालन में पारदर्शिता के दृष्टिगत इन विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया हेतु आयोग के गठन पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में रामपुर माइना पुलिस चौकी से पाना व गोरारी में दूरी के कारण नई पुलिस चौकी बनाने विषयक

30-श्री सुभाष पासी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में पुलिस चौकी से थानों की अधिक दूरी के दृष्टिगत रामपुर माइना पुलिस चौकी को थाना व गोरारी में नई पुलिस चौकी बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर की आख्यानुसार थाना करण्डा के अन्तर्गत रामपुर माइना नाम की कोई चौकी नहीं है, बल्कि रामपुर माझा नाम से चौकी स्थापित है, जिस पर उप निरीक्षक एवं आरक्षीगणों की तैनाती है जो चौकी क्षेत्र में कानून व्यवस्था/अपराध नियंत्रण का कार्य प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। थाना खानपुर के अन्तर्गत ग्राम गोरारी, चौकी भीमापार के निकट है, जहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। अतः सैदपुर विधान सभा क्षेत्र के रामपुर माझा में पुलिस थाना तथा ग्राम गोरारी में नवीन पुलिस चौकी बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।

उपरोक्तानुसार।

बिना शासन की अनुमति के उप जिलाधिकारी द्वारा टाण्डा तहसील भवन में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में

31-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्व से निर्मित तहसील भवन में कोई परिवर्तन बिना शासन की अनुमति के उप जिलाधिकारी द्वारा कराया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि तहसील टाण्डा, जिला अम्बेडकरनगर में 2010 में निर्मित तहसील भवन में परिवर्तित करके नया निर्माण बिना शासन की अनुमति के उप जिलाधिकारी द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिना शासन की अनुमति से उक्त निर्माण कराने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जी नहीं।

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या-4523/नाजिर/अना0/मद-तह0 की भौतिक अवस्थापना/2018, दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 के अन्तर्गत प्रदेश की तहसील की भौतिक अवस्थापनाओं को आमजन के हिसाब से बेहतर बनाये जाने हेतु अनावासीय मद में

तहसील टाण्डा हेतु 6.08 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग के आगणन के आधार पर सी0सी0टी0बी0 कैमरा, थ्री सीटर कुर्सी, ए0सी0 उप जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष, कार्यालय कक्ष, स्टेनो कक्ष, तहसीलदार न्यायालय कक्ष, सभाकक्ष में टाइल्स कार्य कराया गया है। तहसील के मूलभूत स्वरूप/संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को मंहगाई राहत दिये जाने के सम्बन्ध में

32-श्री अनुराग सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-7/2016-सा-3-180/दस-2016-308(06)/2000, दिनांक 17 मार्च, 2016 के अनुपालन में राज्य के अन्य विभागों की भांति उच्च शिक्षा विभाग में सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई राहत नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उच्च शिक्षा विभाग में उक्त कर्मियों को भी लाभान्वित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, विकास खण्ड मोहनलालगंज व गोसाईंगंज के राजस्व ग्रामों में नियुक्त सफाई कर्मियों से सम्बन्धित क्षेत्र में ड्यूटी करवाये जाने विषयक

33-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज एवं गोसाईंगंज में राजस्व गांवों में नियुक्त सफाई कर्मी तैनाती गांवों में न जाकर अधिकारियों के कार्यालय व घरों में काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जो सफाई कर्मी जिस गांव में नियुक्त हैं, उन्हें उसी गांव में ड्यूटी करवाने व उन्हें अपने कार्यालयों में ड्यूटी करवाने वाले जिम्मेदारों पर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

34-श्री हाकिम लाल बिन्द-

[2रे मंगलवार के अता0प्र0सं0-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद कार्यालय में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पदों पर की गई नियुक्तियों व उनसे लिये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में

35-श्री राम अचल राजभर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के कार्यालय में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त पदों पर किन कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामर से कौन-कौन से कार्य विगत 5 वर्षों से लिये जा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

शासनादेश संख्या-1415/79-5-11-228/2006, दिनांक 19-09-2011 द्वारा 28 फरवरी, 2012 तक के लिये कम्प्यूटर प्रोग्रामर का पद सृजित किया गया था। उक्त के क्रम में श्री भूपेश नारायण श्रीवास्तव को नियुक्ति प्रदान की गई।

दिनांक 21-08-2015 को श्री भूपेश नारायण श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के कारण कोई कार्य नहीं लिया गया।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड देवा में देवा ग्रीन सिटी प्लाटिंग स्थित हाजी काजीपुर में पाट कर प्लाट बनाये जा चुके 3 तालाबों को खाली कराने विषयक

36-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड देवा में देवा ग्रीन सिटी प्लाटिंग द्वारा हाजी काजीपुर में 3 तालाबों को पाट कर प्लाट बनाये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या उक्त तालाबों को खाली कराने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम देवा, परगना देवा तहसील नवाबगंज, बाराबंकी के विकास खण्ड देवा ग्रीन सिटी द्वारा तीन तालाबों पर प्लाटिंग नहीं की गई है।

तालाब सं0-843ख/0.010 हे0, 848घ/0.009 हे0 मौके पर खाली है व 845/0.060 हे0 के आंशिक भाग पर हरिनाम निवासी भिटौली खुर्द द्वारा गेहूं बोया गया था जिसे दिनांक 11-12-2019 को राजस्व टीम द्वारा जोतवा कर खाली करा दिया गया है। वर्तमान में तीनों तालाब खाली पड़े हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

37-श्री सुभाष पासी-

[1ले बुधवार के अता0प्र0 सं0-188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-भदोही स्थित ऐतिहासिक सीता समाहित स्थल बनाये जाने वाले मार्ग पर पक्का पुल निर्माण विषयक

38-श्री विजय मिश्र-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-भदोही स्थित ऐतिहासिक सीता समाहित स्थल पर पूरे प्रदेश से तीर्थयात्री आते हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त स्थान हेतु जाने वाले मार्ग में गंगा नदी पर धनतुलसी डेगुपुर पर पक्का पुल नहीं होने से दर्शनार्थियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पक्का पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में ग्राम सभा नवधन, गोधना, सुधवै तथा बड़ागांव में फर्जी तरीके से किये गये पट्टा व चकबन्दी की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

39-श्री विजय मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर की तहसील-ज्ञानपुर में ग्राम सभा-नवधन, गोधना, सुधवै तथा बड़ागांव में सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से पट्टा तथा फर्जी हस्ताक्षर से चकबन्दी में कतिपय व्यक्तियों के नाम कराये जाने

की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में मार्च, 2017 से दिनांक 11-11-2019 तक आयोजित क्षेत्र पंचायत बैठक में शामिल विकास प्रस्ताव की जांच विषयक

40-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में मार्च, 2017 से दिनांक 11-11-2019 तक आयोजित क्षेत्र पंचायत बैठक में प्रत्येक ब्लाक तथा ग्राम सभावार कौन-कौन विकास प्रस्ताव शामिल किये गये ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड धौरहरा के अन्तर्गत मार्च, 2017 से दिनांक 11-11-2019 तक आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में ब्लाक तथा ग्राम सभावार 40 विकास प्रस्ताव शामिल किये गये हैं।

विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत मार्च, 2017 से दिनांक 11-11-2019 तक आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में ब्लाक तथा ग्राम सभावार 72 विकास प्रस्ताव शामिल किये गये हैं।

सूची संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में ब्लाक कैम्पस के आवासों में बी0डी0ओ0 व कर्मचारी के न रहने तथा मुख्यालय पर अधिकारी व कर्मचारी की भ्रमण तालिका पर भ्रमण कार्य का अंकन न किये जाने की जांच कराये जाने विषयक

41-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0डी0ओ0 तथा कर्मचारियों का ब्लाक कैम्पस में निर्मित/आवंटित आवासों में ही निवास करने की अनिवार्यता

[†] देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 181 पर।

है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में ब्लाक कैम्पस के आवासों में बी0डी0ओ0 तथा कर्मचारी नहीं रहते हैं तथा मुख्यालय पर अधिकारी व कर्मचारी की भ्रमण तालिका पर भ्रमण कार्य अंकन नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हां।

विकास खण्ड धौरहरा में वर्तमान में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी के पास विकास खण्ड ईसानगर का अतिरिक्त प्रभार है, के द्वारा विकास खण्ड धौरहरा परिसर में बने आवास में निवास किया जा रहा है। विकास खण्ड धौरहरा एवं ईसानगर में कार्यरत अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा भी आवासीय भवनों में निवास किया जा रहा है। मुख्यालय से दोनों विकास खण्डों की दूरी लगभग 20 कि0मी0 है। ग्राम पंचायतों में कराये गये विकास कार्यों का खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण/निरीक्षण एवं कर्मचारियों द्वारा भ्रमण पंजिका में अंकन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[बहुत अधिक ब्योरे के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर, ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में वर्ष 2017 से दिनांक 11-11-2019 तक क्षेत्र पंचायत निधि से कराये गये विकास कार्यों व व्यय धनराशि की जांच कराने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक

43-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में मार्च, 2017 से दिनांक 11-11-2019 तक क्षेत्र पंचायत निधि से प्रत्येक ब्लाक तथा ग्राम सभावार कौन-कौन से विकास कार्य कितनी धनराशि व्यय कर पूर्ण कराये गये हैं तथा कितने अवशेष हैं ? क्या सरकार उक्त कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराकर अधूरे कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड धौरहरा के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत निधि से मार्च, 2017 से दिनांक 11-11-2019 तक धनराशि रु0 70,27,864.00 से 22 कार्य कराये गये हैं, जो पूर्ण हैं।

विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत निधि से मार्च, 2017 से दिनांक 11-11-2019 तक धनराशि रु0 1,16,61,648.00 से 19 कार्य कराये गये हैं, जिनमें 18 कार्य पूर्ण हैं तथा 01 कार्य निर्माणाधीन है।

सूची संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर, ब्लाक ईसानगर व धौरहरा में वर्ष 2018 से दिनांक 11-11-2019 तक क्षेत्र पंचायत निधि की व्यय धनराशि की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने सम्बन्धी

44-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर के ब्लाक ईसानगर व धौरहरा के अन्तर्गत ब्लाक-ईसानगर कैम्पस व ब्लाक कैम्पस के बार क्षेत्र पंचायत निधि का वर्ष 2018 से दिनांक 11-11-2019 तक किस मद पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? उक्त कार्यों में व्यय किये गये धन का दुरुपयोग व धांधली किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड धौरहरा के अन्तर्गत ब्लाक कैम्पस में क्षेत्र पंचायत निधि से मार्च, 2018 से दिनांक 11-11-2019 तक धनराशि रु0 57,82,485.00 से 21 कार्य कराये गये हैं तथा कैम्पस के बाहर कोई कार्य नहीं कराया गया है।

विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ब्लाक कैम्पस में क्षेत्र पंचायत निधि से वर्ष 2018 से दिनांक 11-11-2019 तक धनराशि रु0 43,15,591.00 से 10 कार्य कराये गये हैं। मदवार विवरण संलग्न है।

धनराशि के दुरुपयोग व धांधली किये जाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 188 पर।

जनपद गोण्डा के बभनजोत, छपिया व मनकापुर में प्राथमिक विद्यालयों में कायाकल्प योजनान्तर्गत स्कूलों की रंगाई, पुताई व टाइल्स आदि लगाये जाने सम्बन्धी

45-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के छपिया/बभनजोत मनकापुर में प्रा0 विद्यालय में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत स्कूलों की रंगाई, पुताई, टाइल्स आदि का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-छपिया, बभनजोत व मनकापुर के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्कूलों की रंगाई, पुताई का कार्य समग्र शिक्षा अभियान के कम्पोजिट स्कूल ग्रांट मद से व पंचायती राज विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें-स्कूलों की रंगाई-पुताई टाइल्स आदि का कार्य ''आपरेशन कायाकल्प'' योजना के अन्तर्गत करवाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की समस्त ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी

46-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद गोण्डा में कुल 1,054 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 1,815 राजस्व ग्राम हैं। जनपद में कुल 83 पाइप पेयजल योजनाएं अनुरक्षणाधीन हैं, जिनमें 98 ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा 74 पाइप पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिससे कुल 135 ग्राम आच्छादित हैं। इस प्रकार जनपद के कुल 233 ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1,582 राजस्व ग्रामों में कुल 45,597 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इस प्रकार 1,582 ग्राम पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से संतृप्त हैं।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ''हर घर नल से जल'' योजना की नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम वेदौली में अनुसूचित जाति की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने विषयक

47-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की तहसील मनकापुर के ग्राम वेदौली में अनुसूचित जाति की भूमि गाटा सं0-85 व 86 पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन के कब्जे को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम वेदौली में अनुसूचित जाति की भूमि गाटा सं0-85 व 86 पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। गाटा संख्या-85 व 86 खातेदार कनिकराम पुत्र रामबुझारत व श्रीमती शान्ति देवी पत्नी जगदीश प्रसाद अनुसूचित जाति के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है तथा उक्त खातेदार का ही उक्त भूमि पर कब्जा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र छजलैट में कुछ चिन्हित स्थानों पर गांगन नदी पर चेकडैम बनाने के सम्बन्ध में

48-श्री राजेश कुमार सिंह चुन्नू-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र छजलैट में कुछ चिन्हित स्थानों पर गांगन नदी पर चेकडैम बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बाढ़ पीड़ित विस्थापितों को पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में

49-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ पीड़ित विस्थापितों को पुनर्वासित किये जाने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो जनपद अयोध्या में

तहसीलवार कितने बाढ़ पीड़ितों को पुनर्वासित कर दिया गया है और कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रदेश में तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापितों को पुनर्वासित किये जाने हेतु भूमि क्रय कर निःशुल्क आवंटन किये जाने का प्राविधान शासनादेश संख्या-2010/एक-10-2012-33(37)/2012 टी0सी0-1, दिनांक 31-07-2012 द्वारा किया गया है।

जनपद अयोध्या की किसी भी तहसील में कोई बाढ़ से विस्थापित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनपद अयोध्या में दैवीय आपदा से पीड़ित परिवारों को मुख्य मंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने विषयक

50-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैवीय आपदा से पीड़ित परिवारों को मुख्य मंत्री आवास दिये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में कितने दैवीय आपदा से पीड़ित परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है और कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष पीड़ित परिवारों को उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हां।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में कुल 184 दैवीय आपदा से पीड़ित परिवारों को मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण से लाभान्वित कराया गया है एवं 400 परिवार लाभान्वित किये जाने शेष हैं।

जी हां।

मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मार्ग निर्देश के अनुसार दैवीय आपदा से प्रभावित पात्र परिवारों को योजनान्तर्गत आवास दिये जाने की प्रक्रिया लक्ष्य/धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

शारदा सहायक पोषक (इन्दिरा नहर) की पटरी पर सड़क मार्ग के किनारे सुरक्षा दीवार बनवाने के सम्बन्ध में

51-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर ''एडवोकेट''-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की फसलों की सिंचाई के लिये बनी शारदा सहायक पोषक (इन्दिरा नहर) की पटरी पर सड़क मार्ग के किनारे सुरक्षा दीवार न होने के कारण दर्जनों हादसे हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर पटरी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

जी हां।

परियोजना की स्वीकृति तथा धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्रामों में राजकीय नलकूप स्थापित करने विषयक

52-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर ''एडवोकेट''-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित मोहनलालगंज स्थित विकास खण्ड के ग्राम करनपुर, शिवपुरा, रामपुरा, कमालपुर विचिलक, शेखनखेड़ा, ब्रहमदासपुर में राजकीय नलकूप स्थापित करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार जनपद लखनऊ स्थित मोहनलालगंज विकास खण्ड के ग्राम करनपुर, शिवपुरा, कमालपुर विचिलक, ब्रह्मदासपुर में राजकीय नलकूप लगाया जाना साध्य है। ग्राम शेखनखेड़ा नहरी कमाण्ड में होने के कारण ग्राम में राजकीय नलकूप लगाया जाना साध्य नहीं है।

इसी क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्तमान में प्रचलित डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-2020 में जनपद लखनऊ में 02 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना है, जिनके स्थलों (विकास खण्ड-बक्शी का तालाब के ग्राम-लुधौली तथा विकास खण्ड-माल के ग्राम-टीकर मजरा ससपन) का चयन जिला नलकूप स्थल चयन समिति द्वारा कर लिया गया है एवं नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत ग्रामों में राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज के मऊ, करनपुर, निगोहा समेत कई ग्रामों में डाली गई खराब पाइप लाइन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

53-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर ''एडवोकेट''-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के मऊ, करनपुर, निगोहां, समेसी सहित अन्य गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजना में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त गांवों में बनी सड़कों/सी0सी0, खड़न्जा आदि को खोद कर खराब पाइप लाइन डाले जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत मऊ, समेसी, निगोहां एवं करनपुर आदि ग्रामों में एकल ग्राम पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजना में स्वच्छ पेयजल वितरण हेतु ग्रामों में सड़कों को खोद कर पाइप बिछाने व टेस्टिंग आदि का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सड़कों का पुनः स्थाईकरण कार्य किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन टेस्टिंग हो गई है वहां पर सड़क पुनर्निर्माण का कार्य करा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों में टेस्टिंग के उपरान्त पुनर्निर्माण कराया जाना लक्षित है। प्रश्न में उल्लिखित स्थल में प्रयुक्त पाइप की गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मानक के अनुरूप पाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ स्थित मोहनलालगंज के विकास खण्ड गोसाईगंज के ग्राम हबुआपुर, पुलारमऊ, रिकनियामऊ में नहर माइनर खोदाई विषयक

54-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर ''एडवोकेट''-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित मोहनलालगंज के विकास खण्ड गोसाईगंज के ग्राम हबुआपुर, पुलारमऊ, रिकनिया मऊ में नहर माइनर की खोदाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित कासिमपुर तहसील मधुबन के गाटा संख्या-82 चकनाली व गाटा संख्या-81 डीह का सीमांकन कर अवैध कब्जे से भूमि को मुक्त कराये जाने विषयक

55-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ग्राम-कासिमपुर, तहसील-मधुबन में गाटा संख्या-82 चकनाली व गाटा संख्या-81 डीह का राजस्व टीम द्वारा दिनांक 04-09-2019 को लगाये गये सीमांकन खूंटा को अवैध कब्जेदार द्वारा उखाड़ कर फेंक दिये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम कासिमपुर, तहसील मधुबन के गाटा सं0-81 रकबा 0.0120 हे0 डीह स्थान व गाटा संख्या-82 रकबा 0.0170 हे0 नाली के नाम से खतौनी में दज है। पूर्व में सीमांकन कराया गया था, जो गलत था। ग्रामवासी मधुबन एवं उप जिलाधिकारी, मधुबन के समक्ष सीमांकन कर मेड़बन्दी कर दी गई है। गलत सीमांकन करने वाले राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण करने वालों को सख्त निर्देश दिया गया है कि यदि मेड़बन्दी तोड़ी गई तो एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ, तहसील मधुबन अन्तर्गत ग्राम कासिमपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय आवंटन के नाम पर धनराशि के दुरुपयोग की जांच कराये जाने विषयक

56-श्री पारसनाथ यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के तहसील-मधुबन अन्तर्गत ग्राम-कासिमपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय के आवंटन में अपात्रों को शौचालय का आवंटन तथा चयनित ग्राम से अन्यत्र दूसरे गांव में खड़न्जा लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जी हां। उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जी हां, अतिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में पेयजल समस्या के समाधान हेतु ट्यूबवेल व ओवर हेड टैंक जाने विषयक

57-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में बढ़ती पेयजल समस्या एवं भूमिगत जल की अशुद्धियों (कतिपय स्थानों पर) के कारण सरकार मीठे तथा अच्छे जलस्रोत वाले स्थल पर ट्यूबवेल तथा ओवर हेड वाटर टैंक स्थापित कराकर पाइप्ड जलापूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बांदा में कुल 23 ग्राम [अहार, बड़ागांव, हरदौली, मिलाथू, बडेहा, बसहरी, डिंगवाही, झखौरा, जमालपुर, कमनौडी, कुंवरपुर, महोखर, पल्हरी, पडुई, पिपरी (मटौंध), पारा, पुनाहुर, सिंहपुरमाफी, महबरा, पडेरी, बीरा, लोहरा एवं बरुवा स्योढा] गुणता प्रभावित हैं, जहां पर हैण्डपम्पों का पानी खारा होने के कारण सभी 23 ग्रामों में ग्रामीण पाइप पेयजल योजना (गहरे नलकूप व ओवर हेड वाटर टैंक) के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

इसके अतिरिक्त ''बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना'' के अन्तर्गत जनपद बांदा के समस्त ग्रामों को मार्च, 2022 तक पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं, विकास खण्ड दातागंज व म्याऊं में बाढ़ से बहे प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

58-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज व म्याऊँ में बाढ़ के कारण ग्राम नवादा वदन एवं सेमरिया-वेंदूखाम के प्राथमिक विद्यालयों के भवन बह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण कराकर संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज व म्याऊं में बाढ़ के कारण ग्राम नवादा वदन एवं सिमरिया तेंदूखाम के प्राथमिक विद्यालय भवन वर्ष 2011 में आई बाढ़ में बह गये हैं।

प्राथमिक विद्यालय नवादा वदन, ग्राम नवादा वदन में संचालित हैं, जहां 02 अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनवाये जा चुके हैं। प्राथमिक विद्यालय सिमरिया, तेंदूखाम-ग्राम सिमरिया में कोई पंचायत घर न होने के कारण ग्राम प्रधान द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर अस्थाई व्यवस्था कर विद्यालय संचालित है।

बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं, विकास खण्ड समरेर के ग्राम खेरहा विछलिया व दातागंज ग्राम नौनी, नगरिया आदि के किसानों की भूमि का सीमांकन कराकर लाभार्थियों को कब्जा दिलाये जाने विषयक

59-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विकास खण्ड समरेर के ग्राम सिरहा विछलिया एवं विकास खण्ड दातागंज के ग्राम नौनी तथा नगरिया खनु एवं विकास खण्ड औसावा के ग्राम खजुरा खाम एवं खजुरा पुख्ता तथा जटाजाही के किसानों की भूमि गंगा नदी के कटान के कारण अव्यवस्थित होने से भू-माफियाओं के द्वारा वर्तमान समय में कब्जा कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमियों का सीमांकन कराकर लाभार्थी किसानों को कब्जा दिलायेगी एवं संलिप्त भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बदायूं के ग्राम सेहरा खाम, सेहरा विछलिया, नगरिया खनू, नौनी जनपद बदायूं एवं बरेली की सीमा पर बहने वाली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, जबकि ग्राम खजुरा पुख्ता, जटा जाटी जनपद बदायूं एवं फर्रुखाबाद की सीमा पर बहने वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। आये दिन इन दोनों नदियों की धारा बदलते रहने के कारण किसानों के खेत की सीमा (मेड़) नष्ट हो जाती है तथा इस कारण किसानों की भूमि के सीमांकन का कुछ विवाद रहता है। उपरोक्त ग्रामों की भूमि के सीमांकन की समस्या के समाधान हेतु राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भू-लेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के द्वारा इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन के माध्यम से सर्वेक्षण/पैमाइश का कार्य जनपद बदायूं एवं बरेली की संयुक्त राजस्व टीम के साथ प्रारम्भ कर दिया गया है। शीघ्र ही उपरोक्त ग्रामों में सर्वेक्षण/पैमाइश विधिवत् करके इस समस्या का समाधान कर दिया जायेगा और किसानों की भूमि पर किसी प्रकार अवैध कब्जेदारों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह कार्य दो माह में पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के खरगापुर ग्राम सभा के के0टी0डी0 स्कूल के सामने मार्ग के निर्माण/पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

60-श्री सुखदेव राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के खरगापुर ग्राम सभा के के0 टी0 डी0 स्कूल के सामने से कौशलपुरी पुलिस चौकी, डॉ0 विनोद कुमार के घर से साहू आटा चक्की तक के मार्ग का निर्माण जून, 2007 में तथा खरगापुर मेन रोड (बघेल ट्रेडर्स) से आरकिड्स स्कूल (बचपन स्कूल) तक के मार्ग का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की पुनः मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत मार्गों की पुनः मरम्मत के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा एवं सदन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर यू0जी0सी0 की रोक हटाकर अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग के लोगों की नियुक्ति सम्बन्धी

61-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) की रोक हटाकर अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुये शत-प्रतिशत नियुक्तियां किसी निश्चित समयावधि से करेगी ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) की रोक प्रभावी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा-यू0पी0 सीमा विवाद के हल हेतु विधान सभा क्षेत्र कैराना में खतौनी बनाने विषयक

62-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी के बहाव से उत्पन्न हरियाणा-यू0पी0 सीमा विवाद को हल करने हेतु दीक्षित अवार्ड के अनुसार विधान सभा क्षेत्र कैराना के

कितने ग्रामों में खतौनी बनाने का कार्य चल रहा है तथा उसे पूर्ण कराये जाने की समय-सीमा क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद शामली में यमुना नदी के बहाव से उत्पन्न हरियाणा राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य सीमा विवाद को हल करने हेतु दीक्षित अवार्ड के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कैराना के कुल 16 ग्रामों में खतौनी बनाने का कार्य चल रहा है। सीमा पर चिन्हांकन का कार्य सर्वे आफ इण्डिया, चण्डीगढ़ द्वारा किया जाना है जो अभी तक नहीं हो पाया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली, विधान सभा कैराना, ग्राम तीतरवाड़ा के कोट पत्ती तालाब को ओवरफ्लो होने से रोकने विषयक

63-श्री नाहिद हसन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तीतरवाडा, विधान सभा क्षेत्र कैराना, जनपद शामली के कोट पत्ती तालाब को ओवरफ्लो होने से रोकने के लिये तालाब खुदवाने, दीवार बनवाने तथा ड्रेनेज हेतु नाला सरकार बनवायेगी ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम पंचायत तीतरवाड़ा के कोट पत्ती स्थित तालाब में वर्तमान में ओवरफ्लो की कोई समस्या नहीं है। तालाब में पानी भरने का मुख्य कारण ग्रामवासियों द्वारा समर्सेबिल के माध्यम से पानी का अत्यधिक दोहन कर प्रयोग करना है, जिसको रोकने के लिये ग्रामवासियों को प्रेरित किया जा रहा है, समय-समय पर ग्राम पंचायत के माध्यम से तालाब की निकासी भी कराई जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा तालाब का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दीवार का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है तथा नाला निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के पास सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में अध्यापकों की कमी वाले जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

64-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अध्यापकों की कमी तथा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण नीति के तहत अध्यापकों का स्थानान्तरण अन्य जनपद में किये जाने पर उनके रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं किये जाने से पठन-पाठन में काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमी को दूर करने हेतु रिक्त स्थानों पर अध्यापकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

तदैव।

शासनादेश संख्या-1267/68-5-2018, दिनांक 18-8-2018 द्वारा 68500 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, जिसके सापेक्ष 46298 अध्यापक नियुक्त हुए।

शासनादेश संख्या-2056/68-4-2018, दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 द्वारा 69000 रिक्त पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, जो सम्प्रति मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैण्डपम्पों से दूषित पानी आने की समस्या का समाधान व खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने हेतु

65-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे अधिकांश हैण्डपम्प खराब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित कर रि-बोर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015, दिनांक 19 जून, 2017 के निर्देशानुसार हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है।

जनपद स्तर से प्राप्त आनलाइन रिपोर्ट के आधार पर 01 अप्रैल, 2019 से अब तक 90,994 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य थे, जिसके सापेक्ष इस कार्य को उच्च प्राथमिकता पर लेते हुए 83,296 रि-बोर कराये गये हैं।

इस प्रकार रिबोर योग्य 91.54 प्रतिशत हैण्डपम्पों का रि-बोर करा लिया गया है। शेष हैण्डपम्पों का रि-बोर ग्राम पंचायतें आवश्यकतानुसार धनराशि की उपलब्धता एवं कार्य योजना के आधार पर प्राथमिकता पर करा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों के पदावनत शिक्षकों को पुनः प्रोन्नत किये जाने विषयक

66-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को वैध मानने के पारित आदेश दिनांक 26-09-2018 तथा 10-05-2019 के अनुपालन में आजमगढ़ के शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय के 27-08-2018 को पदावनत 1054 शिक्षकों को सरकार पुनः प्रोन्नत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

विधि परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रवण कुमार पूर्व माध्यमिक विद्यालय कतरारी महराजगंज के कर्मचारियों के भुगतान के सम्बन्ध में

67-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रवण कुमार पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कतरारी, महराजगंज के कतिपय 21 शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का आडिट आपत्ति समाप्त होने के उपरान्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऑडिट आपत्ति के निराकरण न होने, शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद सृजन, नियुक्ति नियमावली के विपरीत होने के कारण एवं प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण।

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के एन0एच0 24 स्थित रामा हास्पिटल एवं मेडिकल कालेज में डाक्टरों की लापरवाही की जांच कराने एवं दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने विषयक

68-श्री असलम अली-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धौलाना विधान सभा क्षेत्र जनपद हापुड़ के एन0एच0-24 पर स्थित रामा हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कालेज में पिछले 2 वर्षों में डॉक्टरों की लापरवाही से लगभग 25 मौत हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रामा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही की जांच कराकर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लापरवाही से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संचालित/नियंत्रित करने वाली प्राचीन व नवीन नियमावली सम्बन्धी

69-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नियंत्रित व संचालित करने वाली प्रबन्ध समितियों के गठन हेतु वर्तमान में कौन सी नियमावली लागू हैं ? क्या सरकार उक्त हेतु शिक्षा के अधिकार कानून (आर0टी0ई0 ऐक्ट) के अनुसार नवीन नियमावली बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट-1860 एवं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978

सम्प्रति कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चित्रकूट, जालौन व औरैया जनपदों के विद्यालयों में गोवंशों को बन्द किये जाने से छात्रों को होने वाली हानि सम्बन्धी

70-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चित्रकूट, जालौन तथा औरैया जनपद के भाग्यनगर विकास खण्ड के सहायपुर सहित कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में सैकड़ों गौवंशों को बन्द करने से क्षेत्रीय छात्रों का पठन-पाठन नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

ग्रामीणों द्वारा विरोधस्वरूप कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में गौवंशों को बन्द कर दिया गया था, जिसे खाली कराकर विद्यालय में पठन-पाठन कराया जा रहा है। जनपद चित्रकूट एवं उरई में तत्काल विद्यालय खाली करा दिया गया था तथा जनपद औरैया में एक दिन पश्चात् विद्यालय खाली हुआ।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों/कर्मचारियों का समायोजन छात्रों की संख्या अनुरूप किये जाने सम्बन्धी

71-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त अधिसंख्य शिक्षकों व कर्मचारियों का समायोजन अन्य विद्यालयों व कार्यालयों में छात्र संख्या के अनुरूप करने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? क्या शिक्षकों व कर्मचारियों का डाटाबेस मानव संपदा पोर्टल में फीड कराये जाने की योजना भी बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार योजना का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

जी हां।

निदेशालय के पत्र संख्या-सामान्य(1)बेसिक/837-39/2019-20, दिनांक 14-11-2019 द्वारा समस्त मण्डलीय सहायक शिखा निदेशक (बेसिक) व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्तवत्।

प्रदेश के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सह शिक्षा व पुरुष अध्यापकों की नियुक्ति विषयक

72-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित सहायता प्राप्त कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सह शिक्षा प्रारम्भ किये जाने तथा उक्त हेतु महिला शिक्षिकाओं की अनिवार्यता खत्म करने व पुरुष अध्यापकों की नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

प्रदेश में संचालित सहायता प्राप्त कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चयन के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 में पुरुष/महिला का वर्गीकरण नहीं किया गया है।

तदैव।

जनपद प्रतापगढ़ के कालाकांकर ब्लाक में मनरेगा धनराशि की अनियमितता की जांच व दोषियों को दण्डित कराये जाने विषयक

73-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के कालाकांकर ब्लाक में मनरेगा की धनराशि निजी खातों में डालकर अनियमितता किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक कालाकांकर में मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद की धनराशि अपने परिवार के सदस्य की फर्म में भेजे जाने के प्रकरण की जांच जनपद स्तर पर गठित 03 सदस्यीय टीम से कराई जा रही है। जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में राप्ती नदी के कारण जल जमाव से किसानों को होने वाली हानि के समाधान हेतु कार्ययोजना के सम्बन्ध में

74-श्री पल्टूराम-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में राप्ती नदी के दोनों तरफ विभिन्न स्थानों पर रेगुलेटर इत्यादि का निर्माण न होने के कारण बाढ़ एवं बरसात के पानी से जलभराव के कारण किसानों की हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में राप्ती नदी के किनारे लो लैण्ड होने के कारण वर्षा में जल भराव की समस्या हो जाती है।

राप्ती नदी के दायें एवं बायीं तरफ तटबन्ध बनाये गये हैं, जिनमें कुछ जगहों पर गैप बने हुए हैं। बलरामपुर-भड़रिया तटबन्ध पर 04 अदद रेगुलेटर निर्माण की परियोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना साध्य पाये जाने पर सम्बन्धित समितियों की स्वीकृति के उपरान्त धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत नव्वागांव में गाटा सं0-67/0.644 को कब्जा मुक्त कराये जाने विषयक

75-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत नव्वागांव में गाटा सं0-67/0.644 एअर खलिहान की जमीन पर मकतब/मदरसा बना कर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद गोण्डा की तहसील-मनकापुर के ग्राम नव्वागांव, परगना बूढापायर स्थित प्रश्नगत खलिहान भूमि गाटा संख्या-67/0.6440 हे0 का मौके पर स्थलीय जांच किया।

ग्राम नव्वागांव स्थित गाटा संख्या-67/0.6440 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में खलिहान दर्ज है। उक्त खलिहान गाटा संख्या के 126 वर्ग मी0 भूमि पर मो0 रईश पुत्र मो0 जमा द्वारा मदरसा अहले सुन्नत हिदायतुलउलूम बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जिनके विरुद्ध उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-67 (1) के अन्तर्गत तहसीलदार मनकापुर के न्यायालय पर बेदखली वाद संख्या-टी2019083007047242019 सरकार बनाम मो0 रईश योजित है। इसके अतिरिक्त उक्त अतिक्रमणी के विरुद्ध स्थानीय थाना छपिया में सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम-1974 की धारा-3 (2) क के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक-273/2019, दिनांक 01-10-2019 को दर्ज करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत राघव बस्ती में रिजर्व भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने विषयक

76-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की तहसील मनकापुर ग्राम पंचायत राघव बस्ती में रिजर्व जमीन अनुसूचित जाति आबादी व खाद गड्ढा को भू-माफियाओं द्वारा तहसील कर्मचारियों से मिल कर उक्त जमीन पर मकान बना लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम बस्ती राघव, परगना बूढ़ापायर में रिजर्व जमीन अनुसूचित जाति आबादी व खाद गड्ढा का मौके पर स्थलीय जांच किया गया। जांचोपरान्त पाया गया कि रिजर्व अनुसूचित जाति आबादी की भूमि खाली है।

खाद गड्ढा की भूमि गाटा संख्या-4/0.0080 हे0, 297/0.0810 हे0 व गाटा संख्या-258मि0/0.0160 हे0 भूमि मौके पर खाली है तथा गाटा संख्या-258मि0/0.0160 हे0, 263मि0/0.0160 हे0 पर श्री इश्तियाक अहमद पुत्र तहसीलदार द्वारा मकान की बाउण्ड्रीवाल बनाकर पेड़ लगा दिया गया है तथा गाटा सं0-226मि0/0.0180 हे0 पर इस्तियाक अहमद पुत्र तहसीलदार व गाटा सं0-226मि0/0.0180 हे0 पर इरशाद पुत्र इनामुल्लाह द्वारा अवैध कब्जा किया गया है जिसके विरुद्ध उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-67(1) के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार, मनकापुर पर वाद विचाराधीन है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बैठने हेतु बेंच की व्यवस्था किये जाने विषयक

77-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिये बेंच की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

वर्ष 2019-20 में अवस्थापना मद में रु0 500.00 करोड़ (पांच सौ करोड़ मात्र) की धनराशि प्राविधानित है, जिससे परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के बैठने के लिये डेस्क-बेंच की व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना प्रक्रिया में है। धनराशि उपलब्ध होने पर नियमानुसार डेस्क-बेंच की व्यवस्था कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत गांवों में शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण कराये जाने विषयक

78-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रण्ट, घारीघाट, केशवनगर ग्रण्ट, अल्लीपुर बक्सरिया ग्रण्ट, दौलतपुर ग्रण्ट, जगन्नाथपुर ग्रण्ट विकास खण्ड बभनजोत में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत गांवों में शत-प्रतिशत शौचालय का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां। जनपद गोण्डा में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे-2012 तथा भारत सरकार/उ0प्र0 के निर्देशानुसार बेसलाइन सर्वे-2012 से छूटे/वंचित परिवारों हेतु ग्राम पंचायत-केशवनगर ग्रण्ट में लक्ष्य-1635 के सापेक्ष 1635, ग्राम पंचायत-कूकनगर ग्रण्ट में लक्ष्य 1152 के सापेक्ष 1152, ग्राम पंचायत-घारीघाट में लक्ष्य 916 के सापेक्ष 916, ग्राम पंचायत-अल्लीपुर में लक्ष्य 506 के सापेक्ष 506, ग्राम पंचायत-बक्सरिया ग्रण्ट में लक्ष्य 484 के सापेक्ष 484, ग्राम पंचायत-दौलतपुर ग्रण्ट में लक्ष्य 658 के सापेक्ष 658, ग्राम पंचायत-जगन्नाथपुर ग्रण्ट में लक्ष्य-555 के सापेक्ष 555 शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जोकि लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत है।

उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों से छूटे हुए लाभार्थियों की फीडिंग का कार्य एन0ओ0एल0बी0 के अन्तर्गत किया जा रहा है। जिसमें ग्राम पंचायत-केशवनगर ग्रण्ट में 321, ग्राम पंचायत-कूकनगर ग्रण्ट में 567 तथा ग्राम पंचायत-घारीघाट में 204, ग्राम पंचायत-अल्लीपुर में 23, ग्राम पंचायत-बक्सरिया ग्रण्ट में 13, ग्राम पंचायत-दौलतपुर ग्रण्ट में 90, ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर ग्रण्ट में 18 लाभार्थियों के फीडिंग का कार्य कराया जा चुका है।

उपरोक्त शौचालय निर्माण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा विधान सभा क्षेत्र गौरा के विकास खण्ड छपिया व बभनजोत में सरकारी जमीन पर राजकीय महाविद्यालय बनवाये जाने विषयक

79-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के गौरा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड छपिया अथवा बभनजोत में उपलब्ध सरकारी जमीन पर राजकीय महाविद्यालय सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में कुल 04 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, विकास खण्ड छपिया में 01 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 06 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया व बभनजोत में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का अवसर नहीं है।

प्रदेश में एस0सी0/एस0टी0 के दर्ज जनपदवार मुकदमें व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सम्बन्धी

80-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01-01-2019 से दिनांक 13-11-2019 तक कितने मुकदमें जनपदवार एस0सी0/एस0टी0 के दर्ज किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है ? क्या सरकार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में 01-01-2019 से 15-11-2019 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जनपदवार कुल 10629 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

उक्त अभियोगों में संलिप्त कुल 30207 अभियुक्त नामजद/प्रकाश में आये जिनमें से 20276 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा 9943 अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु शेष हैं।

अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये विधिनुकूल कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम प्रधानों द्वारा वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितता पर प्रधानों के साथ ही पंचायत सचिवों के विरुद्ध भी कार्यवाही किये जाने विषयक

81-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितता करने पर प्रधानों के साथ-साथ पंचायत सचिवों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 में निहित प्राविधानों के तहत वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता करने पर प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तथा साथ ही साथ ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध ''उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999'' के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही, विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर तहसील में ग्राम छेदुआ में गंगा नदी से हो रही कटान को रोकने हेतु योजना बनाये जाने विषयक

82-श्री विजय मिश्र-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के तहसील ज्ञानपुर में ग्राम सभा छेदुआ में गंगा नदी से हो रही कटान से रोकथाम के लिये कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के तहसील ज्ञानपुर में ग्राम सभा छेदुआ में गंगा नदी से हो रही कटान की रोकथाम के लिये एक कटाव निरोधक परियोजना तैयार की जा रही है। परियोजना के सक्षम स्तर से स्वीकृति होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद तहसील अन्तर्गत ग्राम ढकवा के अनुसूचित जाति बस्ती में जल निकासी के सम्बन्ध में

83-श्री संजय गर्ग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की मलिहाबाद तहसील अन्तर्गत ग्राम ढकवा के अनुसूचित जाति बस्ती (पश्चिमी टोला) में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर जलभराव की समस्या बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जलभराव की समस्या के निदान के लिये जल निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-35 के सरकार द्वारा दीवार हटाकर अवरुद्ध मार्ग/देव स्थान को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

84-श्री संजय गर्ग-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-35 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि श्रेणी-6(2) में दर्ज भूमि जो देव स्थान तथा सार्वजनिक रास्ते के रूप में प्रयोग की जा रही है, को किसी

व्यक्ति विशेष द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नवनिर्मित दीवार को गिरा कर अवरुद्ध मार्ग तथा देव स्थान को कब्जे से मुक्त कराने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा कराई गई। जांच में पाया गया कि ग्राम परसऊ, परगना व तहसील रुदौली, जनपद अयोध्या में पुरानी आबादी श्रेणी-6(2) सार्वजनिक रास्ते पर राम मूरत पुत्र गिरधारी लाल द्वारा अपने घर के पास चार फीट की पक्की दीवार बनाकर रास्ते को बाधित किया गया है तथा उसी रास्ते में आगे चलने पर प्राचीन बरगद का पेड़ है। जहां पर अनिल वर्मा पुत्र ईश्वरदयाल वर्मा द्वारा लगभग तीन फीट की पक्की दीवार बनाकर एवं घनश्याम पुत्र रामधनी द्वारा प्राचीन बरगद के पेड़ के पास ही घूर लगा कर रास्ते को बाधित करने का प्रयास किया गया है उक्त बरगद के पेड़ के दूसरी तरफ पुराना मन्दिर का रास्ता भी बाधित हुआ है।

अतः पुरानी आबादी श्रेणी-6(2) सार्वजनिक रास्ता पर किये गये अतिक्रमण को नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित राजस्व एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर पहुंच कर ग्राम व अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में अवरोध हटवा कर खाली करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम बगथरी से होकर जाने वाली शारदा नहर पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक

85-श्री दिनेश चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम बगथरी से होकर जाने वाली शारदा नहर पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की स्वीकृति व धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, ब्लाक केराकत, ग्राम पलिया शारदा नहर पर स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने सम्बन्धी

86-श्री दिनेश चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक केराकत के ग्राम पलिया में शारदा नहर पर स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

जी हां।

क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की स्वीकृति व धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र केराकत के गौराबादशाहपुर पुलिस चौकी से ग्राम सोनारी, अमरा, असवारा के आजाद नगर जाने वाले मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

87-श्री दिनेश चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत गौराबादशाहपुर के पुलिस चौकी से ग्राम सोनारी, अमरा असवारा होते हुये आजाद नगर जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत स्थित शारदा नहर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने सम्बन्धी

88-श्री दिनेश चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत स्थित शारदा नहर में टेल तक पानी न पहुंचने के कारण किसानों को फसल सिंचाई में

समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर में टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 31-12-2019 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर ग्राम सभा समगरा अन्तर्गत स्थित नलकूप को ठीक कराये जाने सम्बन्धी

89-श्री पल्टूराम-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के विकास खण्ड बलरामपुर को ग्राम सभा समगरा अन्तर्गत स्थित नलकूप बी0एल0जी0-217 खराब होने से उक्त क्षेत्र के किसानों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नलकूप बी0एल0जी0-217 को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के विकास खण्ड बलरामपुर की ग्राम सभा समगरा अन्तर्गत स्थित नलकूप बी0एल0जी0-217 दिनांक 01-04-2018 से फेल नलकूपों की श्रेणी में है।

प्रदेश में वर्तमान में प्रचलित ''1101 असफल राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना के अन्तर्गत 01-04-2016 तक प्रदेश में असफल राजकीय नलकूपों में से 1101 राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। अतः राजकीय नलकूप संख्या-बी0एल0जी0-217 प्रचलित परियोजना की सूची में सम्मिलित न होने के कारण वर्ष 2019-2020 में राजकीय नलकूप का पुनर्निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में राजकीय नलकूपों को स्थापित कराये जाने व बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराने सम्बन्धी

90-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कुल कितने राजकीय नलकूप स्थापित हैं तथा उनमें से कितने

नलकूप वर्तमान में क्रियाशील हैं एवं कितने विद्युत/यांत्रिक खराबी के कारण बन्द हैं ? क्या सरकार किसानों की सिंचाई सुविधा के दृष्टिगत बन्द राजकीय नलकूपों को निश्चित समय-सीमा के अन्दर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद-आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कुल 52 राजकीय नलकूप स्थापित हैं। उक्त में से 16 राजकीय नलकूप क्रियाशील हैं।

दिनांक 05-12-2019 की साप्ताहिक बन्दी के अनुसार उक्त 16 नलकूपों में से 01 राजकीय नलकूप विद्युत दोष से बन्द था, जिसको दिनांक 08-12-2019 से क्रियाशील कर दिया गया है।

उक्त 52 स्थापित नलकूपों में से 32 राजकीय नलकूप खारा पानी होने एवं उपयुक्त भू-गर्भ जल की अनुपलब्धता के कारण परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं।

शेष 04 फेल राजकीय नलकूपों में से नलकूप संख्या-12 एल0जी0 ग्राम बहलोलपुर, विकास खण्ड-तरवा का पुनर्निर्माण वर्तमान में प्रचलित ''1101 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना'' के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में कराया जा रहा है। 02 फेल राजकीय नलकूपों 15 एल0जी0 एवं 13 एल0जी0 के पुनर्निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न होने एवं राजकीय नलकूप सं0-41 एल0जी0 नहर कमाण्ड में होने के कारण इन राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण नहीं कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में ग्राम पंचायतों में सोलर व स्ट्रीट लाइटें लगवाये जाने का विवरण सम्बन्धी

91-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 तथा 2019-2020 में दिनांक 13-11-2019 तक कितनी ग्राम पंचायतों में सोलर लाइटें एवं स्ट्रीट लाइटें किस-किस कम्पनी के द्वारा व कितनी-कितनी धनराशि में लगायी गयी हैं ? क्या सरकार उक्त का ग्रामवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के 03 विकास खण्ड लालगंज, तरवां एवं पल्हना है ग्राम पंचायतों में लगायी गई सोलर लाइट का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	ग्रा0पं0 की सं0 जहां सोलर लाइट स्थापित की गई है		कम्पनी का नाम	कम्पनी की प्रति इकाई दर
	ग्रा0पं0 की सं0	सोलर लाइट की सं0		
1	2	3	4	5
2017-18	62	551	अभय नरायन ट्रेडर्स	21956.00
			सुमित ट्रेडर्स बेलहाडीह, आजमगढ़	22740.00
			पवन इण्टर प्राइजेज, लालगंज	24700.00
			ओ0पी0 ट्रेडर्स	24472.00
			निखिल कान्स्ट्रक्शन	24500.00
			ग्रेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर	22500.00
			आराध्या इण्टरप्राइजेज, आजमगढ़	22500.00
			युवा शक्ति कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर	24500.00
			मां दुर्गा शक्ति ट्रेडर्स	24500.00
			मुरली यादव कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर	24500.00
			नेशनल इण्टर प्राइजेज	24822.00
			ओम साईं इण्टर प्राइजेज	24500.00
			अभय नरायन ट्रेडर्स	22435.00
			सुमित ट्रेडर्स बेलहाडीह, आजमगढ	22740.00
			पवन इण्टर प्राइजेज, लालगंज	21500.00
			ओ0पी0 ट्रेडर्स	24500.00
			निखिल कान्स्ट्रक्शन	24000.00
			ग्रेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर	22641.00
			आराध्या इण्टरप्राइजेज, आजमगढ़	22556.00

1	2	3	4	5
2018-19	58	564	युवा शक्ति कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर	24500.00
			नेशनल इण्टर प्राइजेज	22650.00
			अष्टभुजी इण्टर प्राइजेज	24500.00
			हर्ष ट्रेडर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	22650.00
			अभय नरायन ट्रेडर्स	21967.00
			आर0एस0 ट्रेडर्स महमूदगंज, आजमगढ़	21750.00
			रोहित इण्टरप्राइजेज, चन्दौली	21800.00
			सुमित ट्रेडर्स बेलहाडीह, आजमगढ	22650.00
2019-20	18	143	ज्योति इण्टर प्राइजेज	22650.00
			निखिल कान्स्ट्रक्शन	24500.00
			अष्टभुजी इण्टर प्राइजेज	22650.00
			पवन इण्टर प्राइजेज, लालगंज	21450.00
			हर्ष ट्रेडर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर	21500.00
			नवदुर्गा ट्रेडर्स	22500.00
			ओ0पी0 ट्रेडर्स	28125.00

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में नहर/माइनरों की सफाई कराकर हेड से टेल तक पानी पहुंचाने विषयक

92-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत नहरों/माइनरों की सफाई कराकर हेड से टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

दिनांक 15-12-2019 से दिनांक 31-12-2019 तक सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

93-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

[बहुत अधिक ब्योरे के आधार पर निरस्त]

आगजनी की घटनाओं पर मुआवजे की धनराशि बढ़ाये जाने सम्बन्धी

94-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में मिलने वाले मुआवजे की धनराशि अत्यन्त कम है ? यदि हां तो क्या सरकार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत उक्त मुआवजे की धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित आपदायें राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से आच्छादित हैं :-

1-हिमस्खलन	7-बाढ़
2-चक्रवात	8-ओलावृष्टि
3-बादल फटना	9-भू-स्खलन
4-सूखा	10-कीट आक्रमण
5-भूकम्प/सुनामी	11-कोहरा एवं शीतलहरी
6-आग	

उक्त दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिये जाने की मानक दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बड़ौत में जल निगम द्वारा स्थापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों का विवरण तथा बन्द पम्पों को ठीक कराये जाने सम्बन्धी

95-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में वर्तमान में जल निगम द्वारा स्थापित कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प हैं एवं कितने हैण्डपम्प खराब अवस्था में हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक/रि-बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां। बड़ौत विधान सभा क्षेत्र के 78 ग्रामों में दिनांक 31-03-2019 तक कुल 5365 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जिनमें से लगभग 08 हैण्डपम्प इस समय रि-बोर योग्य हैं। रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों को रि-बोर कराया जायेगा।

उक्त रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों को रि-बोर यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जलाशय, पोखर, नदी-नालों की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाये जाने विषयक

96-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जलाशय, पोखरे गड्ढे, नदी-नालों की भूमि पर हुये अतिक्रमण को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार खाली कराने के आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गोरखपुर नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत सुमेर, सागर, जटाशंकर चिलुआताल, महेसरा ताल, गुडधरिया नाला एवं बसिया डिय इत्यादि पोखरा, नाला पर अतिक्रमण हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाता है, वर्तमान समय में अतिक्रमण विषयक कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। सार्वजनिक भूमि पर सतत् निगरानी रखी जाती है, यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटा दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष पुत्र अशोक कुमार के पत्र में पुलिस द्वारा गलत तरीके से फंसाने के मामले पर कार्यवाही विषयक

97-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इटहिया थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती के कतिपय व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गलत तरीके से फंसाने व उच्च स्तरीय जांच कराने विषयक मा0 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री श्रीराम चौहान, उद्यान, कृषि विपणन उ0प्र0 का पत्र दिनांक 07-11-19 को अपर मुख्य सचिव गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

मा0 राज्य मंत्री जी का पत्र दिनांक 07-11-2019 तथा उसके साथ संलग्न शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराने के निर्देश अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश को पत्र दिनांक 26-11-2019 द्वारा दिये गये थे। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा शिकायतों की जांच पुलिस अधीक्षक, बस्ती से कराकर आख्या उपलब्ध कराई गई, जिसमें अभियुक्तगणों के परिवारीजनों द्वारा दुर्व्यवहार का लगाया गया आरोप असत्य पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

रतन खण्ड कालोनी, लखनऊ के पार्क सं0-10 में असामाजिक तत्वों के जमावड़ा होने पर कार्रवाई करने विषयक

98-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा, सीतापुर का पत्र दिनांक 01-11-2019 संलग्नक सहित जोकि रतन खण्ड कालोनी, लखनऊ के पार्क सं0-10 में असामाजिक तत्वों के जमावड़ा लगने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उक्त क्षेत्र में थाना आशियाना पुलिस के द्वारा सघन अभियान चलाकर शान्ति व्यवस्था रखे जाने हेतु असामाजिक व्यक्तियों को पकड़ कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए वर्तमान में कुल 10 लोगों का 151 सी0आर0पी0सी0, 18 लोगों का 34 पुलिस ऐक्ट में चालान किया जा चुका है। चौकी प्रभारी व क्षेत्र में संचालित हांक मोबाइल द्वारा भ्रमणशील रह कर लगातार गस्त व सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की तहसील झांसी के ग्राम बछौनी में मिली-भगत कर भूमि के पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में

99-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद व तहसील झांसी के ग्राम बछौनी में पूर्व प्रधानों द्वारा वर्ष 2014 में गांव के बाहर एवं अन्य प्रान्तों खासकर मध्य प्रदेश के लोगों को भूमि के पट्टे दिये जाने की शिकायत सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

की जांच कराकर उक्त पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद झांसी की तहसील झांसी के ग्राम बछौनी में वर्ष 2014 में कृषि पट्टों का आवंटन हुआ था, जिसमें शिकायत हुई थी, जिसके आधार पर पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी, झांसी के न्यायालय में वाद सं0-644/2014-कम्प्यूटरीकृत मु0सं0-डी-2014063700644 विनोद अहिरवार बनाम गनू आदि धारा-198 (4) ज0वि0अधि0 1950 विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा के बलाक जैतपुर में संचालित राजकीय बालिका इण्टर कालेज में शिक्षकों की नियुक्ति करने विषयक

100-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के जैतपुर ब्लाक में संचालित राजकीय बालिका इण्टर कालेज में जिन विषयों के शिक्षक विद्यालय में नहीं हैं, की नियुक्तियां सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अर्जुन सहायक परियोजना का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु

101-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत अर्जुन सहायक परियोजना का लम्बित कार्य सरकार कब तक पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद महोबा, बांदा एवं हमीरपुर में अर्जुन सहायक परियोजना निर्माणाधीन है, परियोजना के 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, परियोजना को मार्च, 2020 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के रायपुर व कंजड़ा तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने विषयक

102-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गोण्डा सदर अन्तर्गत रायपुर व कंजड़ा प्राचीन तालाब ड्रेजिंग न होने के कारण सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्राचीन तालाबों का जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी नहीं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गोण्डा सदर में स्थित प्राचीन तालाब रायपुर एवं कंजड़ा में पानी भरा हुआ है।

मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना में उक्त दोनों तालाबों को शामिल कराकर एवं श्रम बजट का अनुमोदन होने के उपरान्त उक्त तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019 में नहरों/माइनरों की सफाई के सम्बन्ध में

103-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में किन-किन नहरों/माइनर पर सफाई आदि पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरयू नहर खण्ड-5 बहराइच व सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा के कार्य क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में नहरों/माइनर की सफाई आदि (जिसमें चलित नहरों के पुनर्स्थापन, संचालन, रख-रखाव इत्यादि पर हुआ व्यय सम्मिलित है) पर कुल रु0 268.386 लाख का व्यय हुआ। विवरण निम्नवत् है :-

सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच-

क्र0-सं0	नहर/माइनर का नाम	व्यय की गई धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1	कोचवा माइनर	9.12
2	जगदीशपुर माइनर	7.56

1	2	3
3	प्रतापपुर रजबहा	12.41
4	सिरौली रजबहा	10.27
5	सिरौला माइनर	3.52
6	डुहरू माइनर	0.473
7	शेखापुर माइनर	0.98
8	वैनी माइनर	0.3
9	सुल्ताना माइनर	0.173
10	पातापुर माइनर	6.28
11	सोहरिया माइनर	5.96
12	बसन्तपुर माइनर	11.24
13	शिवनहा रजबहा	1.77
14	पदम पिछौड़ा माइनर	6.41
15	कलवापुर माइनर	7.66
	योग :	**84.126**

सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा-

1	इटियाथोक शाखा	70.75
2	दपौली रजबहा	51.04
3	रनियापुर रजबहा	9.67
4	गिन्धरिया रजबहा	18.69
5	पिपरा पदारथ माइनर	3.97
6	लक्खारामपुर माइनर	4.26
7	ठोरिया माइनर	3.12
8	गुरचाही माइनर	3.38
9	रोहिनीभारी माइनर	14.89
10	सेमरौना माइनर	2.81
11	ककरा मोहम्मदपुर माइनर	1.68
	योग :	**184.26**
	सम्पूर्ण योग :	**268.386**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नहरों एवं माइनरों के अधूरे निर्माण को पूरा कराने के सम्बन्ध में

104-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन सी निर्माणाधीन नहर/माइनर तथा उन पर कितना कार्य शेष है ? क्या सरकार इन नहरों/माइनर का कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच के कार्य क्षेत्र में 02 नहरें/माइनर एवं सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा के कार्य क्षेत्र में 01 नहर (कुल 03 नहरें/माइनर) निर्माणाधीन हैं। विवरण निम्नवत् है :-

सरयू नहर खण्ड-5, बहराइच

परसिया रजबहा में कुल 70.00 मीटर की लम्बाई में स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण नहर निर्माण अवशेष है।

सहजनवां माइनर में कुल 40.00 मीटर की लम्बाई में सम्बन्धित कृषक की वरासत की प्रक्रिया लम्बित होने के कारण नहर निर्माण अवशेष है।

सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा

रोहिनीभार माइनर के कि0मी0 0.320 पर वी0आर0बी0 का आंशिक निर्माण कार्य अवशेष है। उक्त वी0आर0बी0 के अपस्ट्रीम 0.305 से 0.320 के मध्य 15.00 मीटर का मात्र एक गैप है, उक्त वी0आर0बी0 के डायवर्जन के रूप में उक्त गैप का प्रयोग किया जा रहा है। वी0आर0बी0 का निर्माण पूर्ण होने पर उक्त गैप की खुदाई कराकर माइनर का कार्य पूर्ण हो जायेगा।

जी हां।

उपरोक्त नहरों/माइनरों का अवशेष कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सभी नहरों एवं माइनरों में पानी की व्यवस्था कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

105-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कौन-कौन सी नहरें/माइनर हैं जो वर्षों पहले खुदाई गयी थीं, किन्तु पानी न छोड़े जाने के कारण निष्प्रयोज्य पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी नहरों/माइनरों को पानी देकर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में निष्प्रयोज्य पड़ी नहरों/माइनरों पर खर्च धनराशि के सम्बन्ध में

106-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन निष्प्रयोज्य नहरों/माइनर की सफाई/खुदाई पर वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में किन-किन नहरों/माइनरों पर कितना धन खर्च किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में कोई भी निष्प्रयोज्य नहर नहीं है एवं न ही किसी निष्प्रयोज्य नहरों/माइनरों की सफाई/खुदाई पर कोई धन खर्च किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के अन्तर्गत तहसील भवन निर्माण के सम्बन्ध में

107-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के अन्तर्गत तहसील भवन निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था तथा इसके निर्माण की क्या लागत थी तथा कब तक इसे पूरा कराया जाना था ? क्या सरकार को जानकारी है कि अब तक तहसील भवन निर्माण कार्य पूरा

नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार तहसील भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बहराइच की नवसृजित तहसील पयागपुर के अनावासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 28-08-2016 से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में मानकीकृत लागत रु0 340.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 21-09-2016 द्वारा धनराशि रु0 170.73 लाख तथा शासनादेश दिनांक 14-12-2017 द्वारा अवशेष धनराशि रु0 170.73 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नवसृजित तहसील पयागपुर के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य दिनांक 30-11-2016 को आरम्भ हुआ। उक्त निर्माण कार्य दिनांक 31-03-2018 तक पूर्ण कराया जाना था। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, प्रखण्ड बहराइच (पैकफेड) द्वारा सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि उपयोग करने के पश्चात् राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 12-07-2019 द्वारा पुनरीक्षित लागत रु0 1001.18 लाख की मांग की गई है। पुनरीक्षित लागत रु0 1001.18 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त धनराशि की स्वीकृति के पश्चात् कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

2-जनपद बहराइच की नवसृजित तहसील पयागपुर के आवासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 28-08-2016 से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में मानकीकृत लागत रु0 264.23 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 21-09-2016 द्वारा धनराशि रु0 132.00 लाख तथा शासनादेश दिनांक 14-09-2017 द्वारा अवशेष धनराशि रु0 132.23 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नवसृजित तहसील पयागपुर के आवासीय भवन का निर्माण दिनांक 18-12-2016 को आरम्भ हुआ था। उक्त निर्माण कार्य दिनांक 31-03-2018 तक पूर्ण कराया जाना था। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, प्रखण्ड बहराइच (पैकफेड) द्वारा सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि उपयोग करने के पश्चात् राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 04-06-2019 द्वारा पुनरीक्षित लागत धनराशि रु0 640.98 लाख की मांग की गई थी। दिनांक 23-09-2019 द्वारा पुनरीक्षित लागत रु0 640.98 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अन्तर की धनराशि रु0 376.75 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। निर्माणाधीन आवासीय भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

3-जनपद बहराइच की नवसृजित तहसील मिहीपुरवा (मोतीपुर) के अनावासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत रु0 340.26 लाख के सापेक्ष रु0 110.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-1265/एक-5-2018-34/2018, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रदान की गई है। कार्यदायी संस्था लो0नि0वि0 प्रखण्ड बहराइच द्वारा दिनांक

22-06-2019 से कार्य प्रारम्भ किया गया है। लगभग 20 प्रतिशत कार्य कराया जा चुका है। निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के भारत-नेपाल सीमा पर नदी-नालों का संरक्षण करके उक्त से सिंचाई प्रबन्धन की योजना बनाये जाने विषयक

108-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल देश की सीमा पर स्थित प्रदेश के नदी-नालों का संरक्षण करके उक्त से सिंचाई प्रबन्धन की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

नेपाल एवं बिहार सीमा पर बाल्मिकी नगर में गण्डक नदी पर बैराज बनाकर मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर निकलती है जिससे जनपद महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया तथा बानगंगा नदी पर पूर्व निर्मित बैराज से जनपद सिद्धार्थनगर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जनपद सिद्धार्थनगर में आने वाले नालों पर नहर प्रणाली के अन्तर्गत 10 सागरों पर निर्माण कराकर जल संरक्षण किया जाता है, जिस पर 243.00 कि0मी0 नहरें निकलती हैं जिनसे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जनपद महराजगंज में डाण्डा बैराज बना हुआ है, जिसके अन्तर्गत 17.500 कि0मी0 की नहरें निकलती हैं, जिससे सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। रोहिन नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु ग्राम मिश्रौलिया के समीप रोहिन नदी पर एक बैराज के निर्माण की परियोजना प्रस्तावित है, जिसे व्यय वित्त समिति द्वारा कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही परियोजना पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के विकास खण्ड में वर्ष 2012-2017 तक स्वीकृत लोहिया आवासों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

109-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में विकास खण्डवार वर्ष 2012 से 2017 तक कितने ग्राम-राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम चयनित किये हैं ? क्या उक्त चयनित राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों को विकास

कार्यों से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर संतृप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012 से 2017 तक जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में 54 ग्रामों का चयन किया गया, जिनकी विकास खण्ड वार स्थिति निम्नवत् है :-

क्रम-सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2012 से 2017 तक चयनित ग्रामों की संख्या
1	कसया	07
2	मोतीचक	01
3	हाटा	24
4	पडरौना	20
5	रामकोला	02
	योग :	**54**

योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के चयनित ग्रामों में से धनाभाव के कारण 01 ग्राम को सम्पर्क मार्ग निर्माण तथा 32 ग्रामों को वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम से संतृप्त नहीं किया जा सका है। शेष कार्यक्रमों से सभी ग्राम संतृप्त हैं।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना हेतु निर्धारित पांच वर्षों की समयावधि दिनांक 31 मार्च, 2017 को पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2017 द्वारा उक्त योजना समाप्त कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में मार्च, 2012 से आज तक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

110-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में मार्च 2012 से दिनांक 20-12-2018 तक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि किन-किन परियोजनाओं हेतु कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा आवंटित धनराशि के सापेक्ष कितने कार्य पूर्ण कराये गये एवं कितने शेष हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में मार्च, 2012 से दिनांक 20-12-2018 तक कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कुल 27 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य कराये गये। उक्त कार्यों की सूची संलग्न है।†

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में कोट के पुल से निकलने वाले हसनपुर राजवहा का पानी टेल तक पहुंचाने के सम्बन्ध में

111-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 नम्बर-465526, दिनांक 28-08-2019, जोकि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में कोट के पुल से निकलने वाले हसनपुर राजवाहा का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत खरीफ-1427 फसली (वर्ष 2019-20) में हसनपुर रजवहा में दिनांक 09-07-2019 एवं रबी-1427 फसली में दिनांक 27-11-2019 को टेल फीड कराकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-ख-6, नम्बर-465527, दिनांक 28-08-2019 पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में

112-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6, नम्बर-465527, दिनांक 28-08-2019, जोकि जनपद-बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के गांव कमालपुर में स्थित राजकीय नलकूप संख्या-14 बी0बी0 पर कार्यरत कतिपय अवर अभियन्ता द्वारा नलकूप चलाने में लापरवाही बरतने, नलकूप के फर्जी आंकड़े पेश करने तथा नलकूप के लगातार खराब रहने के कारण किसानों की फसल बर्बाद होने विषयक है, उन्हें प्राप्त

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0-192 पर।

हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

नलकूप खण्ड उत्तर, बुलन्दशहर के अन्तर्गत कार्यशील राजकीय नलकूप संख्या-14बी0बी0 खरीफ-1427 फसली के दौरान दिनांक 01-04-2019 से 10-08-2019 तक लगातार सिंचाईरत् रहा है तथा मात्र दिनांक 11-08-2019 से 15-08-2019 तक की अवधि में विद्युत दोष से बन्द रहा है। नलकूप द्वारा खरीफ-1427 फसली में 986 घण्टे चलकर 16 हेक्टेयर रकबा सिंचित किया गया है। वर्तमान रबी-1427 फसली में नलकूप द्वारा दिनांक 10-12-2019 तक 375 घण्टे चलकर 17 हेक्टेयर रकबा सिंचित किया गया है। इस प्रकार उक्त राजकीय नलकूप द्वारा कृषकों को मांग के अनुरूप निरन्तर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित अवर अभियन्ता श्री शमशुद्दीन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच आख्या के आधार पर अवर अभियन्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायत मन्नीजोत बैजपुर व माडा में मवई तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक

113-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायत मन्नीजोत बैजपुर व माडा से मवई तक की सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

प्रश्नगत मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित नहीं है। अतः उक्त मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कोई कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में छपिया/बभनजोत की ग्राम पंचायत औसानी बुजुर्ग व पडरी हाथीराय की टूटी सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

114-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में छपिया, विकास खण्ड बभनजोत की ग्राम पंचायत औसानी बुजुर्ग व पडरी हाथीराय की सड़क टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा एवं सदन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोण्डा के बभनजोत में प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराये जाने विषयक

115-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में राजकीय महाविद्यालय सरकार खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में कुल 04 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का अवसर नहीं है।

116-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[2रे मंगलवार के अता0प्र0सं0-47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

117-श्री नाहिद हसन-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मथुरा में आगजनी की पंजीकृत घटनाओं एवं राहत कार्य के सम्बन्ध में

118-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मार्च, 2017 से 18-09-2019 तक घरों, दुकानों, गोदामों एवं कारखानों में आगजनी की घटनायें पंजीकृत हुई तथा उक्त आगजनी में पीड़ितों को सरकार ने क्या सहायता उपलब्ध करायी है ? क्या सरकार अवशेष पीड़ितों को सहायता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मथुरा में मार्च, 2017 से 18-09-2019 तक घरों, दुकानों, गोदामों एवं कारखानों में आगजनी के कुल 06 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिनमें सरकार द्वारा कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायता राशि दिये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

119-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा में भूमिगत जल की अशुद्धियों के कारण मीठे तथा अच्छे जल स्रोत वाले स्थल पर ट्यूबवेल तथा ओवर हेड वाटर टैंक स्थापित कराकर पाइप्ड जलापूर्ति कराये जाने विषयक

120-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में बढ़ती पेयजल समस्या एवं भूमिगत जल की अशुद्धियों के कारण सरकार मीठे तथा अच्छे जल स्रोत वाले स्थल पर ट्यूबवेल तथा ओवर हेड वाटर टैंक स्थापित कराकर पाइप्ड जलापूर्ति सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद मथुरा की ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 16,82,043 है। जनपद के कुल 10 विकास खण्डों में पेयजल का मुख्य स्रोत भू-जल है, जो अधिकांशतः खारा है। दूरस्थ स्थान पर मीठे जल के स्रोत से नलकूप बोरिंग कराकर जलापूर्ति की जाती है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित पेयजल योजनाओं में से 78 योजनाएं पूर्ण क्षमता पर एवं 87 योजनाएं आंशिक क्षमता पर क्रियाशील हैं। एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत 17 राजस्व ग्रामों की एकल पाइप पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन है, जिसमें से 05 पेयजल योजनाएं आंशिक रूप से संचालित हैं। उक्त निर्माणाधीन योजनाओं का दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति करते हुए जनोपयोगी किया जाना लक्षित है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जल सीवर मिशन के अन्तर्गत ''हर घर नल से जल'' योजना की नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

121-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी के ग्राम मखदूमपुर एवं जगनेहटा में पाइप लाइन के द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने विषयक

122-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी व सदर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मखदूमपुर एवं जगनेहटा में पूर्व निर्मित पेयजल के पानी की टंकियों से पाइप लाइन आदि की व्यवस्था कराकर स्वच्छ पेयजल सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

जनपद बाराबंकी के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बंकी में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन बड़ेल ग्राम पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत 09 मजरे यथा-बड़ेल, दरामनगर, वादीनगर, पटेलनगर, फतहाबाद, जलालपुर, मखदूमपुर, जगनेहटा एवं रफीपुर सम्मिलित है।

बड़ेल पाइप पेयजल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को जून, 2020 तक पूर्ण कराकर जलापूर्ति करते हुए जनोपयोगी किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

123-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

[मा0 आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बाराबंकी के बिभुनपुर धरमपुर मार्ग पर पड़ने वाली टूटी पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में

124-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र बाराबंकी सदर में बिभुनपुर-धरमपुर मार्ग पर 8 किमी0 के निकट धरमपुर गांव के पास

2 अदद टूटी नहरों की पुलिया का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत टूटी पुलियों की परियोजना के स्वीकृत होने एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर में माइनरों में हेड से टेल तक पानी पहुंचाये जाने विषयक

125-श्री सुभाष पासी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र की सभी माइनरों में हेड से टेल तक पानी पहुंचाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां। जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र की सभी माइनरों के हेड से टेल तक पानी पहुंचाने हेतु वर्तमान रबी फसल-1427 (वर्ष 2019-20) में माइनरों की सिल्ट सफाई कराई जा रही है। समस्त माइनरों की सिल्ट सफाई के उपरान्त नहर चलने पर टेल तक पानी पहुंचा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज विधान सभा क्षेत्र पनियारा में लक्ष्मीपुर एन0एच0-728 से लालबड़हरा बांध का उच्चीकरण व पिचिंग कार्य कराये जाने हेतु

126-श्री ज्ञानेन्द्र-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा के अन्तर्गत लक्ष्मीपुर एन0एच0-728 से लालबड़हरा बांध का उच्चीकरण एवं पिचिंग का कार्य कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद महराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर लक्ष्मीपुर रिंग बांध के कि0मी0 0.000 से किमी0 0.780 तक उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य की परियोजना लागत रु0 104.32 एवं जनपद महराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर अनन्तपुर बड़हरा तटबंध के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 7.150 तक उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना लागत रु0 3740.13 लाख उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति की 52वीं

बैठक दिनांक 02-12-2019 में प्रस्तुत की गई परन्तु सीमित धन की उपलब्धता के दृष्टिगत अनुमोदित कार्यों में शामिल नहीं किया जा सका।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज के पनियरा अन्तर्गत अकटहवा जर्दी डोमरा से एन0एच0-728 तक बन्धे का उच्चीकरण व पिचिंग कार्य कराने विषयक

127-श्री ज्ञानेन्द्र-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा के अन्तर्गत अकटहवा जर्दी डोमरा से एन0एच0-728 तक के बन्धे का उच्चीकरण एवं पिचिंग का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद महराजगंज में रोहिन नदी के बायें तट पर जर्दी डोमरा बांध के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 21.700 तक उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की परियोजना लागत रु0 8640.49 लाख उ0प्र0 बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति की 52वीं बैठक दिनांक 02-12-2019 में प्रस्तुत की गई, परन्तु सीमित धन की उपलब्धता के दृष्टिगत अनुमोदित कार्यों में शामिल नहीं किया जा सका।

उपरोक्तानुसार।

उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर तैनात अधिकारी पर की गई कार्रवाई विषयक

128-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में तैनात तत्कालीन जिला सूचना अधिकारी, जनपद बहराइच जो वर्तमान में उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ (मुख्यालय) के पद पर तैनात हैं, को अपराध शाखा एवं अनुसंधान विभाग, विकल्प खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ की जांच में दोषी पाये जाने के परिणामस्वरूप विभागीय कार्यवाही की संस्तुति/रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त तत्कालीन जिला सूचना अधिकारी, बहराइच के विरुद्ध किसी कार्रवाई का आधार एवं औचित्य नहीं पाया गया। वस्तुस्थिति से पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा एवं अनुसंधान विभाग, विकल्प खण्ड-2, गोमतीनगर, लखनऊ को अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र कार्यालय सल्टौआ गोपालगंज के आवासीय भवनों की मरम्मत कराये जाने विषयक

129-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र कार्यालय सल्टौआ गोपालपुर ब्लाक के आवासीय भवन जर्जर होने के कारण कर्मचारियों को रात्रि निवास अन्यत्र करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर जनपद बस्ती के आवासीय भवनों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हां।

जनपद बस्ती स्थित प्रश्नगत आवासीय भवन मरम्मत योग्य नहीं है, अपितु निष्प्रयोज्य करने योग्य है।

आवासीय भवनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती से नियमानुसार प्राक्कलन प्राप्त करके आवासीय भवनों के निर्माण की कार्यवाही करायी जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत ग्राम नगहरा में स्थापित जर्जर मन्दिर एवं तालाब का सुन्दरीकरण कराये जाने विषयक

130-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील रुधौली के अन्तर्गत ग्राम नगहरा में स्थापित मन्दिर एवं तालाब जर्जर एवं खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर एवं तालाब का मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम नगहरा में स्थित मन्दिर ठीक हालत में है, तालाब में वर्तमान में पानी भरा हुआ है।

ग्राम नगहरा में बना मन्दिर जर्जर स्थिति में नहीं है। ग्राम नगहरा में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने हेतु उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना में सम्मिलित है।

वर्तमान समय में तालाब में पानी भरा हुआ है। पानी सूखने के बाद तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में चयनित पी0एम0जी0एस0वाई0 2 बैंच के अन्तर्गत पांच मार्गों का निर्माण कार्य कराने विषयक

131-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में चयनित पी0एम0जी0एस0वाई0 2 बैच के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में स्वीकृत कुल 3 पैकेज के अन्तर्गत पांच मार्गों नरखोरिया से पडरी, नरखोरिया से काटेखैरा, महुआर से पोखर भीटी वाया हटवा केशवपुर रोड, डइवा से नकहा रोड, करमहिया से शाहपुर रोड स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वीकृत मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में चयनित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में चयनित कुल 03 पैकेजों के अन्तर्गत 05 मार्ग नरखोरिया से पकरी, नरखोरिया से कांटेखैरा सगरा, महुआरा से पोखर भीटी वाया हटवा केशवा पुर रोड, डंडवा से नकहा रोड, करमहिया से शाहपुर रोड की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में पैकेज संख्या यू0पी0-1582 के अधीन दो मार्गों एस0एच0-26 नरखोरिया से पकरी एवं एस0एच0-26 नरखोरिया से कांटे खैरा (सगरा) मार्ग की स्वीकृति दिनांक 31-08-2018 को प्राप्त हुई है। उक्त मार्गों पर अनुबन्ध गठित कर निर्माण कार्य दिनांक 06-12-2019 को प्रारम्भ कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर, तहसील बेहट अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा हेतु नदियों में टक्कर लगाये जाने विषयक

132-श्री नरेश सैनी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित 38 ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु नदियों के किनारों पर टक्करों को सरकार लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त एवं वित्तीय संशाधन की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर ग्राम सिंहपुर लुधौरी व बैकुण्ठपुर में बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था कराये जाने विषयक

133-श्री अभिजीत सिंह सांगा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र बिठूर की ग्राम सिंहपुर लुधौरी तथा बैकुण्ठपुर में बरसाती जलभराव के कारण क्षेत्रीय जनमानस को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में बरसात के जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हां।

जी हां।

मजरा लुधौरी से नारामऊ में एक नाला मिलता है जिसकी लम्बाई 03 कि0मी0 है। उक्त नाले पर भू-माफियाओं/असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने के उपरान्त नाले की सफाई कराकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करवा दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के बिठूर क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों के सरकारी आवासों की मरम्मत कराये जाने विषयक

134-श्री अभिजीत सिंह सांगा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र बिठूर में तैनात पुलिस कर्मियों के सरकारी आवास जर्जर हैं एवं कम संख्या में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी आवासों की संख्या बढ़ायेगी तथा पुराने भवनों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

थाना बिठूर के टाइप प्रथम के 23, टाइप द्वितीय के 03 एवं टाइप तृतीय के 01 आवास हैं, जिसमें टाइप प्रथम के 15 तथा टाइप द्वितीय के 02 आवासों के मरम्मत की आवश्यकता है, जिसकी नियमानुसार मरम्मत कराई जा रही है। अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता के सापेक्ष राजकीय आवासों के सम्बन्ध में जनपद/पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा में तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण नीति के तहत स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

135-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में स्थानान्तरण नीति के विपरीत पुलिस विभाग में कतिपय अधिकारी/कर्मचारी कई सालों से एक ही जिले में तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानान्तरण नीति के अनुरूप स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद महोबा में वर्तमान समय में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त नहीं है एवं स्थानान्तरण नीति का अनुपालन करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा के चरखारी में गरीब लोगों की बारात ठहराने हेतु बारात घर बनवाने के सम्बन्ध में

136-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के महोबा के चरखारी में गरीब लोगों को बारात रुकवाने हेतु सरकार बारात घर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं। पंचायती राज विभाग में बारात घर निर्माण की कोई योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज में रबी की फसल की सिंचाई हेतु नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने विषयक

137-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में रबी की फसल की सिंचाई हेतु नहरों में पानी न होने से किसान फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं ? यदि

हां, तो क्या सरकार जनपद प्रयागराज के नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच ब्लाक विशेश्वरगंज के प्रा0/लघु माध्यमिक विद्यालय रमनगरा की चहारदीवारी का निर्माण विषयक

138-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक विशेश्वरगंज के अन्तर्गत प्राथमिक/लघु माध्यमिक विद्यालय रमनगरा की चहारदीवारी न होने से विद्यालय में आवारा पशुओं के आने से पठन-पाठन में व्यवधान है तथा बच्चे भी असुरक्षित रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

परिषदीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी एवं गेट निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग द्वारा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत शासनादेश सं0-2706/33-3-2019, दिनांक 30-10-2019 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के ब्लाक पयागपुर के अन्तर्गत कोट बाजार पयागपुर के जर्जर पंचायत भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

139-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक पयागपुर के अन्तर्गत कोट बाजार पयागपुर का पंचायत भवन जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपरेशन कायाकल्प पुनर्निर्माण कराया जायेगा।

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा परसौना बुजुर्ग, भखलिया, महुआडीह, महुई, कछुईया व नरकटिया में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

140-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत ग्राम-सभा परसौना बुजुर्ग, भखलिया, महुआडीह, महुई कछुईया व नरकटिया में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी सरकार स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्राम पंचायत-परसौना बुजुर्ग, भरवलिया, महुआडीह, महुई, कछुईया व नरकटिया में पेयजल की आपूर्ति इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के माध्यम से की जाती है। उक्त समस्त ग्राम पंचायत पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से संतृप्त है।

ग्राम पंचायत नरकटिया आर्सेनिक से प्रभावित होने के फलस्वरूप शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने हेतु नरकटिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना स्वीकृत हो गई है, जिसकी निविदा प्रक्रिया अविलम्ब पूर्ण कर कार्यों का नियोजन करते हुए कार्य प्रारम्भ कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गत सरकार द्वारा ओ0डी0एफ0 घोषित किये गांवों के सम्बन्ध में

141-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत सरकार द्वारा ओ0डी0एफ0 घोषित किये गांवों में शौचालय नहीं होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां तो क्या सरकार ऐसे गांवों को चिन्हित कर उन गांवों को पुनः सरकार ओ0डी0एफ0 करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तो यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के नवोदय विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल को हटाकर नयी बाउण्ड्रीवाल बनवाने के सम्बन्ध में

142-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में नवोदय विद्यालय से दक्षिण तरफ रविन्द्र नगर से सपहा-हरका सम्पर्क मार्ग तक जाने वाली सड़क के बायीं पट्टी तरफ नवोदय विद्यालय व सड़क के बीच कोई खाली जमीन नहीं छूटी है जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नवोदय विद्यालय के बाउण्ड्रीवाल को हटाकर नयी बाउण्ड्रीवाल बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उक्त विद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में सर्वशिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2016-2017 व 2017-2018 में हुए व्यय के सम्बन्ध में

143-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में सर्व शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 16-17 व 17-18 में कितना धन व्यय हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में सर्व शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 16-17 व 17-18 में व्यय की गई धनराशि निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	**व्यय की गई धनराशि (रु0 में)**
2016-17	2,81,45,086/-
2017-18	2,32,75,950/-

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

144-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर में विकास खण्ड ककोड के सृजन के सम्बन्ध में

145-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6 नम्बर-465508, दिनांक 04-07-2019, जोकि जनपद बुलन्दशहर में विकास खण्ड ककोड के सृजन विषयक हैं, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

जनपद बुलन्दशहर में विकास खण्ड ककोड के सृजन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-6 के स्थान पर ख-6 नम्बर-465508 दिनांक 04-07-2019 प्राप्त हुआ है।

प्रदेश में 30 नये विकास खण्डों का सृजन पृथक-पृथक अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा किया गया था, जिसमें जनपद-बुलन्दशहर में नवसृजित विकास खण्ड ककोड भी सम्मिलित है। उक्त नवसृजित 30 विकास खण्डों के संचालन हेतु मूलभूत/अपरिहार्य अवस्थापना सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता खण्ड विकास अधिकारियों की भारी कमी एवं नवसृजित विकास खण्डों के संचालन, आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों इत्यादि पर पुनर्विचार करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 12-09-2019 द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के घारीघाट में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण के सम्बन्ध में

146-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के घारीघाट में अग्निशमन केन्द्र के लिये बजट जारी कर निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर में अग्निशमन केन्द्र की भूमि पर अस्थाई भवन में अग्निशमन केन्द्र संचालित है। स्थाई भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय/फायर सर्विस मुख्यालय स्तर पर सम्प्रति विचाराधीन है। वर्तमान में प्रत्येक तहसील में एक अग्निशमन केन्द्र का निर्णय लिया गया है एवं इसके संतृप्त होने के उपरान्त ही अन्य स्थानों पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना का कार्य किया जायेगा। अतः उसी तहसील में एक और अतिरिक्त अग्निशमन केन्द्र (गोण्डा के घारीघाट में) की स्थापना/निर्माण का औचित्य परिलक्षित नहीं होता है।

जिला पंचायत मुरादाबाद के वार्ड क्षेत्रों से नई नगर पंचायतों का गठन हो जाने से उत्पन्न संवैधानिक विसंगति दूर करने हेतु पंचायतों का परिसीमन करने के सम्बन्ध में

147-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत मुरादाबाद के वार्ड क्षेत्रों में नई नगर पंचायतों का गठन हो जाने, जिला व क्षेत्र पंचायत के वार्डों एवं ग्राम पंचायतों की सीमाएं दो जिलों में विभक्त होने से उत्पन्न संवैधानिक विसंगति दूर करने हेतु आगामी पंचायत चुनाव से पूर्व त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन आवासहीन व्यक्तियों के आवास बनवाये जाने विषयक

148-श्री नाहिद हसन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 2017 से दिनांक 12-11-2018 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन आवासहीन व्यक्तियों के लिये कितने आवास बनवाये जा चुके हैं तथा कितने आवास बनवाये जाने शेष हैं तथा उन्हें कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अप्रैल, 2017 से दिनांक 12-11-2018 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के पात्र आवास विहीन व्यक्तियों के लिये 8,59,682 आवास बनवाये जा चुके हैं।

उक्त अवधि में प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत प्राप्त 11,71,852 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 3,12,170 आवास बनवाये जाने शेष थे जिसमें से वर्तमान में 2,85,768 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। अभी 26,402 आवास पूर्ण कराये जाने शेष हैं।

मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 12-11-2018 तक कुल 16,700 आवास आवंटित किये गये थे जिनके सापेक्ष वर्तमान में 16,129 आवास पूर्ण हैं। 571 आवास पूर्ण कराये जाने शेष हैं।

उक्त शेष आवासों को दिनांक 31-03-2020 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद आजमगढ़ के मार्टीनगंज ब्लाक ठेकमा के ग्राम सभा जमुआवां में तालाब पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में

149-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील मार्टीनगंज के ब्लाक ठेकमा के ग्राम सभा जमुआवां में 989 बीघे का तालाब है जिसमें लोगों ने अतिक्रमण करके अपने निजी तालाब बनाकर दबंगों द्वारा मछली पाल रखी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ की ब्लाक ठेकमा, तहसील मार्टिनगंज, ग्राम सभा जमुआवां में स्थित गाटा संख्या-1101घ क्षेत्रफल 32.398 हे0 का तालाब है, जिसकी नियमानुसार नीलामी द्वारा श्री बाबूराम बिन्द, अध्यक्ष, मत्स्य जीवी सहकारी समिति सिसवारा के नाम मत्स्य पालन हेतु आवंटित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में वर्ष 2018-19, 2019-20 में जिला नलकूप स्थल समिति द्वारा राजकीय नलकूप को स्थापित कराये जाने विषयक

150-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में डॉ0 राम मनोहर लोहिया नवीन नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनप्रतिनिधि एवं कृषकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिला नलकूप स्थल समिति द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 में कितने नवीन राजकीय नलकूपों का स्थल चयन किया जा चुका है ? क्या सरकार उक्त राजकीय नलकूपों का कार्यपूर्ण कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद मथुरा के अन्तर्गत भू-गर्भ जल खारा होने एवं 01 क्यूसेक क्षमता के राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाया जाना साध्य नहीं है।

इस क्रम में अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में जनप्रतिनिधियों एवं कृषकों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जिला नलकूप स्थल चयन समिति से नवीन राजकीय नलकूपों के स्थलों का चयन व निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कराने विषयक

151-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद-मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद-मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत भू-गर्भ जल खारा होने एवं 01 क्यूसेक क्षमता के राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाया जाना साध्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड देवा के ग्राम पीड़ से हाजी काजीपुर के आगे देवा कुर्सी मार्ग को क्रास करने वाले बरसाती नाले की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने सम्बन्धी

152-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड देवा के ग्राम पीड़ से हाजी काजीपुर से देवा कुर्सी मार्ग को क्रास करने वाले निर्माणाधीन नाले पर कतिपय प्रापर्टी डीलर द्वारा अतिक्रमण कर बनाये गये मकान को सरकार हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

देवा कुर्सी मार्ग पर ग्राम पीड़ से हाजी काजीपुर जाने वाले रास्ते पर कोई नाला निर्माणाधीन नहीं है।

प्रदेश में नदियों के कटान से लघु एवं सीमान्त किसानों को उनकी नष्ट हुई कृषि योग्य भूमि के मुआवजा के सम्बन्ध में

153-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों के कटान से लघु और सीमान्त किसानों को कृषि योग्य भूमि मुआवजा दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या बड़े किसानों को कृषि योग्य भूमि पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

नदियों के प्रवाह बदलने से भूमि के अधिकांश भू-भाग के नष्ट हो जाने पर 02 हे0 तक भूमि के स्वामित्व वाले लघु तथा सीमान्त कृषकों को उनकी नष्ट हुई भूमि के सापेक्ष रु0 37,500/- प्रति हे0 की दर से राहत सहायता प्रदान की जाती है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु मदों की सूची एवं मानक दरों के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 8-4-2015 द्वारा निर्गत गाइड लाइन के प्रस्तर-5(अ)(घ) में भूस्खलन, नदी प्रवाह बदलने से भूमि के अधिकांश भू-भाग के नष्ट हो जाने पर रु0 37,500/- प्रति हे0 की दर से सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है किन्तु यह सहायता 02 हे0 तक भूमि के स्वामित्व वाले उन्हीं लघु तथा सीमान्त कृषकों को उनकी नष्ट हुई भूमि के सापेक्ष अनुमन्य होगी जो राजस्व अभिलेखों में भूमि के भू-स्वामी हों। उक्त व्यवस्था में 02 हे0 से अधिक भूमि के स्वामित्व वाले कृषकों को राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में स्वीकृत पदों एवं रिक्तियों के सम्बन्ध में

154-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस विभाग में कांस्टेबिल एवं सब-इंस्पेक्टर के अलग-अलग कुल कितने पद स्वीकृत हैं स्वीकृत पदों पर कुल कितने कार्मिक कार्यरत हैं तथा पदवार कितनी रिक्तियां शेष हैं ? क्या सरकार शेष रिक्तियों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में पुलिस विभाग में कांस्टेबिल के 174332 एवं सब-इंस्पेक्टर के 39302 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों पर कुल 160570 कार्मिक उपलब्ध/कार्यरत हैं। कान्स्टेबिल के पदों पर 36816 एवं सब-इंस्पेक्टर के पदों पर 16248 रिक्तियां शेष हैं।

जी हां। शेष रिक्तियों को भरे जाने की कार्यवाही निम्नवत् प्रचलित है :-

आरक्षी भर्ती-2018 के 20631 अभ्यर्थीगण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी पासिंग आउट परेड दिनांक 15-12-2019 को होनी प्रस्तावित है।

आरक्षी भर्ती-अक्टूबर, 2018 के कुल अधियाचित 31360 पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र चौ0 चरण सिंह दौआब खरीफ नहर में पानी टेल तक पहुंचाने के सम्बन्ध में

155-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में चौ0 चरण सिंह दौआब खरीफ नहर में लम्बे समय से खुदाई व समतलीकरण न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर में टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में चौ0 चरण सिंह हिण्डन कृष्णी दौआब खरीफ नहर में कुल 09 नहरें हैं, जिनसे टेल तक जल उपलब्ध कराकर खरीफ एवं रबी की फसलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग की कक्षाओं का संचालन कराने के सम्बन्ध में

156-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग की कक्षाओं का संचालन सरकार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के 10 कि0मी0 की परिधि में 05 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें 03 महाविद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत कक्षायें संचालित हैं। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

वृहत् वित्तीय एवं अधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली स्थित राजकीय महाविद्यालय को उच्चीकृत किये जाने का अवसर नहीं है।

पंचायती राज विभाग के लिपिकों की स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में

157-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिलों के पंचायती राज विभाग कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के स्थानान्तरण की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में स्थानान्तरण नीति के विपरीत पिछले कई वर्षों से वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां। सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति इन पर भी प्रभावी है।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के निर्देशानुसार।

जी हां।

जी हां।

स्थानान्तरण सत्र में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

158-श्री राम अचल राजभर-

[02 मंगलवार के अता0प्र0सं0-48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने विषयक

159-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पानी की टंकी का निर्माण कर जल आपूर्ति सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में वर्तमान में 04 ग्राम समूह पेयजल योजना एवं 14 एकल ग्राम पेयजल योजनाएं संचालित हैं। उक्त योजनाओं से वर्तमान में 69 ग्रामों में जलापूर्ति हो रही है। विधान सभा क्षेत्र सोरांव में कुल 18,100 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। विधान सभा क्षेत्र सोरांव पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से संतृप्त हैं।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ''हर घर नल से जल'' योजना की नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

160-श्री संजय गर्ग-

[01 बुधवार के अता0प्र0 सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फतेहपुर के परगना हथगाम, तहसील खागा के ग्राम-शहजादपुर खागा में वन विभाग व अन्य सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने विषयक

161-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के परगना-हथगाम, तहसील खागा के ग्राम-शहजादपुर खागा में गाटा सं0-380, क्षेत्रफल-0.364 हेक्टेयर, एन0 जेड0 ए0-748, क्षेत्रफल-0.713 हेक्टेयर तथा ग्राम-बहादुरपुर खागा, में गाटा सं0-741 मि0 क्षेत्रफल 0.056 हेक्टेयर, गाटा सं0-742 मि0 क्षेत्रफल-0.364 13 हेक्टेयर गाटा सं0-742 मि0 क्षेत्रफल-0.333 हेक्टेयर, गाटा सं0-745/3 क्षेत्रफल-0.696 हेक्टेयर, गाटा सं0-747/2 हेक्टेयर, गाटा सं0-0.801 हेक्टेयर गाटा सं0-746/2 क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर गाटा सं0-746/2 क्षेत्रफल-2.590 हेक्टेयर, गाटा सं0-2112 क्षेत्रफल-0.243 हेक्टेयर, जो तालाबी, आबादी वन विभाग एवं अन्य सरकारी जमीनें हैं, पर कतिपय दबंगों ने अवैध कब्जा करके प्लाटिंग कर विक्रय कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम शहजादपुर खागा की गाटा संख्या-380/0.3640 हे0 तालाबी भूमि के 26 वर्गमीटर तथा एन0जेड0ए0 गाटा सं0-748/रकबा 0.7110 हे0 तालाबी भूमि के 0.0340 हे0 रकबे पर अतिक्रमण है। इसी प्रकार बहादुरपुर खागा की गाटा सख्या 741 मिन जुमला 0.056 हे0 तालाबी भूमि पर पूरे रकबे पर अतिक्रमण है एवं आर0सी0सी0 रोड बनी है। गाटा संख्या-742 मिन जुमला 0.3640 हे0 वन विभाग की भूमि पर क्रय-विक्रय एवं अतिक्रमण करके पूरी भूमि पर आबादी/आर0सी0सी0 रोड कायम है। 742 मि0/0.3331 हे0 आबादी की भूमि है, जिस पर आबादी बनी है, कोई अतिक्रमण नहीं है। गाटा संख्या 745/3 रकबा 0.6960 हे0 में 0.4050 हे0 खाली है, शेष भूमि अतिक्रमित है। गाटा संख्या 747/2 रकबा 0.8010 हे0 वन भूमि के पूरे भाग के 90 प्रतिशत पर अनुसूचित जाति एवं शेष 10 प्रतिशत पर पिछड़ी जाति के लगभग 150 घर बने हैं जिनमें से अधिकांशतः अतिक्रमित है। कुछ क्रय-विक्रय से बने हैं। गाटा संख्या 762/2 क्षेत्रफल 0.057 हे0 वन विभाग की भूमि खाली है। गाटा संख्या 746/2 रकबा 2.590 हे0 शुकदेव इण्टर कालेज के नाम की भूमि है। गाटा संख्या 2112 रकबा 0.2430 हे0 वन विभाग की भूमि में 0.0640 हे0 खाली है, शेष पर 50 वर्षों से अधिक का अतिक्रमण है।

प्राथमिक सर्वेक्षण में लोगों द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में प्लाटिंग से क्रय-विक्रय हुआ है तथा अधिकांश अंशों पर अतिक्रमण भी हुआ है। नगर पंचायत/वन विभाग द्वारा गहन सर्वेक्षण कर जांच की जा रही है। परीक्षणोपरान्त प्रत्येक अतिक्रमणी के विरुद्ध बेदखली का वाद योजित कर सम्पूर्ण कार्यवाही छः माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी क्षेत्र में महिला विश्वविद्यालय खोले जाने हेतु प्रोत्साहन के सम्बन्ध में

162-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में महिला विश्वविद्यालय खोलने के लिये प्रोत्साहन हेतु कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु नीति का निर्धारण उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 द्वारा किया गया है। उक्त नीति के अन्तर्गत महिला विश्वविद्यालय भी खोले जा सकते हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय व सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में अन्तर सम्बन्धी विसंगतियों को दूर कर समान वेतन दिये जाने विषयक

163-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या वेतन विसंगतियां दूर कर उक्त शिक्षकों को समान वेतन सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु नई नियुक्ति व कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने विषयक

164-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति तथा कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के विभिन्न विभागों में शासन द्वारा सृजित शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	रिक्त पद
प्रोफेसर	34
एसोसिएट प्रोफेसर	60
असिस्टेंट प्रोफेसर	73
योग	**167**

रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदनोपरान्त की जाती है। कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र लखनऊ उत्तरी में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना विषयक

165-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ उत्तरी में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं। वर्तमान में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की कोई नीति नहीं है। विशेष परिस्थितियों में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ में फैजाबाद रोड स्थित ग्रामों में स्थित सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराये जाने विषयक

166-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के फैजाबाद रोड स्थित ग्राम उतरधौना, तिवारीगंज आदि क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को चिन्हित कर सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम तिवारीगंज राजस्व ग्राम उत्तरधौना परगना तहसील व जिला लखनऊ में स्थित ग्राम सभा की भूमियों पर पाये गये अवैध कब्जों पर पूर्व में बेदखली की कार्यवाही कर अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है तथा कुछ अवशेष अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु बेदखली वाद विभिन्न न्यायालयों में योजित/विचाराधीन है। बेदखली वादों तथा अन्य धाराओं में विचाराधीन वादों के निर्णयोपरान्त सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के गांवों में जल निकासी हेतु कार्य योजना बनाये जाने विषयक

167-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड हाटा, सुकरौली व मोतीचक के विभिन्न गांवों में जल निकासी का समुचित प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में जल निकासी हेतु प्रबन्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड हाटा, सुकरौली एवं मोतीचक के विभिन्न ग्रामों में जल निकासी हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कुल 464 नालियों का निर्माण 29633 मीटर में कराया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत की कार्य योजना तैयार कर सम्बन्धित योजनाओं से नाली निर्माण का कार्य कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के मिशन अन्त्योदय के अन्तर्गत चिन्हित गांवों में योजनान्तर्गत कार्य आरम्भ कराने विषयक

168-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में मिशन अन्त्योदय के अन्तर्गत चिन्हित गांवों में योजनान्तर्गत कार्य आरम्भ कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नम्बर 497660 दिनांक 20-02-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हां।

मिशन अन्त्योदय योजनान्तर्गत जनपद कुशीनगर में 204 गांव चयनित हैं, जिससे कार्यों के चयन हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया। समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यक्रमों को संतृप्त कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। चयनित ग्रामों में 48 कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने विषयक

169-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने तथा उनकी सफाई कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नम्बर 497662, दिनांक 20-02-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हां।

जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र में स्थित विभिन्न तालाबों/पोखरियों पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत तालाबों/पोखरियों पर अतिक्रमण करने वाले 66 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) हाटा में नियमानुसार बेदखली हेतु वाद विचाराधीन है। वाद निस्तारण के उपरान्त बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के प्रा0 विद्यालय हरीरामपुर टिर्रा विकास खण्ड छतोह के सहायक अध्यापकों के सम्बन्ध में

170-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय हरीरामपुर टिर्रा विकास क्षेत्र छतौह के कतिपय सहायक अध्यापक द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ में प्रवेश हेतु नियमित प्रवेश-पत्र जारी करवा कर विधि विरुद्ध बेसिक शिक्षा विभाग रायबरेली के विभागीय वादों की पैरोकारी करने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या-घ-6 नम्बर 108192 विधायक प्रकोष्ठ पत्र सं0-1047/भा0ज0पा0/वि0मा0द0 दिनांक 19-08-2019 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

उप जिलाधिकारी तहसील सलोन से जांच कराई जा रही है। सम्प्रति जांच की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामफेर, लेखाकार द्वारा विभागीय नियमों के विरुद्ध कूट रचना करके पदोन्नति करवाने एवं गलत ढंग से वेतन निर्धारण कराने की जांच विषयक

171-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के लेखाकार वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय, रायबरेली के द्वारा कूटरचना व तथ्यों को छिपाकर पदोन्नति करवाने, वेतन निर्धारण करने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या घ-6 नम्बर 108193, दिनांक 19-08-19 संलग्नकों सहित मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा श्रीराम सोनकर द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-घ-6 नम्बर 108193, दिनांक 19-8-2019 के माध्यम से श्री रामफेर लेखाकार द्वारा विभागीय नियमों के विरुद्ध कूट रचना करके पदोन्नति करवाने एवं गलत ढंग से वेतन निर्धारण कराने की जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया, जो आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त सन्दर्भ शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु अन्तरित किया गया। शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा उक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में आख्या अपलोड किये जाने व प्रकरण के निस्तारण हेतु वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश प्रयागराज को निर्देशित किया गया। वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या-बे0शि0प0/ले0सं0/14/8624-26/2018-19, दिनांक 27-9-2019 द्वारा उक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में आख्या आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रकरण को निक्षेपित किये जाने का अनुरोध करते हुए उक्त आख्या से मा0 सदस्य विधान सभा को भी अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय कानूनगो/चकबन्दीकर्ता, फैजाबाद द्वारा विधि विरुद्ध किये जा रहे कार्यों की जांच कराये जाने विषयक

172-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेश कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा का माह जुलाई, 2019 का पत्र जो कि कतिपय कानूनगो/चकबन्दीकर्ता, फैजाबाद द्वारा विधि विरुद्ध किये जा रहे कार्यों की जांच कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

श्री राजेश कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा के प्राप्त पत्र पर जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

173-श्री मो0 फईम इरफान-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया का विवरण विषयक

174-श्री नफीस अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हां।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सेक सूची-2011 में से चिन्हित पात्र लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर कुल 29289 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गई है। विकास खण्डवार विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन कर रिवाल्विंग फण्ड मुहैया कराये जाने विषयक

175-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के जीविकोपार्जन हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020, 2020-2021 में जनपद मथुरा को सम्मिलित करके जनपद में स्वयं सहायता समूहों का गठन कर रिवाल्विंग फण्ड सरकार मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या 194 पर।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद मथुरा नॉन इंटेंसिव जनपद है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार को जनपद मथुरा के तीन विकास खण्ड में मिशन द्वारा इंटेंसिव रूप में कार्य करने के लिये प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत जनपद में अब तक कुल 1491 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं गठित समूहों में से अब तक 807 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मनरेगा के अन्तर्गत जनपद मथुरा के मांट में ग्रामीण स्वच्छता के अन्तर्गत शौचालय व आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराये जाने विषयक

176-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कार्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ी केन्द्रों व शौचालय का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हां।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक कुल 20 आंगनबाड़ी केन्द्रों का मनरेगा कन्वर्जेंस के अन्तर्गत बाल विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग से कन्वर्जेस कर निर्माण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधान सभा मांट क्षेत्र में मनरेगा योजनान्तर्गत कन्वर्जेंस के माध्यम से विभावली, पचहरा, तेहरा महावन कुल 03 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है। विधान सभा क्षेत्र मांट के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्मित हैं। अतः मनरेगा योजनान्तर्गत विधान सभा मांट के किसी भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के मांट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक

177-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में मार्च, 2017 से 18-11-2019 तक प्रधानमंत्री आवास तथा पात्र गृहस्थी आवास

किस-किस ग्राम सभा में किस-किस व्यक्ति को दिये गये हैं ? क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया से वंचित किन्तु अर्ह व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में मार्च, 2017 से 18-11-2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम सभाओं में 160 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है, जिसकी सूची संलग्न[†] है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया से वंचित किन्तु अर्ह व्यक्तियों का सर्वेक्षण कराया जा चुका है। अर्ह व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराया जाना भारत सरकार के निर्देशों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के मांट में सौर ऊर्जा चालित नलकूपों का निर्माण कराने विषयक

178-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामूहिक मिनी ग्री ट्यूबवेल निर्माण योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में सौर ऊर्जा चलित 5 हार्स पावर के पम्पसेट सहित नलकूपों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कृषकों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर स्थल चयन करके नलकूपों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में शासकीय हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों में शिक्षकों की कमी विषयक

179-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के शासकीय हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों में शिक्षकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने शिक्षकों की वर्तमान में तैनाती है तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ संख्या-195 पर।

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जनपद शामली में कुल 15 राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज संचालित हैं। इन कालेजों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
सहायक अध्यापक	127	35	92
प्रवक्ता	61	03	58

जी हां।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा एकल विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात के मान्य पैमाने के अनुसार शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में

180-श्री नाहिद हसन-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा एकल विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात के मान्य पैमाने के अनुसार समस्त स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान में उक्त क्षेत्र में शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात के मान्य पैमाने से कम/ज्यादा शिक्षक तैनाती वाले विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

सूची संलग्न[†] है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बदायूं के समस्त परिषदीय विद्यालयों में जर्जर शौचालयों का पुनर्निर्माण व साफ-सफाई की व्यवस्था कराने विषयक

181-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-1810/68-5-2018, दिनांक 15-11-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप जनपद बांदा के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर शौचालयों का पुनर्निर्माण तथा

[†] छापी नहीं गई।

साफ-सफाई की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जनपद बांदा के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर शौचालयों का पुनर्निर्माण कायाकल्प योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है, जिसमें कुल लक्ष्य 307 के सापेक्ष 215 परिषदीय प्राथमिक और अपर प्राथमिक विद्यालयों के स्कूल शौचालयों की मरम्मत कराई जा चुकी है, शेष 92 शौचालयों की मरम्मत इसी वित्तीय वर्ष में पूरी करा ली जायेगी तथा सफाई कर्मियों के माध्यम से साफ-सफाई की व्यवस्था नियमित रूप से विद्यालयों में सुनिश्चित कराई जा रही है।

मार्च, 2020 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

182-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण कार्य एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जनपद बांदा में 1395 परिषदीय प्राथमिक तथा 641 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। जनपद के सभी विद्यालयों में विद्युतीकरण एवं पेयजल संसाधन उपलब्ध हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पंखों की व्यवस्था हेतु सोलर तथा आर0ओ0 वाटर संयंत्र की स्थापना विषयक

183-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पंखों की व्यवस्था हेतु सोलर तथा आर0ओ0 वाटर संयंत्र की स्थापना करने की योजना संचालित है ? यदि हां, तो जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र बांदा नगर में कुल कितने विद्यालयों में उक्त सुविधायें प्रदत्त

करा दी गयी हैं तथा कितनों में शेष हैं ? क्या सरकार शेष विद्यालयों में उक्त सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद मुरादाबाद तथा सम्भल सहित प्रदेश में स्वीकृत लोहिया आवास के पात्रों को द्वितीय किस्त जारी कर अधूरे पड़े आवास पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी

184-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद तथा संभल सहित प्रदेश में स्वीकृत लोहिया आवास के पात्रों को द्वितीय किस्त जारी कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या उक्त आवासों का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हां।

लोहिया आवास योजनान्तर्गत जनपद मुरादाबाद एवं संभल सहित प्रदेश में स्वीकृत लोहिया आवास के पात्रों को द्वितीय किस्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या-जी0ओ0-48/सम्प्रेक्षा/लो0आ0यो0/2016-17, दिनांक 31-08-2017 द्वारा अनुदान संख्या-13 में एवं पत्र संख्या-जी0ओ0-40/सम्प्रेक्षा/लो0आ0यो0/2016-17, दिनांक 19-07-2017 द्वारा अनुदान संख्या-83 में जारी की गई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली मुख्यालय पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माडल आवास को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

185-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड क्षेत्र रुधौली मुख्यालय पर प्रधानमंत्री आवास योजना का माडल आवास अधूरा निर्मित है ? यदि हां,

तो क्या सरकार उक्त माडल आवास का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी नहीं।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली मुख्यालय पर प्रधानमंत्री आवास योजना का माडल आवास पूर्ण हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (क्रमागत)

(नेता विरोधी दल श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप एक मिनट अपना आसन ग्रहण करें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष जी, हमने जो बात उठाई थी, नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के बाद देश और प्रदेश में जो स्थिति पैदा हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

अभी सामान्य कार्यवाही हो जाए।

(संसदीय कार्य मंत्री, श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, एक मिनट। हुआ यह कि आप कुछ कहने के लिये उठे और आपकी बात को न सुनते हुए, आपके सदस्य वेल ऑफ द हाउस में आ गये। हमने समझाने का प्रयास किया, पहले भी किया था और यह भी कहा था कि बैनर लेकर न आयें तो वह सब गड़बड़ हो गया, नहीं तो कार्यवाही ठीक से चलती। चौधरी जी आपकी बात हम बाद में सुनेंगे। अब अनुपूरक बजट है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

[12:22] वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण

*** संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, प्रतियां बंटवा दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जायें।

[12:23] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बहुत भारी मन से नियम-311 में आपको सूचना दी थी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने सुनने का मौका दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आप भारी भी हैं और आभारी भी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

और आपने एक बात अभी पहले कही थी कि लोग वेल में आ गये तो श्रीमन् मरता क्या न करता। हम अपनी बात किससे कहें, सरकार हमारी बात सुनती नहीं तो आपको ही अपनी बात सुनाना हमारा मूल कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष-

वेल में कोई दुःख हो, स्वाभाविक बात हो तो हो गयी लेकिन घर से ये पोस्टर लेकर आना निन्दनीय है, घर से पोस्टर-बैनर लेकर आना ठीक नहीं है। बाकी आप कहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, वेल में आदमी तब जाता है, जब उसके पास कोई उपाय नहीं होता।

सदन को शान्तिपूर्ण तरीके से चलाये जाने हेतु लोक सभा द्वारा कमेटी के गठन की जानकारी

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने अपनी पूरी बात से आपको अवगत कराया लेकिन सबसे पहले हम आपको बधाई दे दें कि लोक सभा के स्पीकर द्वारा एक कमेटी बनायी गयी है। सदनों में जो अराजकता का माहौल पैदा किया जाता है, उसके सम्बन्ध में लोक सभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनायी है। 08 विधान सभाओं के अध्यक्षों में से हमारे मा0 अध्यक्ष जी को उस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और हमारे प्रमुख सचिव उस कमेटी के सचिव हैं तो इसके लिये सम्पूर्ण हाउस को उन्हें बधाई देनी चाहिये और उस कमेटी के पास केवल एक ही विषय है कि किस तरह से हाउस शान्तिपूर्ण तरीके से चले क्योंकि यह हाउस चर्चा के लिये है, किसी उपद्रव के लिये नहीं है। किसी ऐसी स्थिति के लिये नहीं है जो यहां पर उत्पन्न की जाती है। मान्यवर, आप ही की विधान सभा में जिसके आप स्वयं अध्यक्ष हैं, उसमें आज जो सीन देखने को मिला, वह आपने भी देखा और हमने भी देखा। मान्यवर, मैंने कल सभी नेताओं की बैठक में भी यह अनुरोध किया था कि आखिरकार वह दिन कब आयेगा कि जब हम शान्तिपूर्ण तरीके से हाउस में चर्चा का माहौल बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, अब आप अपने मूल विषय पर कहिये।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो तरह-तरह के नियम बनायेगी ही और नियम बनता है तोड़ने के लिये। जैसे आप धारा-144 लागू करते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको तोड़ करके धरना-प्रदर्शन करती है। आप नियम बनायें, हम तोड़ेंगे, आपको उसमें हम पर जो भी धारा लगानी हो, लगाइये। मा0 अध्यक्ष जी, मैं नियम-311 पर आना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने हाल में जो नागरिकता संशोधन ऐक्ट पास किया है उसके दूरगामी परिणाम हो गये है। आज उत्तर प्रदेश जल रहा है, तीस बरस के बाद छात्र सड़क पर उतर गये है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लड़कों ने शान्तिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से कैम्पस के अन्दर ही एक जुलूस निकाला लेकिन पुलिस ने कैम्पस के अन्दर घुस करके लाठियां मारीं, गोलियों से फायरिंग की और अलग से दो बजे रात को हास्टल में घुस करके आंसू गैस छोड़ी जिससे दो छात्रों का सीधे हाथ ही उड़ गया। उसके बाद नदवा कालेज में छात्रों ने कैम्पस के अन्दर अहिंसक प्रदर्शन शुरू किया लेकिन वहां पुलिस ने अत्याचार किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों के समर्थन में और नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में अहिंसक जुलूस निकाला लेकिन उनको भी पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में जो लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलीं, छात्रों पर बर्बर अत्याचार हुआ, उसके विरोध में मौन जुलूस निकाला लेकिन पुलिस ने उन पर भी बर्बर लाठीचार्ज किया। मा0 अध्यक्ष जी, यह जो संशोधन किया गया है।

वह संविधान की आत्मा के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष-

उस पर यहां डिस्कशन नहीं हो सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमारे संविधान की धारा-14, धारा-15 और धारा-21 के प्राविधानों को.....

श्री अध्यक्ष-

इस आदरणीय सदन में उसका उल्लेख नहीं हो सकता है। वह केन्द्र का विषय है और आप भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची देखें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं संविधान की बात कर रहा हूं मा0 अध्यक्ष जी। संविधान इस देश का भी है, प्रदेश का भी है और ग्राम सभा का भी है।

श्री अध्यक्ष-

उसी संविधान की सातवीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि विधान सभा किन-किन विषयों पर चर्चा करेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमारा विधान सभा संविधान, नियमावली और आपके पीठ से दिये हुये निर्देशों के अनुसार संचालित होता है। संविधान की कहीं नकारा नहीं जा सकता। संविधान से देश चलता है और संविधान से ही पूरा भारत चल रहा है। श्री अध्यक्ष जी, अनुच्छेद-14 में कहा गया है..

श्री अध्यक्ष-

आप इसको उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में कैसे चर्चा करेंगे हमें भी समझाइये। आप सातवीं अनुसूची की पहली लिस्ट को देखिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अनुच्छेद-14 में क्या लिखा है ?

श्री अध्यक्ष-

सदन किन-किन विषयों पर चर्चा कर सकता है पहले आप इसको पढ़िये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अनुच्छेद-14 में विधि के समक्ष समता से सम्बन्धित है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भारतीय को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष-

इस सदन में सातवीं अनुसूची के राज्य सूची के विषय पर ही चर्चा हो सकती है, केन्द्रीय सूची के विषय नहीं लिये जा सकते हैं। वह सब्जेक्ट इस सदन की विधायी क्षमता के बाहर है। आप इसको देख लीजिये। आप इस सदन के पुराने वरिष्ठ नेता हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

परिस्थिति गवाही है, कानून-व्यवस्था अब खराब हो चुकी है। पूरा देश जल रहा है। छात्र मारे जा रहे हैं। इस नियम को लेकर ही तो पूरा देश आन्दोलित है और माननीय अध्यक्ष जी, चाहे ये लोग कितना बोलें लेकिन जब-जब छात्र सड़क पर आये हैं। 1942 के आन्दोलन में छात्र/नवजवान सड़क पर आये तो अंग्रेजों को इंग्लैण्ड जाना पड़ा, 1974 में छात्र-नौजवान सड़क पर आये तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाना पड़ा और अब 30 वर्ष के बाद इस तानाशाही रवैये को अपनायी इस सरकार के खिलाफ आज फिर बिना किसी मतभेद के सभी जाति, वर्ग, धर्म के छात्र सड़कों पर उतरे हैं। सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ विरोध किया गया मै आपके माध्यम से मांग करता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी से और आप से भी कि यहां से एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजें कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने यह प्रस्ताव पास किया है कि केन्द्र सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक को तत्काल वापस ले। यदि वह वापस नहीं लेती है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो कानून बन गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष, जी इस प्रदेश को बचाना आपका नैतिक कर्तव्य है। सरकार तो नहीं बचायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय आ गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सरकार तो स्वार्थ में अन्धी है। आप कहते है कि गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ इसी वर्ष सदन में मनायी गयी। गांधी जी जब अफ्रीका गये तो वहां पर क्यों रुक गये क्योंकि वहां पर वर्ण विभेद हो रहा था और वह लड़ाई लड़कर अफ्रीका से हिन्दुस्तान आये और तब उन्होंने हिन्दुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी। ये कई बार डा0 लोहिया की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वे एक समाजवादी थे उन्होंने हमेशा एक महासंघ की बात की है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों को मिलाकर एक महासंघ बना दिया जाये, जिससे भाईचारा, सौहार्द का वातावरण और आपसी मेल-मिलाप बना रहे। यह धर्म के आधार पर वर्गीकरण करना देश की आत्मा पर कुठाराघात करना है। हिन्दू, बौद्ध, सिख और इसाई को तो आप नागरिकता देंगे फिर मुस्लिम को क्यों नहीं ? मुस्लिम से आपका कौन सा झगड़ा है।

कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

ये बार-बार आपके द्वारा कहे जाने की बात नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप क्या कहना चाहते है। शाही जी, हम जब बैठ जायें तब बात कर लीजियेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

अनुच्छेद-14 के विषय में इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम बैठ जायेंगे तब आप बात कर लीजियेगा, यह आदत ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी जी, आपका विषय आ गया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

अनुच्छेद-14 के विषय पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। आप इस सदन के भीतर अपने प्राप्त विशेषाधिकारों का दुरुप्रयोग करते हुये भेद पैदा करने का काम, लोगों को भड़काने का काम और गलत तरीके से जलाने की धमकी देने का काम कर रहे हैं इसलिये मुझे खड़ा होना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

आप कहिये, अपनी पूरी बात कहिये। शाही जी, आप बैठिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अभी क्या कहा कि संविधान के प्राविधानों की यहां चर्चा नहीं हो रही तो हम क्यों यहां आयें है ? संविधान के द्वारा ही हमारा चुनाव हुआ है। संविधान के द्वारा ही आप, हम और सरकार शपथ लेती है। संविधान के द्वारा ही देश-प्रदेश संचालित होता है। प्रदत्त अधिकार है कि हम धर्म के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। हम मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में जो आप चर्चा कर रहे थे उस पर बोलिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में ही मैं चर्चा कर रहा हूं कि इस नियम के खिलाफ जो विधेयक पास हुआ है, ऐक्ट बन गया है उसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में छात्र-नौजवान आन्दोलनरत् है। सभी जाति और धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

(सदस्यों के अपने-अपने आसन से अपनी बात कहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

उस विषय में आपको क्या कहना है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जय प्रकाश जी ने कहा था, उन्होंने इन्दिरा जी को बहुत समझाया, उनको बिटिया कहते थे। जब जय प्रकाश जी की बात श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने नहीं मानी और जब इमरजेन्सी लगा दिया तो लोक नायक जय प्रकाश जी ने क्या कहा था, 'विनाश काले विपरीत बुद्धि'। यह किस सन्दर्भ में है ? जब राम वनवास गये थे और सोने का हिरण सीता जी के आगे से गुजरा, कहीं हिरण सोने का हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

अब इन्दिरा जी को कुछ न कहिये, नहीं तो कांग्रेस नाराज हो जायेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका विनाश होने वाला है, विपरीत बुद्धि हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये, विषय हो गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनता पर लाठीचार्ज करके सरकार नहीं चलायी जा सकती है। किसान आन्दोलन करता है, उन्नाव में लाठी से मारा जाता है। किसान गाजियाबाद में अपने हक को मांगने के लिये आन्दोलन करता है तो लाठी से मारा जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आपके नोटिस में किसान नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जो हमारी बेटी है उसको जलाया जा रहा है, रोज बलात्कार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपके नोटिस में यह भी नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

और मै कहूंगा नहीं, कल कहूंगा लेकिन इनकी तानाशाही यह रही है। अध्यक्ष जी , पुलिस को जब अधिकार दे दिया जाता है तो फिर सरकार के मान में वह नहीं रह जाती। इन्होंने पुलिस को अधिकार दिया है और पुलिस बेलगाम हो गयी है। लाठीचार्ज, गोली, आंसूगैस

मान्यवर, पुलिस इतनी बेलगाम है कि हमारे माननीय सत्तापक्ष के विधायकों को भी बिना आपको सूचना दिये उठा ले जा रही है यह सरकार है ? सरकार चला रहे हैं ? यह जो नियम बना है आपसे आग्रह है कि आप मुख्य मंत्री जी से, संसदीय कार्य मंत्री जी से, पूरे विधान सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करके विधान सभा से यह प्रस्ताव पारित करें कि देश की सुरक्षा के लिये, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिये, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर जो इस नियम के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं, उसको देखते हुये विधान सभा उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव पास करे कि केन्द्र सरकार इस कानून को तत्काल वापस ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरी भी नोटिस इस विषय पर है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, लेकिन जो विषय इस विधान सभा से सम्बन्धित नहीं है, उसको कोड नहीं किया जाना चाहिये। बार-बार उसी चीज की बात आती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जब आन्दोलन, लाठीचार्ज, गोली उत्तर प्रदेश में छात्रों पर चलायी तो क्या यह छात्रों से सम्बन्धित नहीं है ? क्या इन लोगों की आंख पर पट्टी बंध गयी है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

छात्र अलीगढ़ में मारे जा रहे हैं, छात्र बनारस में मारे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम गोविन्द जी, अब आप बैठिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आज इस विषय पर हम लोगों की नोटिस थी जिसमे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैंने देखा कि लगभग 30 वर्षों के बाद आज फिर से पहले की तरह छात्र आन्दोलित है और हर विश्वविद्यालय में आन्दोलित हैं। ये नागरिकता संशोधन कानून जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है, उसके कारण पूरे प्रदेश के नौजावन व आम जनता आन्दोलित है और विशेष रूप से छात्र आन्दोलित है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके कारण वह शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर रहे है, लेकिन उस

शान्तिपूर्ण आन्दोलन पर जिस तरह से पुलिस नृशंसता के साथ उनके ऊपर आक्रमण कर रही है, जिस तरह से उन्हें मारा जा रहा है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दृष्टान्त है, टी0वी0, मीडिया, सारी जगहों से, पुलिस प्रशासन भी यह कह रही है कि वह बाहर नहीं निकल पाये। बाहर नहीं निकल पाये तो अन्दर पुलिस को जाकर मारने की क्या जरूरत थी ? अगर बाहर निकले नहीं तो वह तोड़-फोड़ कहां कर रहे थे ? इतना ही नही जिस तरह से हम लोगों ने टी0वी0 के माध्यम से स्वयं देखा है कि पुलिस गाड़ियों को डंडों से तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय, अत्याचार पर आधारित काम हो रहा है, अगर आज हम विधान सभा में ऐसे विषय पर प्रभावी चर्चा करके इसको रोकने का प्रयास नही करेंगे तो पूरा प्रदेश निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की ध्वस्त होने वाली स्थिति में परिवर्तित हो जायेगा। सरकार यह सब जान-बूझकर कर रही है इसलिये कि विभिन्न समस्यायें हैं, किसानों की समस्यायें हैं, नौजवानों की समस्याये हैं, कानून व्यवस्था की समस्यायें हैं, उस पर यह सही साबित नहीं हो पा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं जिसके कारण इस तरह का इश्यू लाकर पूरे प्रदेश को जलाने का प्रयास किया जा रहा है।

हमारी यह चाहत है कि इस विधान सभा में हम एक प्रस्ताव लायें, यह हमारा अधिकार है और उस प्रस्ताव के माध्यम से, जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा कि इस कानून को वापस ले लें। चूंकि उस कानून से फायदा कुछ नहीं हो रहा है बल्कि पूरा देश जल रहा है और उत्तर प्रदेश में हर जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति विस्फोटक है और आपका भी इतने लम्बे समय का राजनीतिक जीवन है। आज दर्जनों जिलों में इण्टरनेट सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये मजबूर होना पड़ा है। यह इस बात को साबित करता है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। कानून का राज नहीं रह गया है इसलिये हमें इस सदन के माध्यम से प्रस्ताव पास करना चाहिये और केन्द्र सरकार से मांग करनी चाहिये कि नागरिकता संशोधन कानून को वापस लिया जाये, और अनुच्छेद-14 के अनुसार फिर से नया कानून बनाया जाय, जिसका सभी लोग पालन करने का काम करें। यह हमारा प्रस्ताव है। इसलिये मान्यवर, यह ग्राह्य करने योग्य विषय है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको ग्राहय करके इस पर चर्चा कराने का काम करें जिससे हम नया प्रस्ताव पारित कर सकें और केन्द्र सरकार से मांग कर सकें कि इस कानून को वापस लेने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-56 पर बल देते हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

जी मान्यवर, मैं बल दे रहा हूं । मैं कह रहा हूं कि इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराये। यह तो मेरी मांग ही है। इसकी ग्राह्यता इसलिये है कि पूरे प्रदेश में आग लगी हुयी है और जगह-जगह कानून-व्यवस्था की स्थिति विस्फोटक है, इण्टरनेट सेवायें बन्द हैं, निश्चित रूप से इसलिये ग्राह्य करने योग्य है, इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, अब कांग्रेस को बोलने दीजिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, आपने हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र आन्दोलित हैं, वजह है नागरिकता संशोधन बिल। मैं यह कहना चाहती हूं, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश विधान सभा का इश्यू नहीं है, इसलिये इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आप खुद स्टेट लिस्ट देख लीजिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, आपसे ससम्मान मैं एक बात कहना चाहती हूं कि हम सब चुनकर आते हैं और संविधान की शपथ लेते है। संविधान की रक्षा करना यहां बैठे हर सदस्य का काम है और जब-जब संविधान पर आंच आयेगी, हम उसको उठायेंगे, पूरे ताकत से उसके लिये लड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपके नोटिस का यह मूल विषय ही नहीं है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र आन्दोलित है, इसकी वजह क्या है।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग इन्हें बोलने दीजिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

इनकी आँखों पर सत्ता की काली पट्टी है, इनको छात्रों का आन्दोलन नहीं दिखाई देता, बेटियों की चीख नहीं सुनाई देती, यह केवल सत्ता का चश्मा लगाकर यहां बैठे हैं पर मैं एक बात बता दूं कि आज जिस तरह से छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, इतिहास गवाह है कि जब-जब छात्र आन्दोलित होता है तब तब इतिहास बदलता है और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में भी इतिहास बदलेगा। यह बिल सीधे-सीधे अनुच्छेद-14-15 और 21 का उल्लघंन है और इसी वजह से छात्र आन्दोलन कर रहे हैं सबसे बड़ी बात अभी कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में .....

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहे और बाधा न डालें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

यह संकीर्ण विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की कि एक महिला सदस्य को भी विधान सभा में बोलने नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कैसे न्याय मिलेगा।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलने की अनुमति दी गयी है और आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, जब हम यहां पर आपका संरक्षण प्राप्त कर नहीं बोलने पर रहे हैं और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर और गाँवों में महिलायें कैसे सुरक्षित होंगी और वह कहां अपनी आवाज उठायेंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आज अगर छात्र आन्दोलित है तो उसकी बात कौन सुनेगा, यह चुनी हुयी सरकार की जिम्मेदारी है। सबको मालूम था कि संशोधन बिल आया है और छात्रों का जामिया मिलिया में आन्दोलन शुरू हुआ।

श्री अध्यक्ष-

जामिया मिलिया का यहां से सम्बन्ध नहीं है। यह उत्तर प्रदेश में नहीं है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मैं उसमें भी स्पष्ट कर दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के, मेरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथी छात्र-छात्रायें जामिया मिलिया में पढ़ते हैं जिनको लाठियों से मारा गया, उसकी जवाबदेही किसकी है और उनकी सुरक्षा कौन करेगा यह इस सरकार की जिम्मेदारी है। आज उनके मां बाप पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यहां की सरकार की दिल्ली में हुकूमत नहीं है जिस सरकार में हम लोग यहां बैठे हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के जो छात्र और छात्रायें जामिया में पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस चुनी हुयी सरकार की है। जो ए0एम0यू0 में हुआ, वह किसका विरोध कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें, आपका विषय आ गया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, आप तो संरक्षण दीजिये। मैं अपने विषय पर बोलना चाहती हूं। यह जिम्मेदारी सभी सदस्यों की है कि विषय को आने दें। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि आज अगर छात्र आन्दोलित है, ए0एम0यू0 में आन्दोलन हुआ, लखनऊ में आन्दोलन हुआ, प्रयागराज में हुआ और यहां तक कि आई0आई0टी0, कानपुर जो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का है, वहां भी छात्रों ने आन्दोलन किया। इन जगहों पर छात्रों को उनके हास्टल्स में घुसकर मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, आज अनुशासन नहीं रह गया है और इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। छात्र अगर आन्दोलन करेंगे, अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे तो पुलिस जहां चाहेगी, लाठियों के दम पर उनकी आवाज को बन्द कर दिया जायेगा। अगर इसकी जिम्मेदारी किसी की है तो सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब आप बैठिये, ग्राह्यता पर इतना काफी है। यह कोई चर्चा थोड़े है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, अभी मैंने खत्म नही किया अभी तो शुरू हुआ है। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूं कि आखिर इस अन्दोलन की वजह क्या है क्योंकि छात्र अपना भविष्य नहीं देख रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है आज जिस तरह से छात्र आन्दोलित है, मै सीधा-सीधा सरकार पर आरोप लगाना चाहती हूं कि वह छात्रों की आवाज को पुलिस की लाठियों के दम पर दबाने का प्रयास कर रही है और हम और कांग्रेस पार्टी यह नहीं होने देंगे, हम संघर्ष करेंगे और आन्दोलन करेंगे और छात्रों की आवाज को बुलन्द करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर जैसे कि हमारे नेता विपक्ष ने कहा, माननीय लाल जी वर्मा ने कहा, एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधान सभा से जाना चाहिये, मैं इस पर बल देती हूं और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर चर्चा होनी चाहिये।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बोल चूके हैं, आप तो बहुत लम्बा बोले हैं। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी .....

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, बस एक मिनट, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब क्यों कह रहे हैं, विषयान्तर हो जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप जो कुछ भी वहां से कहेंगे, वह निर्देश हो जाता है। अध्यक्ष जी, आपको भी बहुत सोच-समझ कर टिप्पणी करनी चाहिये कि वह निर्देश आगे भविष्य में कितना काम करेगा। कई बार आपके मुंह से यह बात आयी कि यह संविधान, यह उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हम लोगों के संरक्षक हैं। आपको छोड़ करके यहां हमारा कोई नहीं है। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि हम लोगों का पक्ष आप ही रखेंगे, दूसरा कोई नही रखेगा। संविधान से प्रदेश चलेगा, देश चलेगा।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, पीठ पर आक्षेप करना, यह कौन से नियम में आता है, कौन सी परम्परा में आता है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह नियम-14 में आता है, यह नियम-14 में आता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं आता है, यह गलत तरीके से कहना चाहते हैं। यह गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है।

(सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह संविधान में आता है, यह लोकतांत्रिक प्रणाली में आता है, यह जनतांत्रिक प्रणाली में आता है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पीठ के ऊपर कभी आक्षेप नहीं हो सकता है। न यह नियम है, न यह कानून है और न ही परम्परा है कि पीठ के ऊपर सीधा-सीधा आक्षेप किया जाये। नेता विरोधी दल को इसके लिये माफी मांगनी चाहिये। यह पीठ के ऊपर सीधा-सीधा आक्षेप करते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आक्षेप नहीं किया है। मैंने आपसे प्रार्थना की है कि हमें बोलने दीजिये, आप हम लोगों के संरक्षक हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये शब्दों को घुमाते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी, राम गोविन्द चौधरी इतना कभी नहीं बोल सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और प्रार्थना करके अपनी बात कही है।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल, आप बैठ जाइये। आप वरिष्ठ नेता हैं और इस समय उत्तर प्रदेश की विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता है। हम लोगों के मित्र हैं, सब पुराने साथी हैं। आप जब विषय उठा रहे थे तो सातवीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट जुड़ी हुयी है, उसी पर विधान सभा यहां चर्चा कर सकती है। हमने आपका ध्यानाकर्षण किया और आपकी बात का आदर है, जो आपने अभी मुझसे अपेक्षा की, उसका भी मैं आदर करता हूं। लेकिन इस तरह तो फिर कोई कहेगा कि जापान में ऐसा हुआ, यहां चर्चा होने लगेगी। फिर कोई कहेगा कि स्वीटजरलैण्ड में ऐसा हुआ, यहां चर्चा होने लगेगी। तो इस सदन के विधायी अधिकार, स्टेट लिस्ट तक सीमित है। हमने इस पर आपका ध्यान आकर्षित किया था। अगर इसमें आपको कोई कष्ट हुआ है, तो मुझे खेद है, लेकिन मैं अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा था और करूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, अगर आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मैं भी खेद व्यक्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है। यह तो डिबेट है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, लेकिन आपकी अनुमति के बिना तो हम कुछ कह ही नहीं पायेंगे। उत्तर प्रदेश जल रहा है, इसलिये तो उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में हमने बात की और संविधान में उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है। अध्यक्ष जी, संविधान बनाने में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

फिर विषयान्तर हुआ जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि विपक्ष की तरफ से यह बात आयी है, इसलिये हम आपका ध्यान आर्टिकल-11 की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं-''पार्लियामेन्ट ऑफ इण्डिया टू रेग्यूलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ'' केवल आर्टिकल-11 में ही नागरिकता का विषय पार्लियामेण्ट का क्षेत्राधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में कोई भी कानून बनाये, कोई भी

लेजिस्लेशन करे, यह पार्लियामेण्ट का अधिकार है। इसलिये किसी भी तरह से जो भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया, वह इस सदन से सम्बन्धित नहीं है। मान्यवर, जहां तक आपने कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में उठाया गया, आपने सातवीं अनुसूची का जिक्र कर दिया, इसलिये हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय को लेकर बात की, मान्यवर, बहुत सी चीजे ऐसी हैं कि जिसको दूर से लाकर यहां पर को-रीलेट किया जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि केवल आप कानून-व्यवस्था के ऊपर बात कर सकते हैं कि यहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुयी और उसके अतिरिक्त जो कॉज ऑफ एक्शन है, उसके बारे में न तो हम विचार कर सकते हैं, न कोई कमेण्ट कर सकते हैं। मान्यवर, नियम की व्यवस्था तो यही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, भारत सरकार को विधान सभा से प्रस्ताव भेज सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रस्ताव तो किसी बात का भेज सकते हैं। प्रस्ताव में तो कुछ भी पास करके भेज दो। इसका संज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, एक मिनट।

माननीय वर्मा जी, प्रस्ताव की बात तो तब आई जब मैंने टोका और मैं दोहरा दूं कि जहां कहीं शक्ति संविधान की दृष्टि से हमको और आपको मिली है, इस आदरणीय सदन के अन्दर प्रत्येक माननीय सदस्य के अधिकारों का संरक्षण करना जो मेरा कर्त्तव्य है उसका निर्वहन मुझे करना चाहिये, वही मैं कर रहा था। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ भी कहा है उसके प्रति मै आदर तो व्यक्त करता हूँ लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि उनकी बात में कोई दम है। अब आप मा0 खन्ना जी अपनी बात कहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जब से योगी जी की सरकार आयी है तब से कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बनध में हमारे विपक्ष के मित्रों ने इस बात की कई बार कोशिश की कि ये किसी प्रकार से कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करें लेकिन ये सफल नहीं हो पाये और हर बार इनको असफलता का मुंह ही देखना पड़ा और कामयाब नहीं हो पाये। उसकी खीझ किस प्रकार मिटाई जाये, उसको किस प्रकार से मुद्दा बनाया जाये, यही सम्पूर्ण विपक्ष का आज एजेण्डा है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

यह गलत बात है, विपक्ष का यह काम नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरी खलबलाहट आज इसी बात की है कि हम किस प्रकार से उसको मुद्दा बनायें। मान्यवर, पब्लिक परसेप्शन यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व से आयी है तब से कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में बहुत सुदृढ़ हुयी है और बहुत बेहतर हुयी है और जहां कहीं पर भी अपराध हुये तो अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया गया, हमेशा जो पीड़ित पक्ष था, जो सताया गया था, किसी न किसी रूप में जिसने कम्प्लेन की उसका ही साथ दिया गया। हर हालात में कानून-व्यवस्था को पूरी तरीके से सुदृढ़ रखा गया। मान्यवर, यह हमारा नहीं बल्कि पूरे देश का आज का पब्लिक परसेप्शन यही है। मान्यवर, जिस विषय पर आपने बात उठाई विपक्ष की तरफ से खास तौर से अलीगढ़ की बात कोट की गयी। मान्यवर, मेरे पास रिपोर्ट है, अलीगढ़ में 12-13 सौ छात्र 15 तारीख की रात 8 बजे एक स्थान पर इकट्ठा हुये और उन्होंने दिल्ली के जामिया में जो घटना हुयी थी उसको लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी के साथ किसी ने फायर किया, किसी ने तोड़-फोड़ करने की शुरुआत की, उसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुयी। किसी भी तरह से प्रशासन की किसी चूक या प्रशासन की कमी की वजह से यह स्थिति नहीं पैदा हुयी, केवल छात्रों के आरजक रवैये से इस प्रकार की स्थिति पैदा हुयी। अगर आपकी अनुमति हो तो चार लाइनें मैं पढ़ रहा हूं।

श्री नफीस अहमद-

मान्यवर, यह गलत रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप बैठ जायें, पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी पूरी बात कह लें बाद में आप पूछ लीजियेगा।

(व्यवधान के मध्य)

(सदस्य श्री नफीस अहमद एवं संसदीय कार्य मंत्री के एक साथ बोलने पर)

आप सरकारी पक्ष को अपना विषय रखने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह छात्र आपस में एकत्रित होकर नागरिकता संशोधन विधेयक पर विरोध करने लगे। पुलिस द्वारा छात्रों को रोकने का पूर्ण प्रयास किया गया परन्तु छात्रों ने उग्र होकर गेट तोड़ दिया और एक राय होकर अपने हाथों में तमंचा, लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर लेकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस द्वारा इन छात्रों को प्रॉक्टर कार्यालय के सामने बैरीकेटिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया गया और छात्रों को समझाया गया कि शहर में धारा-144 लागू है, आप लोग वापस लौट जायें एवं शान्ति बनाये रखते हुये सरकारी सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचायें

परन्तु उग्र छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर तंमचे से फायर करते हुये पथराव जारी रखा तथा आने जाने वाले राहगीरों के साथ दुर्व्यवहार करते हुये प्राइवेट वाहनों में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। छात्रों द्वारा किये गये पथराव से पुलिस अधीक्षक (नगर), प्रभारी निरीक्षक (सिविल लाइन), संयुक्त पुलिस आर0ए0एफ0, पी0ए0सी0 के 20 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो गये, इन्हें उपचार के लिये अस्पताल भेजा गया और 26 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। मान्यवर, जब यह स्थिति पैदा हो तो यह बताइये कि पुलिस क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी, क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी। सवाल यह है कि कोई ऐसा विषय नहीं था। केवल अराजकता की स्थिति छात्रों के व्यवहार से शुरू हुयी और उसी का यह परिणाम हुआ कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने बहुत ही संयम से काम लिया। आप लोगों के समय में अगर 20 पुलिसकर्मी घायल हुये होते, तो मंजर कुछ और ही होता, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसी को जस्टीफाई कर रहे हैं।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी के पास जो रिपोर्ट है, वह गलत है। पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अन्दर घुसकर दमनात्मक कार्रवाई की है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरा प्रदेश शांत है, केवल समाजवादी, बसपा और कांग्रेस पार्टी में अशांति है। ये अशांत हैं कि प्रदेश में शांति क्यों है ? इन तीनों दलों को प्रदेश में शांति हजम नहीं हो पा रही है। ये चाहते हैं कि प्रदेश में अराजकता फैले, प्रदेश का विकास इनको हजम नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, सरकार की परफार्मेस पिछले पौने तीन साल में बहुत ही बढ़िया रही है। मान्यवर, चाहे कोई भी विषय/मुद्दा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे संयम से काम लिया है। कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी इस सरकार की है, इसलिये अगर कोई अराजकता फैलायेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, तो कानून भी अपना काम अवश्य करेगा। प्रदेश में कहीं कोई अशांति नहीं है, पूरी तरह से शांति है। हमने हर प्रकार से इस बात की व्यवस्था की है। पुलिस को हर जगह शांति बनाये रखने के लिये धारा-144 लागू करने के सख्त निर्देश दिये गये है। आम आदमी की जिंदगी में खलल डालने और अराजकता फैलाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसलिये इसको अग्राह्य किया जाये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्राक्टर आफिस का जिक्र किया है। प्राक्टर आफिस कैम्पस में होता है। जब छात्र प्राक्टर आफिस के सामने एकत्र थे तो बाहर निकलकर राहगीरों से कैसे मार-पीट, तोड़-फोड़ करने लगे। मान्यवर, दूसरी बात मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि 12-13 सौ लोग इकट्ठा हुये और मुकदमा 2600 लोगों पर लगाया

गया, तो जो 2600 लोग नामजद किये गये हैं, क्या मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उन 2600 लोगों पर दर्ज फर्जी मुकदमें वापस लेने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं। सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और जान-बूझकर मनगढ़न्त कहानी गढ़ रही है, सरकार के इस रवैये के खिलाफ हम और हमारा दल सदन से वाकआउट करते हैं।

(श्री लाल जी वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में घनघोर गलतबयानी की है। पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय और नदवा कालेज के छात्र कैम्पस से बाहर नहीं आये। इलाहाबाद के छात्र सड़क पर जरूर आये। कानून कार्यवाही करता है, लेकिन कभी-कभी सरकार को छात्रों के हितों की रक्षा भी करनी चाहिये। इनके गलतबयानी, छात्रों का उत्पीड़न, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोलाबारी और आंसू गैस छोड़ने के विरोध में हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, कानून अपना काम करेगा। मान्यवर, कानून की अपनी एक प्रक्रिया है। जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो पुलिस हाथ पर हाथ रखकर नही बैठेगी। मान्यवर, पूरे नियम के हिसाब से उसकी तफ्तीश होगी और गुण-दोष के आधार पर आगे के लिये उस पर कार्यवाही होगी, इतना हम आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में कहा कि जब से मा0 योगी जी की सरकार आयी है, तबसे पूरे उत्तर प्रदेश में सुशासन है। हम कहना चाहते हैं कि जहां पर जिन्दा बेटियों को जलाया जाये, ऐसा रामराज्य हमें नही चाहिये। जो घटना अभी 'ए0एम0यू0' और 'नदवा कालेज' में हुयी। हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। इसी विरोध के साथ हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गयी।)

श्री अध्यक्ष-

कार्य स्थगन की यह सूचना पूरी तौर पर अग्राह्य की जाती है और कार्य स्थगन की अन्य सूचनायें भी निरस्त की जाती हैं।

माननीय श्री हरीराम चेरो जी की एक सूचना है-जनपद सोनभद्र में पंचायती राज विभाग द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों में भारी पैमाने पर की जा रही भ्रष्टाचार एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, हमारी नियम-56 में एक सूचना थी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप कल दे दीजियेगा।

मा0 सदस्य (श्री नन्द किशोर गुर्जर) के व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग

श्री नन्द किशोर गुर्जर-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आसन ग्रहण करें। मैं नियम-301 की सूचनायें पढ़ लूं।

श्री नन्द किशोर गुर्जर-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी बात सुन लीजिये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

नन्द किशोर जी बैठ जाइये। प्लीज बैठिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

अभी सत्तापक्ष के माननीय सदस्य चिल्ला रहे थे कि कुछ नहीं है लेकिन आप माननीय विधायक जी को खड़ा कराइये और पहले उनकी बात सुनी जाये कि उनकी क्या पीड़ा है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विधायक जी की बात हम सुन लेंगे।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप मत बोलिये, मा0 सदस्य को खड़ा करिये। मा0 विधायक जी आप अपनी बात कहिये।

श्री अध्यक्ष-

सदन नियमों से चलेगा। राजभर जी, आपको जो कहना है मुझसे कहिये।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन की यह परम्परा रही है कि जब कोई मा0 सदस्य पीड़ित होता है तो आप उसकी बात सुनते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य की किसी भी नियम में नोटिस नही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, विधायक खुद पीड़ित हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि विधायक जी की बात सुनी जाये। यह परम्परा भी है और आपकी कृपा की जरूरत है क्योंकि विधायकों के संरक्षक आप हैं। आपका विधायक अगर किसी भी कारण से प्रताड़ित होगा तो उसमें आपका और सदन का भी अपमान है।

श्री अध्यक्ष-

आपके सहयोग से हम यहां इस कुर्सी पर बैठकर इस पक्ष या उस पक्ष के विधायक में कोई भेद नहीं करते। हमारे पास किसी भी माननीय विधायक की नोटिस आयेगी तो नियमों के अनुसार उसको सुनूंगा। अब मुझे नियम-301 पढ़ लेने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, इसमें नोटिस की जरूरत नहीं होती है। आप पिछली कार्यवाही निकलवा कर देख लीजिये, जब कोई विधायक प्रताड़ित हुआ है, अपनी बात सदन में कहा है और माननीय अध्यक्ष जी ने उसकी बात को सुना है तथा सरकार को कड़ा निर्देश भी दिया है। यह परम्परा रही है, निकलवा कर देख लीजिये, यह तथ्य प्रमुख सचिव भी जानते हैं। अगर हम पुलिस या प्रशासन से पीड़ित है तो हम सदन में अपनी बात कहेंगे और आप हमे संरक्षण देंगे।

(श्री नन्द किशोर जी के खड़े होने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नन्द किशोर जी आप बैठ जाइये। आपकी बात सुन लिया।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री एक मा0 सदस्य को डांट रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आप समझा सकते हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी किसी माननीय सदस्य को डांट नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष-

वह डांट नही रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

किसी माननीय सदस्य की आवाज को आप दबा नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री और आप, दोनों मिले हुये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय सदस्य की आवाज मत दबाइये, उनकी पीड़ा को सुनिये। उनकी बात सुनने में क्या हर्ज है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपकी हमदर्दी का शुक्रिया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

यह तानाशाही रवैया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग किसी न किसी रूप में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। मान्यवर, आज काफी बिजनेस है और औपचारिक काम भी है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उचित समझें तो आगे का एजेण्डा ले लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे इस बात की प्रार्थना कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का इतिहास रहा है कि अगर कोई माननीय विधायक जो इस सदन का सदस्य है किसी अधिकारी चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे वह पुलिस का अधिकारी हो या किसी भी वर्ग का हो अगर हमारे सदस्य को प्रताड़ित किया है तो हमेशा उसकी बात सुनी गयी है और आपने सुना है। सुनकर आपने सरकार को कड़ी से कड़ी कार्यवाही के लिये कहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपको कैसे मालूम कि यह प्रताड़ना का विषय है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, प्रार्थना है कि आप माननीय सदस्य की बात को सुनकर उनकी समस्या का निराकरण करवायें।

श्री अध्यक्ष-

आपका विचार काल्पनिक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आगे का विषय ले लें।

[01:10] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-301 की सूचना पढ़ रहा हूं। आज दिनांक 17-12-2019 को नियम-301 की कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुयीं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, विधायक कुछ कहना चाहते हैं उनकी बात सुनी जाये। आप नहीं सुनेंगे तो आखिर में विधायक कहां जाये।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में आकर संसदीय कार्य मंत्री की तानाशाही नही चलेगी के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

मैं सूचनायें पढ़ रहा हूं। कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। माननीय नरेन्द्र सिंह वर्मा जी वेल में हैं इसलिये इनकी सूचना निरस्त। जो सदस्य वेल में हैं, उनकी सूचनायें अस्वीकार। श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत शेरपुर से पप्सरा खादर तक अवशेष तट बन्ध पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में। डा0 डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत कतिपय नगर पंचायतों से दिल्ली के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में। श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में कतिपय स्थानों पर सड़कों, नालियों व पार्कों का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर अन्तर्गत बीसलपुर शाखा नहर एवं निगोही शाखा नहर पर रजवाहों एवं पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत सलोनी नदी पर अस्थायी स्टील पाईल सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहरानपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत दिल्ली-यमुनौत्री मार्ग से मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग तक सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत ग्राम बेलरांवा से चन्द्रिका देवी मन्दिर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत कतिपय मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी अन्तर्गत हुसेनपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद खीरी के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड शारदा नहर में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा के ग्राम सरसई डेरा से मोहर देवी होते हुये परासन तक मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में। श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में महिला सुरक्षा गार्डों एवं महिला वार्डेन की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत सुल्तानपुर शाखा नहर व फैजाबाद शाखा नहर से निकलने वाली माइनरों, रजबहों की सिल्ट की सफाई एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में। डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर में सीवर लाइन डालने से पचास हजार नागरिकों का जीवन नारकीय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। डा0 नीरज बोरा की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगंज स्थित शीतग्रह वाटिका का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय (डार्क जोन) ब्लाकों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के ढमोला नदी के किनारे पिचिंग के कार्य की परियोजना का वित्त पोषण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। डा0 मुकेश वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में बस स्टैण्ड पर यात्रियों को हो रही असुविधाओं के निदान के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य श्री रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री मूलचन्द्र सिंह, श्री संजीव कुमार दिवाकर, प्रिन्स वीर विक्रम सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री हरीराम, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री मसूद अख्तर, श्री रोशन लाल वर्मा, डा0 अरूण कुमार, श्री पवन कुमार उर्फ पवन केड़िया, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री अमिताभ बाजपेयी की सूचनायें अस्वीकार हुयी।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत शेरपुर से पप्सरा खादर तक अवशेष तटबन्ध पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे शेरपुर से पप्सरा खादर तक तटबन्ध का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उक्त तटबन्ध के अवशेष भाग का निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने से प्रतिवर्ष लगभग 50 गाँव बाढ़

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से प्रभावित होते हैं जिसमें जन-धन की काफी क्षति होती है। उक्त अवशेष तटबन्ध का निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु क्षेत्र की जनता द्वारा जिला स्तर पर व तहसील स्तर पर धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया परन्तु अभी तक उक्त दिशा में कोई पहल न किये जाने से जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। जनहित में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की कटान से होने वाली क्षति को बचाने के लिये अवशेष तटबन्ध का निर्माण पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये शेरपुर से पप्सरा खादर तक अवशेष तटबन्ध को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत कतिपय नगर पंचायतों से दिल्ली के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

[महोदय, मेरी विधान सभा 119-मीरगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शाही, शीशगढ़, मीरगंज आदि से दिल्ली के लिये कई डग्गामार बसें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं जिन्हें बन्द कराना अत्यन्त आवश्यक है एवं इनके स्थान पर उ0प्र0 परिवहन की बसें संचालित करना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में कतिपय स्थानों पर सड़कों, नालियों व पार्कों का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

महोदय,

[मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। इस औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों द्वारा केन्द्र व प्रदेश सरकार तथा यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को विभिन्न करों के रूप में भारी धनराशि का भुगतान किया जाता है। लेकिन इस औद्योगिक क्षेत्र की अधिकतर सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। उचित जल निकासी के लिये नालों तथा नालियों की व्यवस्था नहीं है। श्रमिकों के लिये पार्क नहीं है। उचित प्रकाश के लिये लाइटों की व्यवस्था नहीं है। जो सड़कें पिछले 2 वर्ष में बनायी गयी थी वह घटिया निर्माण के कारण टूट गई है। जनहित में घटिया निर्माण करने/कराने वाले ठेकेदारों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराया जाना तथा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों, नालियों, पार्कों का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करती हूँ।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत बीसलपुर शाखा नहर एवं निगोही शाखा नहर व उससे सम्बन्धित रजवाहों पर क्षतिग्रस्त पुलियों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130, बीसलपुर के अन्तर्गत शारदा सागर प्रणाली की बीसलपुर शाखा नहर व सम्बन्धित रजवाहों व अल्पिकाओं तथा शारदा नहर प्रणाली की शाहजहांपुर शाखा व सम्बन्धित रजवाहों व अल्पिकाओं साथ ही साथ शारदा नहर प्रणाली की ही निगोही शाखा नहर व उससे सम्बन्धित रजवाहों व अल्पिकाओं से सिंचाई होती है। इन सभी नहरों पर निर्मित पुलिया एवं पुल क्षतिग्रस्त होकर ध्वस्त हो गये हैं। कहीं-कहीं तो आवागमन भी अवरुद्ध है। शाहजहांपुर शाखा नहर पर गांव मितेपुर, किशनी, परेवा, ता0 किशनी, सिसैया जलालपुर एवं मलकपुर का पुल तथा गांव सोराहा, खकूमा एवं रम्पुरा प्रवीन के पास का पुल भी ध्वस्त हो गया है। आवागमन अवरुद्ध है।

उपरोक्त उल्लिखित शाखा, नहरों, रजवाहों तथा अल्पिकाओं पर लगभग सभी पुलियों की सुरक्षा दीवारें टूट चुकी हैं। जिससे कि आवागमन में अवरोध ही नहीं है अपितु दुर्घटनायें भी सामान्यतः हो रही हैं। इसलिये उपरोक्त दोनों पुलों का पुनर्निर्माण तथा टूटी पुलियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण नितान्त आवश्यक है। उपरोक्त पुल तथा पुलियों के अभाव में जन आक्रोश ही नहीं है अपितु जनता आन्दोलित एवं उद्वेलित है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा उक्त उल्लिखित पुल तथा पुलियों का पुनर्निर्माण तथा मरम्मत सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।]

जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत सलोनी नदी पर अस्थायी स्टील पाइल सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा अन्तर्गत पुरकाजी-लक्सर मार्ग से रतनपुरी व रामनगर के बीच धू-धू नदी (सलोनी नदी) पर अस्थायी स्टील पाईल सेतु का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में पुल निर्माण होने से 20-23 ग्राम के निवासियों को लाभ मिलेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग से मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग तक सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-रामपुर मनिहारन में दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग पर जन्धेड़ा समसपुर से बुड्ढाखेड़ा गुर्जर शुगर मिल होकर मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य जनहित में कराया जाना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि यह सिंगल मार्ग है जिस पर यातायात का भारी दबाव रहता है। मार्ग के चौड़ीकरण न होने के कारण प्रायः यहां पर भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। जनहित में इस मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र 231, चरखारी (महोबा) के अन्तर्गत चरखारी में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है। यहां पर आये दिन आग लगने से दुर्घटनायें होती रहती हैं। मुख्यालय से लगभग 20 कि0मी0 दूर होने से क्षेत्र के लोगों का समय से बचाव नही हो पाता है तथा आग लगने से किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत ग्राम बेलरांवा से चन्द्रिका देवी मन्दिर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि सफीपुर जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम बेलरांवा से चन्द्रिका देवी मन्दिर तक लगभग 1100 मीटर सड़क के डामरीकरण का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। महोदय उस क्षेत्र की जनता को आने-जाने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के निर्माण कार्य कराये जाने से लगभग पचासों गांव की जनता को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। यह कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुये प्राथमिकता के आधार पर सफीपुर जनपद उन्नाव में ग्राम बेलरांवा से चन्द्रिका देवी मन्दिर तक लगभग 1100 मीटर सड़क के डामरीकरण का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली अन्तर्गत कतिपय मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलबीर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में निम्नलिखित मार्ग कम चौड़े हैं। इन मार्गो पर वाहनों का भारी आवागमन रहता है। क्षेत्रीय जनता इन मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने की मांग वर्षों से कर रही है। प्रस्तावित मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आयेगी तथा इन मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।

1 एन0एच0-91 से सोमना-वीरपुरा तक अन्य जिला मार्ग एन0एच0-91 से खैर तक इस मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 17 कि0मी0 है तथा 12 कि0मी0 तक यह मार्ग 7 मीटर चौड़ा है तथा शेष भाग लगभग 4.91 कि0मी0, 3.70 मी0 चौड़ा है, आंशिक भाग कम चौड़ा होने के कारण दुर्घटनाओं की सम्भावना सर्वाधिक रहती है।

2 रामघाट रोड साधू आश्रम से हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर होते हुये अलीगढ़-मुरादाबाद मार्ग तक (अन्य जिला मार्ग) इस मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 3.70 मी0 है। इस मार्ग को 5.50 मी0 चौड़ीकरण करने हेतु विभाग के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तथा यह मार्ग पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है।

3 हरदुआगंज-कासिमपुर छेरत मार्ग (अन्या जिला मार्ग) वर्तमान में 5.50 मी0 चौड़ा मार्ग है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 12 कि0मी0 है। इस मार्ग को 7 मी0 चौड़ीकरण करने हेतु सड़क के दोनों ओर विभाग की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। यह मार्ग अलीगढ़ रामघाट मार्ग से अलीगढ़, मुरादाबाद मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग है।

4 एन0एच0-91 बिजलीघर के सामने होते हुये टमकौली-बरौली मार्ग इस मार्ग का अधिकांश भाग 5.50 मी0 चौड़ा है शेष लगभग 2.50 कि0मी0 भाग 3.00 मी0 चौड़ा है, जिसके कारण दुर्घटनाओं की सम्भावना अधिक रहती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में उक्त मार्गों का शीघ्र चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी अन्तर्गत हुसेनपुर सुधाना ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा-

[महोदय, जनपद-अम्बेडकरनगर के परगना व तहसील टाण्डा के ग्राम बिहरा, ग्राम जगनपुर, ग्राम कनौढ़ा सहित दजनों ग्रामों के वर्षा पानी की निकासी हुसेनपुर सुधाना ड्रेन के माध्यम से होती है, परन्तु उक्त ड्रेन अल्ट्रा सीमेन्ट फैक्टरी एवं एन0टी0पी0सी0 टाण्डा की राख से अवरुद्ध हो गया है। जिसके कारण उक्त ग्रामों के सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि पर अभी भी जल भराव है, जिसके कारण रवी की फसल की बुवाई नहीं हो पायी है। जिसके कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के तत्कालिक प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुये हुसेनपुर ड्रेन की समुचित सफाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद खीरी के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड शारदा नहर में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जिला लखीमपुर खीरी के बाढ़ खण्ड शारदा नगर लखीमपुर वर्ष 2017-18 में सरकार आने पर बाढ़ सुरक्षा कार्य में समिति की जांच रिपोर्ट में करोड़ों का भ्रष्टाचार पाया गया था, इसमें तत्कालीन अधिशासी अभियन्त द्वारा सम्बन्धित अवर अभियन्ता से मिलकर 7 माप पुस्तिकायें सन्देहात्मक स्थिति में लखनऊ से गायब दिखा दी गयीं। प्रकरण में जांच अधिकारियों द्वारा षडयंत्र किये जाने के दृष्टिगत विजिलेन्स या अन्य उच्च स्तरीय जांच हेतु संदर्भित किया गया था परन्तु इतने बड़े भ्रष्टाचार पर विभागीय/शासन स्तर पर दबाया गया है। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-जालौन के विकास खण्ड कदौरा के ग्राम सरसई डेरा से मोहर देवी होते हुए परासन तक मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[महोदय, 220-कालपी विधान सभा में विकास खण्ड-कदौरा के ग्राम-सरसई डेरा परासन जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। बरसात में ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः जनपद-जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में सरसई डेरा से मोहर देवी होते हुए परासन तक जिसकी लम्बाई लगभग 5 किमी0 होगी, बनवाने का कष्ट करें।]

इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में महिला सुरक्षा गार्डों एवं महिला वार्डेन की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि प्रयागराज स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लड़कियों के आवास हेतु एक वूमेन छात्रावास है जहां लगभग 4000 लड़कियां अध्ययनरत् हैं। उक्त छात्रावास में छात्राओं की यह शिकायत है कि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। वहां तैनात अधिकांश वार्डेन पुरुष हैं महिला वार्डेन की संख्या बहुत कम है। छात्रावास में आये दिन कुछ न कुछ निर्माण व मरम्मत का कार्य चलता रहता है जिसके चलते वहां के ठेकेदार व मजदूर बिना वजह के लड़कियों के कमरों के आस-पास घूमते रहते हैं व उनके कमरों में घूस चले आते हैं विरोध करने पर अनावश्यक ताक-झांक व टीका-टिप्पणी करते रहते हैं जिसके सम्बन्ध में उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार शिकायत भी की परन्तु कोई सुधार नहीं हुआ है। छात्रावास में तैनात सुरक्षा गार्डों में अधिकांश पुरुष हैं जिनकी वजह से भी लड़कियां अपनी सुरक्षा के प्रति आशंकित व डरी डरी रहती हैं। प्राथमिकता के आधार पर वूमेन गर्ल्स हास्टल इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, प्रयागराज में महिला सुरक्षा गार्डों व महिला वार्डेन की नियुक्ति की जाये तथा लड़कियों की सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किये जायें। उनके रहने के कमरे व बाथरूम आदि की पूर्ण मरम्मत यथाशीघ्र करायी जाये तथा मजदूरों व ठेकेदारों के अनावश्यक आवागामन पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। महिला छात्रावासों की सुरक्षा व सुविधा के सभी प्रबन्ध किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल वूमेन छात्रावास, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, प्रयागराज में छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधा सम्बन्धी सभी शिकायतों को दूर किये जाने की कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत सुल्तानपुर शाखा नहर व फैजाबाद शाखा नहर से निकलने वाली माइनरों रजवाहों की सिल्ट की सफाई एवं टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद अयोध्या, विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत सुल्तानपुर शाखा नहर व फैजाबाद शाखा नहर से निकलने वाली माइनरों, रजवाहों में सफाई का कार्य वर्तमान सत्र में शुरू किया गया। विभाग के द्वारा सफाई के इस काम को जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा कराया गया जिसके नाते पूरी सिल्ट माइनरों एवं रजवाहों से नहीं निकल पायी और जो निकाली भी गयी उसको किनारे-किनारे बिना समतल किये ही ढेर कर दिया गया। इस आधी-अधूरी माइनरों एवं रजवाहों की सफाई से टेल तक पानी न पहुंचने के कारण किसानों को सिंचाई की समस्या होगी तथा ढेर किये सिल्ट से आवागमन भी प्रभावित होगा। जनहित में सिंचाई की समस्या के निदान हेतु बची हुयी सिल्ट की सफाई मजदूरों से कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करायी जाये तथा आवागमन की सुविधा के लिये ढेर कर दी गयी सिल्ट को समतल कराया जाये।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्ब विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त माइनरों एवं रजवाहों की बची हुयी सिल्ट की सफाई मजदूरों से कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था एवं आवागमन हेतु ढेर कर दी गयी सिल्ट को समतल कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-गोरखपुर में सीवर लाइन डालने से पचास हजार नागरिकों का जीवन नारकीय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, गोरखपुर महानगर में नन्दानगर, सैनिक कुंज, दरगहिला, झरना टोल, नीना थापा, आदर्शनगर, कूड़ाघाट, पीपलगढ़ा, गिरधरगंज, आवास विकास झारखण्डी, न्यू कालोनी, त्रिभुनपुरवा, अभिषेक नगर, दिव्यनगर, मालवीय नगर, गोरखनगर, शिवनगर आदि 5 वार्डों में सीवर लाइन डाली जा रही है। पिछले 1½ वर्षो में 140 किलोमीटर क्षेत्र में सीवर लाइन इतने अनियोजित तथा बेतरतीब तरीके से डाली गयी कि 50 हजार नागरिकों का जीवन पूरी तरह नारकीय हो गया है।

जल निगम के ठेकेदारों ने अधिकांश सड़कें खोद डाली, गड्ढ़े खोद डाले और सीवर डालकर उन्हें वैसा ही छोड़ दिया। अधिकांश क्षेत्रों में बनायी गयी उच्च कोटि की सीसी रोड सड़कों को मिट्टी की कच्ची सड़कों में बदल दिया गया। आये दिन महिलायें, बच्चे, वयोवृद्ध नागरिक दसियों की संख्या में फिसलकर गिरते हैं और हाथ-पैर तोड़ लेते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आज सीवर लाइन डालने की ट्रेन्य-लेस पद्धति उपलब्ध है, जिनमें सीवर लाइन भी पड़ जायेगी और सड़क भी काटनी नहीं पड़ेगी। लेकिन न जाने किन कारणों से पुरानी ट्रेन्य-पद्धति से लाइनें डाली जा रही हैं। आश्चर्य है कि सड़कें तो पूरी खोद डाली गयी लेकिन बनायी गयी सिर्फ बीच का हिस्सा और वह भी निहायत घटिया स्तर के।

दुःखद यह है कि 19-07-2019 को हमनें नियम-51 के तहत यह विषय विधान सभा में उठाया था लेकिन आज तक उसका जवाब तक नहीं दिया गया। 24 जुलाई को तत्कालीन नगर विकास मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना ने जल निगम के एम0डी0 को गोरखपुर जाकर हमारे साथ निरीक्षण करने के लिये निर्देशित किया, लेकिन मा0 मंत्री जी का विभाग बदल जाने के कारण एम0डी0 ने उनका आदेश डस्टबिन में फेंक दिया। वर्तमान नगर विकास मंत्री से भी हमने कहा तो उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसा कैसे हो गया, मैं उन्हें भेजूंगा, लेकिन वे निरीक्षण नहीं कर सके।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय को नियम-301 के तहत उठाने तथा पटल पर जवाब देने के लिये निर्देशित करें।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगंज स्थित शीतग्रह वाटिका का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नीरज बोरा-

[महोदय, लखनऊ के अलीगंज स्थित शीतगृह वाटिका के सौन्दर्यीकरण कार्य का शिलान्यास लगभग दस माह पूर्व कराया गया था। खेद है कि विभागीय उदासीनता व लेटलतीफी के चलते शिलान्यास के उपरान्त भी अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। सघन आबादी के मध्य स्थित यह वाटिया क्षेत्र के बाल-बुजुर्गों को संजीवनी देती है। उक्त वाटिका के सौन्दर्यीकरण कार्य को अविलम्ब कराया जाना जनहित में अन्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगंज स्थित शीतगृह वाटिका के सौन्दर्यीकरण कार्य में किये जा रहे विलम्ब का संज्ञान लेने और लम्बित कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय (डार्क जोन) ब्लाकों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर (जौनपुर) के तीनों ब्लाक, विकास खण्ड बदलापुर, विकास खण्ड महराजगंज, विकास खण्ड बख्शा डार्क जोन में घोषित है। यहां के कई गांव नदियों के किनारे होने के कारण यहां के हैण्डपम्प से खारा पानी आता है जो ग्रामवासियों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के किसी काम में नहीं आता है। जिससे ग्रामवासियों को पीने के पानी को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की टंकियों के लिए चिन्हित गांव-विकास खण्ड बदलापुर-मेढ़ा, करनपुर, बहरीपुर, बदलापुर खुर्द, तियरा, रामनगर, विकास खण्ड महराजगंज-ढेमा, बाबूगंज, कोल्हुआ, सराय दुर्गादास, ब्लाक बक्सा के चिन्हित गांव-बेलावां धनिया मऊ में आते हैं। उक्त विकास खण्डों में पानी की टंकियों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम- 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

महोदय,

[फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक श्रमिक बाहुल्य औद्योगिक जनपदों में से एक है। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के बालक/बालिकाओं को स्तरीय शिक्षा देने के उद्देश्य से नवोदय विद्यालय के तर्ज पर प्रदेश के समस्त मण्डलों में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 12-15 एकड़ उपयुक्त निःशुल्क भूमि चिन्हित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबादमें उपरोक्तानुसार भूमि चिन्हित कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारीगण को निर्देशित किया गया। तत्क्रम में उप जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अपनी आख्या संख्या-1042/र0का0-1704, दिनांक 22-06-2019 के माध्यम से भूमि चिन्हित कर अवगत कराया है कि तहसील फिरोजाबाद के ग्राम सोफीपुर में खाता संख्या-338 के गाटा संख्या-90 रकबा 7.028 है0 भूमि अभिलेखों में दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि खाली है, तथा गाटा संख्या-90 जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 में खतौनी खाता संख्या-232 में भी अतिरिक्त भूमि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश दर्ज है।

इस चिन्हित भूमि के सम्बन्ध में सहायक श्रमायुक्त, फिरोजाबाद से 06 बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त की गयी। सहायक श्रमायुक्त, फिरोजाबाद ने अपने पत्र संख्या-2118/स0श्र0फि0-2019 दिनांक 29-06-2019 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त चयनित स्थल के पास आवागमन हेतु सड़क उपलब्ध है व शहर के नजदीक है तथा चयनित स्थल फिरोजाबाद नगर के पास होने के कारण सामान्य दृष्टिकोण से सुरक्षित प्रतीत होना बताया है। उक्त के शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या 333/ भूमि व्यवस्था -5 - पुनर्ग्रहण दिनांक 01-07-2019 की संलग्नकों सहित छायाप्रति शासन में प्रेषित की जा चुकी है। जिलाधिकारी फिरोजाबाद के द्वारा दिनांक 11-12-2019 को ग्राम सोफीपुर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तहसील व जिला फिरोजाबाद के गाटा संख्या-90/1 रकबा 6.456 हेक्टेयर गाटा संख्या-89 ख रकबा 0.044 हेक्टेयर कुल 2 किता कुल रकबा 6.500 हेक्टेयर भूमि की क्षेणी 5-3-ण अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु श्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ/श्रमायुक्त फिरोजाबाद के निर्वतन पर पुनग्रहीत की जा चुकी है।

फिरोजाबाद में भवन एवं सनिर्माण कर्मकारों के बालक/बालिकाओं को स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की अनिवार्यता में आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल प्रभाव से फिरोजाबाद में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के ढमोला नदी के किनारे पिचिंग के कार्य की परियोजना वित्त पोषण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर की एक महत्वपूर्ण बरसाती नदी ढमोला 7 कि0मी0 महानगर सहारनपुर के शहरी क्षेत्र के मध्य से होकर बहती है। नदी का अधिकतम डिस्चार्ज 20,000 क्यूसेक है। वर्षा के मौसम में निस्सरण बढ़ने पर शहरी क्षेत्र में नदी का जल स्तर बढ़कर प्रवाह गति अति तीव्र रहती है, संकुचित प्रवाह मार्ग होने के कारण नदी द्वारा आबादी क्षेत्र में कटाव किया जाता है। ढमोला नदी के दोनों किनारों पर घनी शहरी आबादी बसी हुई है। वर्ष 2013 में जनपद सहारनपुर में अत्यधिक वर्षा होने के कारण ढमोला नदी के निकट कालोनियों में अत्यधिक जल भराव एवं व्यापक जान-माल का नुकसान हुआ था। बरसात के दिनों में नदी के दोनों किनारों पर बसी कालोनियों के लोग दहशत में रहते हैं। सिंचाई विभाग द्वारा उपरोक्त समस्या के समाधान के लिये नदी के किनारे पर बाढ़ से सुरक्षा हेतु पिचिंग के कार्य की परियोजना धनराशि रुपये 566.47 लाख तैयार की गई। परियोजना उत्तर प्रदेश की तकनीकी सलाहकार समिति की 194वीं बैठक दिनांक 05-11-2018 में स्वीकृत की गई तथा शहरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण परियोजना का वित्त पोषण शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा करने का निर्णय लिया गया परन्तु जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को कई बार आग्रह किये जाने के बावजूद आज तक उसका वित्त पोषण नहीं हो पाया, जिससे शहरी क्षेत्र के ब्रजेश नगर, सेतिया विहार, पंजाबी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाग, सुक्कूपुरा, अमरदीप कालोनी एवं नमक मिल के लोगों में अपनी जान-माल का खतरा बना रहता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए वर्षाकाल के दृष्टिगत बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किये जाने एवं प्रस्तावित कार्यों को सम्पन्न कराये जाने के लिये धनराशि अंकन रुपये 566.47 लाख का धनावंटन करने हेतु शासन को वक्तव्य दिये जाने के लिये निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में बस स्टैण्ड पर यात्रियों को हो रही असुविधाओं के निदान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश वर्मा-

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद में एक मात्र बस डिपो शिकोहाबाद डिपो के नाम से शिकोहाबाद नगर में है। यहां डिपो होने के बाद भी डिपो जैसी सुविधाओं का अभाव है। यात्रियों को सर्दी के मौसम में बैठने के लिये यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। बसें डिपो में आती-जाती नहीं हैं। व एन0एच0-2 से ही निकल जाती हैं। बस स्टैण्ड में शौचालय की स्थिति भी बहुत दयनीय है। एम0एस0टी0 व ओपन कार्ड के लिये यात्रियों को दर-दर भटकना पड़ता है व महीनों चक्कर काटने के बाद भी नहीं बनवा पा रहे हैं। बरसात के दिनों में बस स्टैण्ड प्रांगण नीचा होने के कारण जलमग्न हो जाता है। पूर्व परिवहन मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह ने भी शिकोहाबाद डिपो का दौरा किया था परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त समस्याओं के निदान की मांग करता हूं।]

(सदन के वेल में सदस्यगण तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी। विधायक को न्याय दो-न्याय दो के नारे लगाते रहे।)

चिकित्सालय प्रबन्धन, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 02, वर्ष 2019[†]

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश में चिकित्सालय प्रबन्धन, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 02, वर्ष 2019 (निष्पादन लेखा परीक्षा) (31 मार्च, 2018 को समाप्त हुये वर्ष के लिए) को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[†] छापा नहीं गया।

वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2, 2017-2018 तथा विनियोग लेखे 2017-2018

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2, 2017-2018 तथा विनियोग लेखे 2017-2018 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन के वेल में खड़े सदस्यों द्वारा न्याय दो-न्याय दो के नारे लगाये जाते रहे)

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2019 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2019 को संविधान के अनुच्छेद-151(2) की अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

[01:13] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद

† छापा नहीं गया।

विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

सिविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि सविल विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित

किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हो गया।

[01:15] उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का अनुपूरक) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 जुलाई, 2019 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 जुलाई, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का पांचवा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (निरसन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमान् आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 05 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन्, 2019 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमान्, आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 05 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमान्, आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 05 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमान्, आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 05 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश का राज्य सम्प्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमान्, आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 जुलाई, 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 05 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2019 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

[01:19] मा0 सदस्य (श्री नन्द किशोर गुर्जर) के व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

*** नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का सवाल है। अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना है और आपसे ही हम लोगों की अपेक्षाएं हैं। मैं जब से सदन में आया हूं, किसी भी दल का सदस्य चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर वह किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपमानित या प्रताड़ित हुआ है तो पूरा सदन उसके साथ खड़ा हुआ है। और यहां से आपकी पीठ से उस पर कड़े

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्देश दिये गये हैं। इस सदन के सदस्य का अपमान हुआ है वह आपके सदस्य हैं। वह सरकार के नहीं हैं। यहां पर विधान सभा के जितने सदस्य हैं, उनके मालिक आप हैं। आप संरक्षक हैं। इसलिये आप सरकार को कड़े से कड़ा निर्देश दें। यहां पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी पीड़ित सदस्य को यहां पर न सुना गया हो। मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है कि उस पीड़ित सदस्य को सुना जाए और उस पर आप सरकार को कड़े से कड़ा निर्देश दें ताकि भविष्य में किसी कर्मचारी या अधिकारी की जुर्रत न हो कि वह सदस्य का अपमान कर सके।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों के पास आजकल कोई काम नहीं है। हमारे सदस्य के साथ जो हमदर्दी दिखाई जा रही है उसके लिये मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमारे सदस्य के प्रति इतने विनम्र हो गये, इतनी संवेदनशीलता आप में आ गई इसलिये मैं आपका आभारी हूं। आपने इसका संज्ञान लिया है, हमने भी इसका संज्ञान लिया है। हम इस सम्बन्ध में बात कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इन लोगों के नेता लोगों ने कह दिया है कि आज हाउस चलाना नहीं है इसलिये विपक्ष के लोगों का हाउस चलाने का मूड नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी, हमारे मित्र भी हैं। यहां पर कई बार इस तरह के प्रकरण आये हैं कि अगर किसी सदस्य के साथ कोई बात हो जाती है तो फिर पक्ष या विपक्ष की बात नहीं रहती है। अगर किसी सदस्य का अपमान हुआ है तो पूरे सदन ने उसका साथ दिया है और अध्यक्ष ने उसकी बातों को सुना है और सुन करके मा0 अध्यक्ष जी ने कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश सरकार को दिये हैं। इसमें आपको शर्म क्या है ? हमको तो शर्म है। आपका मा0 सदस्य प्रताड़ित हुआ है इसलिये हमको तो शर्म है, लेकिन आपको नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमें पूरी हमदर्दी है। हम उनसे बात करके उनकी पीड़ा को दूर करेंगे। अगर किसी मा0 सदस्य की कोई पीड़ा होगी तो हम उस पीड़ा को दूर करेंगे। यह हमारी पार्टी का मामला है इसलिये आप उसकी चिन्ता न करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट का मौका दिया जाए।

(इस मध्य नेता बहुजन समाज पार्टी श्री लाल जी वर्मा एवं नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि अगर कोई कठिनाई होगी तो हम बात कर लेंगे। अभी तो कल भी हाउस है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, इस पर कोई चर्चा तो हो नहीं रही है। मा0 नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सभी के विचार आ गये हैं और पूर्ण विचार आ गये हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति आप देते हैं तो अगर वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो उठायें और अगर न उठाना चाहें तो न उठायें।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों तो वरिष्ठ नेता हैं तो आप तो जब चाहते हैं तब बोल लेते हैं।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमें इसी विषय पर केवल दो मिनट का मौका दिया जाये।

(इस मध्य विपक्ष के बहुत से सदस्यों के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 उपेन्द्र जी आप बताइये।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पिछली सरकार में मा0 नेता प्रतिपक्ष जी कैबिनेट मंत्री थे और 13 अगस्त, 2016 को सरेआम गोली चली थी। उस समय मा0 नेता प्रतिपक्ष जी कैबिनेट मंत्री के रूप में थे और मैं अपनी बात इसी सदन में रखना चाह रहा था तो उस समय की वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार इसी सदन में हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं देती थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सरकार के इस तानाशाही रवैये और हमारे एक मा0 सदस्य को अधिकारियों द्वारा अपमानित किये जाने के कारण तथा सरकार द्वारा उसका कोई संज्ञान न लेने के कारण हम लोग इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् नेता, समाजवादी पार्टी श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, उस समय मा0 नेता प्रतिपक्ष जी भी थे और मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उपेन्द्र जी, अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान के मध्य)

मद संख्या-9 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-10

[01:30] श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री मूलचन्द्र सिंह-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत हीरापुरा नीचे का पुरा के मध्य मृगा नदी पर पूल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी पाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के कस्बा माधौगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के कस्बा माधौगढ़ के अन्तर्गत अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राधवेन्द्र व्यास व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

मा0 सदस्य (श्री नन्द किशोर गुर्जर) के व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

(व्यवधान के मध्य)

***श्री सुखदेव राजभर-**

मान्यवर, इस विधान सभा में हम लोग आये हैं। आज वहां पर विधायक घेरा गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। इसी सदन से सम्बन्धित है और आपके सामने है इसलिये सुन लें, उसके बाद आप अपना निर्णय दें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आप पूरी लॉबी देख लें और यह कह रहे हैं कि यह हमारी पार्टी का मसला है। यह पार्टी का मसला नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं।

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजभर जी, आप बैठिये। आप बहुत वरिष्ठ हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी।

[01:32] श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार की कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना यादव, निवासी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ग्राम पंचायत कैथोन, ऊंचाहार देहात कंदरावां में मनरेगा योजना के करोड़ों रुपये धन का मानक के विरुद्ध 60:40 का अनुपात दर किनार करते हुए घटिया एवं नियमों के विरुद्ध किये गये कार्य एवं वित्तीय अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच के सम्बन्ध में श्री शैसेन्द्र उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ग्राम पंचायत ऊंचाहार देहात, ब्लाक एवं तहसील ऊंचाहार में नियमों के विरुद्ध अवैध वसूली कर आवास आवंटन, शौचालय निर्माण में अनियमितता, सरकारी भूमि पर कब्जा कराने आदि के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्र पर अधिकारियों द्वारा शिकायत सही पाने पर भी प्रधान एवं कर्मचारियों को बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवहर्ष सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

मा0 सदस्य (श्री नन्द किशोर गुर्जर) के व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह सदन और इसकी लॉबी सब आपके और विधान सभा के नियंत्रण में आती है। अगर सदन के बाहर लॉबी में किसी विधायक को बंधक बनाया जाये तो यह भी आपके विशेषाधिकार का हनन है।

---

† छापा नहीं गया।

कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, यह कौन सी व्यवस्था का प्रश्न है ? शांतिपूर्ण ढंग से सदन चल रहा है तो फिर इस व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ? इस तरह का कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय शाही जी आप क्या कह रहे हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि सदन शांन्तिपूर्ण ढंग से चल रहा है किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था का प्रश्न इस समय उपस्थित नहीं होता है। यदि किसी विधायक के साथ हमारा विधायक बातचीत कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अव्यवस्था है। आपने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वहां पर विचार-विमर्श करने के लिए गये हैं कि मामला क्या है ? इसमें किसी को धमकाने की बात नहीं है। सदन की कार्यवाही ठीक प्रकार से चल रहीं है और यह हमारा अधिकार है कि यदि आपको कोई तकलीफ है तो हम आपसे बात करें, इसी प्रकार उनसे भी हमारा बात करने का अधिकार है। इस प्रकार सदन की कार्यवाही में कहीं अव्यवस्था पैदा हो गई है तो इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित माननीय वर्मा जी एवं अन्य नेताओं ने इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। मैं सरकार को भी कह चुका हूं और दुबारा कह रहा हूं कि अगर उनकी कोई पीड़ा है तो उसे सरकार को हल करनी चाहिए और मैं आज सदन उठने के तत्काल बाद उनसे वार्ता करूंगा और उनका कष्ट सुनूंगा।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था को कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता है, लेकिन हमने जो आपसे प्रार्थना की थी कि जब से सदन का चलना प्रारम्भ हुआ है और आज के दिन तक जब भी कभी कोई सदस्य अपमानित हुआ है उसकी बात सदन में सुनी गयी है। माननीय अध्यक्ष ने उसका संरक्षण किया है और सरकार को कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज एक सदस्य की बात सरकार नहीं सुन रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार नहीं आप हमारे संरक्षक हैं, जितने भी सदस्य सदन में बैठे हैं उनके मालिक आप हैं। मैं यहां पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहा हूं कि एक बार उस माननीय विधायक की बात सुन ली जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने विचार कर लिया है। मैं उनकी बात सुनूंगा और तद्नुसार कार्यवाही भी करूंगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, उन्नाव वाला विषय ले लीजिए ?

श्री अध्यक्ष-

उन्नाव वाले विषय के संबंध में सब लोगों ने कहा है कि उसे कल लिया जाये। महिलाओं वाला विषय कल लिया जायेगा।

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित दो याचिकाएं[†]

श्री ठाकुर रवेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत नगर पंचायत कोड़ियागंज में काली नदी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री मास्टर मलूक चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगीरी के ग्राम धनसिंहपुर में काली नदी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं[†]

श्रीमती लीना तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर, विधान सभा क्षेत्र मडियांहूँ में ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोती लाल पाल पुत्र श्री होरी लाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर, विधान सभा क्षेत्र मडियांहूँ में चेकडैम निर्माण स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना पटेल पुत्र स्व0 रामचन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हां लाबी में पर्दा बन्द करके मारपीट हो रही है । कृपया आप अपने मार्शल को भेज करके इसका पता तो लगवा लीजिये।

[†] छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

ऐसी कोई बात नहीं है।

[01:34] श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित छः याचिकाएं †

श्री काली प्रसाद-

(1) माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड की नगर पंचायत लार को नगर पालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश यादव व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड के अन्तर्गत राजीव नगर चौराहा से पड़रीगजराज पिच मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड भागलपुर तिराहे से रेवली चौराहा तक सड़क को चौड़ीकरण (टू-लेन) किये जाने के सम्बन्ध में डा0 कामेश्वर नाथ मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड सलेमपुर की नगर पंचायत सलेमपुर को नगर पालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया विकास खण्ड भागलपुर के अन्तर्गत रामजानकी मार्ग पर मईल चौराहा के पास शकरी एवं क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन लाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

6-माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया के विकास खण्ड लार के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा हेतु महिला पालीटेक्निक खोले जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह राजू व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती की याचिका (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री संजय प्रताप जायसवाल जी की अगली याचिका है, वह सदन में उपस्थित नहीं हैं।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर के धवाय भटपुरवा नरकटहा से होते हुए धोबहा मार्ग पर कुआनो नदी के पगारे घाट पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-16 में कुछ नहीं हैं। अब मद संख्या-17

[01:36] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनायें ले ली जायं।

2-नियम-103 के अन्तर्गत 10 प्रस्तावों पर दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को तथा शेष प्रस्तावों पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को चर्चा की जायं।

तदनुसार दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

दिसम्बर 2019

17 मंगलवार 1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

2-12:20 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

3-नियम-103 के अन्तर्गत प्राप्त एवं सदन में प्रस्तुत आधे-आधे घण्टे के लिए चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रेत्तर चर्चा-जारी :-

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री विनय शंकर तिवारी	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाय।''
2	श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार लल्लू	''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''
3	श्री अजय कुमार लल्लू	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर में बांसी नदी के तट पर स्थित गौरीघाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''
4	श्री देवमणि द्विवेदी	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-सुल्तानपुर का नाम बदलकर 'कुश भवनपुर' किया जाये।''
5	श्री जवाहर लाल राजपूत	''मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जन स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती किए जाने की कार्य योजना बनायी जाय।''
6	श्री जवाहर लाल राजपूत	''मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनपद-झांसी की ब्लाक मोंठ के ग्राम लोहागढ़, ब्लाक गुरसराय के ग्राम एवनी तथा ब्लाक बामौर के ग्राम ककरवई में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जाये।''

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
7	श्री जवाहर लाल राजपूत	''मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जनपद-झांसी के पारीछा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर एवं उसके गढवई, भसनेह तथा एरच राजबहों में टेल तक पानी पहुँचाया जाये।''
8	श्री अजय कुमार लल्लू	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता बढ़ाये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''
9	श्री अजय कुमार लल्लू	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन बढ़ा कर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के समान/बराबर वेतन, किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''
10	श्री अजय कुमार लल्लू	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के ग्राम सभाओं में तैनात चौकीदारों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति उन्हें वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

18 बुधवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-विधायी कार्य।

3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

19 गुरुवार 2-वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

20 शुक्रवार 1-विधायी कार्य।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

3-नियम-103 के अन्तर्गत प्राप्त एवं सदन में प्रस्तुत आधे-आधे घण्टे के लिए चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रेत्तर चर्चा-जारी :-

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री अजय कुमार लल्लू	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''
2	श्री अजय कुमार लल्लू	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात लेखपालों का वेतन बढ़ाये जाने एवं प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की भांति वेतन, भत्ता प्रदान किये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''
3	श्री अजय कुमार लल्लू	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आशा कर्मियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
4	श्री अजय कुमार लल्लू	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात रोजगार सेवकों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''
5	श्री अजय कुमार लल्लू	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात होमगार्डों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।''
6	प्रिंस वीर विक्रम सिंह	''यह सदन जनपद-शाहजहांपुर के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र 131-कटरा बस स्टैण्ड अति जर्जर होने के कारण कटरा बस स्टैण्ड का नवनिर्माण कराया जाये।''
7	श्री अजय कुमार लल्लू	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर की नगर पंचायत सेवरही को जिला बनाये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाये।''
8	श्री संजय कुमार	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र चायल में राजकीय इण्टर कालेज व राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाये।''
9	श्री संजय कुमार	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद भरवारी स्थित बन्द पड़े अस्पताल बल्लभराम सालिगराम मेहता का अधिग्रहण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित कराया जाये।''

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
10	प्रिंस वीर विक्रम सिंह	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद शाहजहाँपुर के अर्न्तगत मेरे विधान सभा क्षेत्र 131-कटरा में स्थित विकास खण्ड़ मदनापुर के ग्राम पंचायत बुधवना के ग्राम जिराऊ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना कराई जाय।''
11	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मथुरा के राया में मथुरा-अलीगढ़ रेलवे मार्ग पर रेलवे फाटक पर घंटों लगने वाले जाम की समस्या के निवारण हेतु उपरिगामी सेतु बनवाया जाय।''
12	श्री जवाहर लाल राजपूत	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड के गिरते भू-जलस्तर को ठीक करने हेतु तालाबों/पोखरों से अतिक्रमण हटवा कर उनका पुनरुद्धार करवा कर उनमें प्रचुर मात्रा में जल संचयन की व्यवस्था करायी जाय।''
13	श्री जवाहर लाल राजपूत	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड की नदियों से मानकों के विपरीत बालू/मौरंग के अंधाधुंध खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान एवं गिरते भू-जलस्तर को देखते हुए बालू/मौरंग के खनन मानकों का पुनर्निधारण करते हुए उनके पालन हेतु एक प्रभावी योजना बनायी जाय।''
14	श्री बृजेश कुमार प्रजापति	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड में प्रतिवर्ष पड़ रहे सूखे के कारण गिर रहे जल स्तर से उत्पन्न पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाये।''

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
15	श्री बृजेश कुमार प्रजापति	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बुन्देलखण्ड के नागरिकों का पलायन रोकने हेतु बुन्देलखण्ड में ही रोजगार मुहैया कराया जाय।''
16	श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि हाटा क्षेत्र के मुख्यालय से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर भारी वाहनों के आवाजाही से जनता को सड़क पार करने में हो रही असुविधा एवं बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए हाटा कस्बे के यात्री स्टेशन पर अण्डरपास बनाया जाय।''
17	श्री संजय कुमार	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के चायल विधान सभा क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी एवं पिछड़ेपन को दूर करने हेतु क्षेत्र में UPSIDC द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करायी जायें।''
18	डा0 नीरज बोरा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बढ़ती आबादी के कारण उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में विकसित हुए नवीन आवासीय क्षेत्र के बीच आ चुके श्मशान भूमि के कारण कालोनीवासियों को हो रही समस्या के दृष्टिगत पुराने श्मशान घाटों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी योजना बनायी जाय।''
19	डा0 नीरज बोरा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ में सूर्योपासना के महापर्व छठ पर होने वाली श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के दृष्टिगत गोमती नदी के तट पर गोमती रिवर फ्रन्ट योजनान्तर्गत घाटों का निर्माण कराया जाय।''

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
20	डॉ0 नीरज बोरा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि व्यापक जनहित में लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने परिसर से लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर, इंजीनियरिंग कालेज, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं भारतीय प्रबन्ध संस्थान मैट्रो रेल सेवा से जोड़ा जाय।''
21	डॉ0 आर0 के0 वर्मा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ में ओ0डी0 ओ0पी0 अन्तर्गत चयनित आंवला के किसानों को प्रोत्साहित करने व आंवला के गुणकारी विभिन्न उत्पादनों की पहचान देश विदेश में कराने हेतु जनपद-प्रतापगढ़ में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाय।''
22	डॉ0 आर0 के0 वर्मा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा विश्वनाथगंज अन्तर्गत ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थल, भयहरणनाथ धाम को पर्यटन स्थल घोषित कर उसका सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाय।''
23	डॉ0 आर0 के0 वर्मा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद प्रतापगढ़ में गरीबों, बेरोजगारों, नौजवानों के मुम्बई, दिल्ली आदि बड़े शहरों में हो रहे पलायन को रोकने हेतु प्रतापगढ़ की ए0टी0एल0 फैक्ट्री की भूमि पर एक उद्योग की स्थापना की जाय।''

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
24	डॉ0 नीरज बोरा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ में बढ़ती आबादी व होने वाले जलसंकट के दृष्टिगत भविष्य में सबको पानी उपलब्ध कराने के लिए कुर्सी रोड और घैला के पास एक-एक वाटर वर्क्स की स्थापना करायी जाय।''
25	श्री ज्ञान तिवारी	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि लखनऊ के जानकीपुरम के सेक्टर-एच में जल निकासी के लिए क्षतिग्रस्त की गयी सड़कों एवं नालियों का पुनर्निर्माण यथाशीघ्र कराया जाय।''
26	श्री लाल बहादुर	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा मंझनपुर के पश्चिम शरीरा पी0एच0सी0 को उच्चीकृत करके सी0एच0सी0 एवं चम्पहा बाजार में पी0एच0सी0 स्थापित करायी जाय।''
27	श्री लाल बहादुर	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी स्थापित करायी जाये।''
28	श्री लाल बहादुर	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा मंझनपुर के चम्पहा बाजार एवं विकासखण्ड कौशाम्बी के धर्मपुर में 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन स्थापित कराया जाये।''
29	श्री लाल बहादुर	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा मंझनपुर में राजकीय इण्टर कालेज, राजकीय महिला इण्टर कालेज एवं राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायी जाये।''

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
30	श्री संजय कुमार	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद भरवारी में भरवारी कोतवाली की स्थापना करायी जाये।''

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफाशि से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह हैं कि ''कार्य-मंत्रणा समिति'' की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है,उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-18 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-19

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)(संशोधन) विधेयक, 2019 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 27-12-2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[01:39] जनपद-गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना विषयक श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 के अन्तर्गत चर्चा का विषय मा0 विनय शंकर तिवारी जी का था, क्या विनय शंकर तिवारी जी का है ?

(अनुपस्थित)

वर्ष 2004 के बाद नियुक्ति उ0प्र0 के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल किये जाने सम्बन्धी श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मा0 सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी का-103 के अन्तर्गत चर्चा का विषय था क्या सुखदेव जी आप बोलेंगे ?

***श्री सुखदेव राजभर-**

मान्यवर, हमने एक संकल्प लिया था कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल की जाए और यह एक बहुत संवेदनशील प्रस्ताव है कि आज पूरे प्रदेश में देश के ऐसे करोड़ों कर्मचारी आंदोलित हैं यह आपके संज्ञान में भी होगा कि नई दिल्ली से लेकर देश के अन्य सभी प्रदेशों में इसके लिए आंदोलन हो रहा है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो नई पेंशन योजना लागू की गयी है इसका उपयोग शेयर मार्केट के द्वारा एक प्रकार से बिजनेस किया गया है। उसमें कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्केट में डाला जायेगा यदि शेयर मार्केट डाऊन होगी या बढ़ेगी उसके हिसाब से कर्मचारियों को पैसा मिलेगा। अभी एक घटना घटी कि प्राविडेंड फन्ड एक प्राईवेट कम्पनी को दिया गया है,जिसमें प्रदेश के सभी कर्मचारी रो रहे हैं कि हमारा फन्ड वापस किया जाए और प्राईवेट कम्पनी पैसा लेकर भाग गई है। अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो शेयर मार्केट के द्वारा कर्मचारियों के साथ एक सौदा होने जा रहा है जो कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। आप आज कर्मचारियों का पैसा पूरा का पूरा एकमुस्त देने जा रहे हैं, यह कौन संकलित कर पायेगा कि एक बार का पैसा लेकर कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी पार करेगा, इसलिए मैं इस पर बल दे रहा हूं कि प्रदेश के पूरे कर्मचारी आंदोलित हैं। मैंने केवल एक उदाहरण दिया है और सरकार गारन्टी भी नहीं ले रही है कि अगर शेयर मार्केट के माध्यम से कर्मचारियों को नई पेंशन की योजना दी जाएगी तो इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि सरकार वह पैसा कर्मचारियों को दिला पायेगी। अगर शेयर मार्केट की कम्पनी हमारा पैसा हड़प कर गयी तो, उसका हम लोंगो को अभी सीधा प्रमाण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिला है कि प्राविडेंड फन्ड एक प्राईवेट कम्पनी है जो कर्मचारियों का पैसा लेकर भाग गयी है। सरकार रोजाना प्रस्ताव ला रही है कि हम आपका पैसा देंगे और गारंटी दे रही है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। पूरे प्रदेश में आज कर्मचारी आंदोलित है इसलिए मैं पूरे सदन से कहूंगा कि यदि पूरा सदन उन कर्मचारियों के पक्ष में है तो उसके लिए किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि यह अधिकार भारत सरकार को है, लेकिन अपने अधिकारों का सभी मा0 सदस्य प्रयोग कर दें कि इस सदन से यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्तुत कर दिया जाए। अभी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुआ है केरला में नहीं है इसलिए उत्तर प्रदेश में एक नजीर साबित कर दें क्योंकि यह हिदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां करोड़ों कर्मचारी रोज आंदोलित हो रहे हैं। मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि जो कर्मचारी आंदोलित हैं वह आपके घर के भी हैं और हमारे घर के भी है इसलिए उनके हित में मैं यह प्रस्ताव लाया हूं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाये। उस प्रस्ताव पर मत करा लें। सदन की सहमति ले लें कि कौन उन कर्मचारियों के पक्ष में है और कौन विरोध में है। इसलिए यह प्रस्ताव भारत सरकार को संदर्भित किया जाये। यह मैं मांग करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव मा0 सुखदेव राजभर जी ने लाया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हमारे शुरू के नेताओं ने कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उसका परिवार कैसे चलेगा इस बात के लिए पेंशन की अवधारणा बनायी थी। अब पेंशन नहीं है। तो कर्मचारी यदि रिटायर होगा तो क्या करेगा। भूखों मरेगा। उसका परिवार भूखों मरेंगे। उसके बच्चे अनपढ़ रह जायेंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सुखदेव राजभर जी का प्रस्ताव अविलम्बनीय है। इसके विरोध में अधिकारी, कर्मचारी दो साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं सरकार सुन नहीं रही है। आपसे से मेरा आग्रह है कि आप सरकार को निर्देश दें कि पुरानी पेंशन जरूर बहाल किया जाये। जिससे अधिकारी और कर्मचारियों के हित का संरक्षण हो सके।

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह पेंशन का प्रकरण है।

(इस बीच सत्तापक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये। इसके बाद विपक्ष के कई सदस्य भी अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी)

(02 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए बड़ा दिया है)

(02 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है)

(02 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनःआरम्भ हुई)

[2:45] श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी के प्रस्ताव पर नियम-103 के अन्तर्गत चर्चा हो रही थी। उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोलना चाहते थे।

(सत्तापक्ष के कई सदस्य अपनी बात कहने के लिए खड़े हो गए)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, राजभर जी भी आ गये है। यह पुरानी पेंशन को लागू करने का विषय था।

(सत्तापक्ष तथा विपक्ष के कई सदस्य अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

आप लोग हाउस को चलने दीजिए। जो विषय नहीं है, उस विषय के ऊपर चर्चा करवा रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आप संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित कर दें। माननीय अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सदन व्यवस्थित है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर,जो विषय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी लाए है, वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश के तमाम कर्मचारियों की पेन्शन से सम्बधित इश्यू माननीय सुखदेव राजभर जी लाए

हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर अगर सदन व्यवस्थित नही है और इस पर चर्चा हो रही है तो यह उचित नहीं है। पहले मान्यवर, आप सदन व्यवस्थित करा दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

[02:47] मा0 सदस्य (श्री नन्द किशोर गुर्जर) के व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष जी, विधायक की प्रतिष्ठा से बढ़ कर कोई चीज नही है। आप माननीय विधायक जी को सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप विधायक जी की बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हमारे पास कुछ मा0 सदस्यों के माध्यम से आया है और हमने इस समस्या का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, ये मोबाइल से वीडियोग्राफी क्यों कर रहे है, करवा रहे है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं कि इस समस्या का समाधान, मा0 सदस्य की समस्या का समाधान होगा। अब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को विषय रखने दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, समस्या का समाधान क्या होगा, जब उस आदमी की बात सुनी ही नहीं जा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा तानाशाही रवैया तो मैंने जिन्दगी में कभी नहीं देखा कि एक मा0 सदस्य जो अपमानित हुआ हो और सदन में अपनी बात भी न रख पा रहा हो।

श्री अध्यक्ष-

इसमें तानाशाही काहे की है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कोई अपमानित नही हुआ है। आप लोगों को तो केवल कोई न कोई मुद्दा चाहिए। कोई मुद्दा है नहीं, इनकी बात बिना मुद्दे की होती है। कोई मुद्दा नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

सदन के सभी संकल्पों पर चर्चा आगे जारी रहेगी।

जनपद-कुशीनगर की बांसी नदी के कतिपय घाटों पर पुलों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोलाघाट धोकरहाघाट तथा खैरवाघाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''

जनपद-सुल्तानपुर का नाम बदल कर कुश भवनपुर किये जाने विषयक श्री देवमणि द्विवेदी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-सुल्तानपुर का नाम बदल कर कुश भवनपुर कर दिया जाय''

प्रदेश के खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों से जन स्वास्थ्य के नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती हेतु कार्ययोजना बनाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-301 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासानिक उर्वरकों के प्रयोग से जन स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती किये जाने की कार्य योजना बनायी जाय।''

जनपद-झांसी के कतिपय ग्रामों में राजकीय इन्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-झांसी की ब्लाक-मोंठ के ग्राम-लोहागढ़, ब्लाक गुरसराय के ग्राम-एवनी तथा ब्लाक बामौर के ग्राम ककरवई में एक-एक इण्टर कालेज की स्थापना की जाय।''

जनपद-झांसी के पारीक्षा बांध से कतिपय रजवहों में टेल तक पानी पहुंचाए जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-झांसी के पारीक्षा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर एवं उसके गढ़वई, भसनेह तथा एरच रजवहों में टेल तक पानी पहुंचाया जाए।''

प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने एवं अन्य लाभ दिये जाने विषयक श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिये जाने एवं उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता बढ़ाये जाने तथा अन्य समस्त सुविधाएं अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाए।''

प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन बढ़ाकर शिक्षकों के समान किये जाने विषयक श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन बढ़ा कर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के समान/बराबर किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाए।''

प्रदेश के चौकीदारों को विनियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने एवं अन्य लाभ देने विषयक श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के ग्राम सभाओं में तैनात चौकीदारों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधाएं अविलम्ब दिये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाए।''

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

[02:48] श्री अध्यक्ष-

अब नियम-51 लेते हैं।

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर में अजय भाटिया, वीरेन्द्र भाटिया एवं उनके परिवार द्वारा की गई धोखाधड़ी की जांच करायें जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की कानपुर विकास प्राधिकरण में हुई आर्थिक अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट) की जनपद बिजनौर के खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन कर करोड़ों रुपये की राजस्व हानि पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे क्रासिंग खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर में बिजली के जर्जर हाईटेंशन तारों से हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में जुविलैन्ट एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में गन्ना किसानों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा तीसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में सीवरेज पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में कतिपय पर्यटन केन्द्रों के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर में तैनात ए0आर0टी0ओ0 (प्रवर्तन) श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत तिलहर/तहसील पुवांया जाने वाले मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर में जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर मुंगराबादशाहपुर कस्बे से होकर गुजरने वाली रेल लाइन पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री हरगोविन्द भार्गव की जनपद मथुरा के के0आर0 महाविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना डा0 नीरज बोरा की लखनऊ जनपद के जानकीपुरम् एवं फैजुल्लागंज वार्डों में पेयजल व सीवर की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के ब्लाक सुइथा कला में पानी की सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचंदपुर में कतिपय विद्यालयों को नियम विरुद्ध रूप से परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना ठा0 दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अलीगढ़ ड्रेन की सफाई में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद मथुरा के अन्तर्गत छाता मिल को चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में है तथा ग्यारहवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत मोहल्ला नूर नगरयान श्मशान की भूमि का रास्ता खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

1-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही
2-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
3-डॉ0 मुकेश वर्मा
4-डॉ0 डी0सी0 वर्मा
5-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
6-श्री सीताराम वर्मा
7-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया
8-श्री बम्बा लाल
9-श्री महेश कुमार गोयल
10-श्री लाल जी वर्मा
11-श्री राम अचल राजभर
12-श्री जवाहर लाल राजपूत

13-श्री सुखदेव राजभर
14-श्री अवस्थी बाला प्रसाद
15-श्री नीलरतन सिंह 'नीलू'
16-श्री हरीराम
17-श्री आजाद अरिमर्दन
18-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह
19-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
20-श्री मसूद अख्तर
21-डॉ0 अरुण कुमार
22-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया

श्री अध्यक्ष-

और, चूंकि अब व्यवस्था नहीं बन पा रही है इसलिए मैं सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 49 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी ''क''

(अता0 प्रश्न सं0-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-29 पर)

दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 30 सितम्बर, 2019 तक जनपद-आजमगढ़ के महिला थाना पर दर्ज दहेज उत्पीड़न के अभियोगों का विवरण।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	वर्तमान प्रगति
1	01/2018	498ए, 323, 504 भादवि	आरोप-पत्र
2	02/2018	498ए, 323, 504, 506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
3	03/2018	498ए, 323, 504, 506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
4	04/2018	498ए, 323, 504, 506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
5	05/2018	498ए, 323, 506, 314 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
6	06/2018	498ए, 494, 323, 504, 506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
7	07/2018	498ए, 494, 323, 504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
8	08/2018	498ए, 323, 504, 506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
9	09/2018	498ए, 323, 504, 506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
10	12/2018	498ए, 323, 504, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
11	04/2019	498ए, 323, 504, 506, 354 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
12	05/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
13	07/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
14	08/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि	आरोप-पत्र
15	10/2019	498ए, 323, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
16	11/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
17	13/2019	498ए, 323, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
18	14/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
19	15/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
20	16/2019	498ए, 313, 323, 504, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	अन्तिम रिपोर्ट
21	17/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
22	18/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
23	19/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
24	21/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
25	22/2019	498ए, 323, 504, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
26	26/2019	498ए, 323, 504, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
27	27/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
28	28/2019	498ए, 494, 323, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र
29	29/2019	498ए, 323, 504, 506, भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0	आरोप-पत्र

नत्थी 'ख'

(अता0 प्रश्न सं0-40 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-41 पर)

विधान सभा के चतुर्थ सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-40		
क्षेत्र पंचायत धौरहरा की बैठक की कार्यवृत्त में शामिल किए गये कार्यो की सूची		
क्र0-सं0	कार्य का नाम	कार्यों की सूची
1	2	3
1	शहीद स्मारक का पुनर्निर्माण कार्य	1
2	क्षेत्र पंचायत कार्यालय का विस्तारीकरण तथा कार्यालय का मरम्मत एवं पुताई तथा विद्युतीकरण	3
3	क्षेत्र पंचायत के अन्य शासकीय कार्यालयों की मरम्मत एवं पुताई तथा विद्युतीकरण	1
4	कार्यालय का रिर्सोस सेन्टर की मरम्मत व पुताई कार्य तथा विद्युतीकरण अवशेष टाईल्स निर्माण कार्य	1
5	क्षेत्र पंचायत कार्यालय की मीटिंग हाल का विस्तारीकरण मरम्मत पुताई एवं विद्युतीकरण कार्य	1
6	विकास खण्ड परिसर में खण्ड विकास अधिकारी आवास की मरम्मत एवं पुताई तथा लाईट सप्लाई लाईन की विद्युतीकरण निर्माण कार्य	2
7	विकास खण्ड परिसर में सहायक विकास अधिकारी आवासों की मरम्मत एवं पुताई फर्श विद्युतीकरण वाटर सप्लाई कार्य क्रमांक 1 व 2 तक	2
8	विकास खण्ड परिसर में सहायक विकास अधिकारी आवासों की मरम्मत एवं पुताई फर्श विद्युतीकरण वाटर सप्लाई कार्य क्रमांक 3 व 4 तक	2
9	विकास खण्ड परिसर में सहायक विकास अधिकारी आवासों की मरम्मत एवं पुताई फर्श विद्युतीकरण वाटर सप्लाई कार्य क्रमांक 5 व 6 तक	2
10	विकास खण्ड परिसर में सहायक विकास अधिकारी आवासों की मरम्मत एवं पुताई फर्श विद्युतीकरण वाटर सप्लाई कार्य क्रमांक 7 व 8 तक	2
11	विकास खण्ड परिसर में टाईप-1 के आवासों की मरम्मत एवं पुताई फर्श विद्युतीकरण वाटर सप्लाई कार्य क्रमांक 1 व 2 तक	3

1	2	3
12	विकास खण्ड परिसर में टाईप-1 के आवासों की मरम्मत एवं पुताई फर्श विद्युतीकरण वाटर सप्लाई कार्य क्रमांक 3 व 5 तक	200 मी0
13	ब्लाक कैम्पस की अवशेष बाउन्ड्रीवाल उच्चीकरण तथा ग्लास स्थापना एवं मरम्मत कार्य	500 मी0
14	लखीमपुर-बहराईच मार्ग से ऊचागांव तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	500 मी0
15	धौरहरा रेहुआ मार्ग से राजापुरभज्जा मार्ग तक खड़न्जा निर्माण कार्य	500 मी0
16	धौरहरा रेहुआ मार्ग से राजापुरभज्जा मार्ग पर 500 मी0 के आगे खड़न्जा मरम्मत कार्य	500 मी0
17	महराजनगर धौरहरा मार्ग से केशवापुर कलॉ गांव तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	1
18	ब्लाक कैम्पस में मॉडल आवास प्रधानमंत्री आवास का डप्टेलिंग कर के विद्युतीकरण कार्य	1
19	विकास खण्ड कैम्पस में विभिन्न आयोजनों हेतु मंच निर्माण कार्य	100 मी0
20	कार्यालय क्षेत्र पंचायत में मेन गेट से सहायक विकास अधिकारी आवास तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	100 मी0
21	सहायक विकास अधिकारी आवास से बीज गोदाम तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	50
22	सहायक विकास अधिकारी आवास से ब्लाक कैम्पस में वृक्षारोपण तथा ट्रीगार्ड निर्माण कार्य	1
23	विकास खण्ड परिसर में महिला एवं पुरुष शौचालय निर्माण कार्य	100 मी0
24	गुदरिया महराजनगर पेण्टेड रोड से केशवापुरकलॉ गांव की तरफ इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	100 मी0
25	गुदरिया महराजनगर पेण्टेड रोड से केशवापुरकलॉ गांव की तरफ 100 मी0 के आगे इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	100 मी0
26	गुदरिया महराजनगर पेण्टेड रोड से केशवापुरकलॉ गांव की तरफ 200मी0 के आगे इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	350 मी0
27	पसियनपुरवा केशवापुर मार्ग पर 350 मी0 खड़न्जा निर्माण कार्य	350 मी0
28	पसियनपुरवा से राजापुर मार्ग पर 350मी0 के आगे खड़न्जा निर्माण कार्य	2 दर

1	2	3
29	पसियनपुरवा से राजापुर मार्ग पर 2 दर पुलिया निर्माण कार्य	350 मी0
30	समदहा से पसियनपुरवा मार्ग पर 350 मी0 खड़न्जा निर्माण कार्य	350मी0
31	समदहा से पसियनपुरवा मार्ग पर 350 मी0 खड़न्जा के आगे से खड़न्जा निर्माण कार्य	2दर
32	समदहा से पसियनपुरवा मार्ग पर 2 दर पुलिया का निर्माण	400मी0
33	ग्राम पंचायत सिसैया में लोनिनपुरवा से लालजीपुरवा तक खड़न्जा निर्माण कार्य	400मी0
34	ग्राम पंचायत सिसैया में लोनियनपुरवा से पंचमपुरवा तक खड़न्जा निर्माण कार्य	100मी0
35	रेहुआ गांव से बसंतापुर डायवर्जन मार्ग पर इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	100मी0
36	रेहुआ गांव से बसंतापुर डायवर्जन मार्ग पर 100 मी0 के आगे इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	100मी0
37	रसूलपुर ग्राम में चमारनपुरवा मार्ग पर इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	100मी0
38	रसूलपुर ग्राम में चमारनपुरवा मार्ग पर 100 मी0 के आगे इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	400मी0
39	ग्राम पंचायत खगियापुर में प्रेम प्रकाश शुक्ला के घर से हरिनाम चौहान के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य	180मी0
40	दर्जिनपुरवा में होली के घर से रामखेलावन पासी के घर तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	

विधान सभा के चतुर्थ सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-40

क्षेत्र पंचायत ईसानगर की बैठक की कार्यवृत्त में शामिल किये गये कार्यों की सूची	
	कार्य का नाम
1	शहीद स्मारक का पुनर्निर्माण कार्य-1
2	क्षेत्र पंचायत कार्यालय का विस्तारीकरण तथा अन्य कैम्पस के शासकीय कार्यालय का मरम्मत एवं पुताई कार्य
3	प्रमुख कक्ष का मरम्मत एवं पुताई तथा फर्नीचर खरीद कार्य
4	क्षेत्र पंचायत कार्यालय की मीटिंग हाल का मरम्मत एवं पुताई कार्य
5	विकास खण्ड परिसर में खण्ड विकास अधिकारी आवास की मरम्मत एवं पुताई कार्य
6	विकास खण्ड परिसर में सहायक विकास आवासों की मरम्मत एवं पुताई कार्य-3
7	विकास खण्ड परिसर में टाइप 2 क्रमांक 1से 3 तक आवासों की मरम्मत एवं पुताई कार्य-3
8	विकास खण्ड परिसर में टाइप 4 से 6 तक आवासों की मरम्मत एवं पुताई कार्य-3
9	विकास खण्ड परिसर में टाइप 7 से 8 तक आवासों की मरम्मत एवं पुताई कार्य-2
10	विकास खण्ड परिसर में टाइप 2 क्रमांक 5 से 6 तक आवासों की मरम्मत एवं पुताई कार्य-2
11	विकास खण्ड परिसर में टाइप 2 क्रमांक 7 से 8 तक आवासों की मरम्मत एवं पुताई कार्य-2
12	विकास खण्ड परिसर में टाइप 2 क्रमांक 9 से 10 तक आवासों की मरम्मत एवं पुताई कार्य-2
13	विकास खण्ड परिसर में टाइप 2 क्रमांक 11 से 12 तक आवासों की मरम्मत एवं पुताई कार्य-2
14	बसढिया खमरिया सम्पर्क मार्ग से मुरब्बापुरवा तक खड़न्जा मरम्मत कार्य-500 मी0
15	ब्लाक कैम्पस की बाउन्ड्रीवाल व गेट मरम्मत कार्य
16	ग्राम पंचायत समरदाहरी में भट्ठीपुरवा मार्ग पर खड़न्जा मरम्मत व पुलिया निर्माण कार्य -400 मी0
17	फत्तेपुर मोड़ से लक्ष्मी नारायण बाजपेई के खेत तक खड़न्जा मरम्मत कार्य-500 मी0
18	फत्तेपुर में लक्ष्मी नारायण के खेत से मदाराबेहड़ डामर रोड तक खड़न्जा मरम्मत कार्य-500 मी0

19	ईसानगर कटोली अख्त्यारपुर डामर रोड से मंशाराम वर्मा के खेत तक खड़न्जा मरम्मत कार्य-60 मी0
20	सोबरन लाल तिवारी के खेत से सेमरिया हनुमान मन्दिर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य-600 मी0
21	ग्राम पंचायत गनेशपुर में करतहिया से गोडवा गांव तक खड़न्जा मरम्मत कार्य-700 मी0
22	भिठौली में एल0आर0पी0 रोड से पुत्तीलाल गौतम के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य-700 मी0
23	पशु चिकित्सालय भवन मरम्मत, रंगाई, पुताई कार्य
24	विकास खण्ड परिसर में कृषि बीज भण्डार भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य (राजकीय भवन)
25	विकास खण्ड परिसर में कृषि बीज राजकीय गोदाम मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य
26	विकास खण्ड परिसर में विकास खण्ड का गोदाम (लघु0 सि0) मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य
27	स्वान केन्द्र की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य
28	विकास खण्ड कार्यालय के निकट आदि बाउण्ड्री कक्ष का विस्तारीकरण एवं मरम्मत रंगाई-पुताई कार्य
29	विकास खण्ड परिसर में झाड़-झंझाड़ की कटाई एवं सफाई कार्य
30	वाटर सप्लाई लाईन की मरम्मत कार्य
31	गत वर्ष के कार्य ग्राम पंचायत ऐरा में बृजमोहन गुप्ता के घर के पास से कैलाश त्रिवेदी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य का अवशेष भुगतान 200 मी0
32	ब्लाक से कॉटा मार्ग पर पुलिया से मलखे के खेत तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -100 मी0
33	ब्लाक से कॉटा मार्ग पर मलखे के खेत से राजू के खेत तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -100 मी0
34	ब्लाक से कॉटा मार्ग पर मलखे के खेत से मुन्ना बाजपेई के खेत तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -100 मी0
35	ब्लाक से कॉटा मार्ग पर मुन्ना बाजपेई के खेत से राजू के खेत तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -100 मी0

36	ब्लाक से कॉटा मार्ग पर राजू के खेत से मोहन शुक्ला के खेत तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -100 मी0
37	ब्लाक से कॉटा मार्ग पर मोहन शुक्ला के खेत से राममिलन कहार के खेत तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -100 मी0
38	ब्लाक से कॉटा मार्ग पर राममिलन कहार के खेत से पुत्तू पाण्डेय के खेत तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -50 मी0
39	ब्लाक से कॉटा मार्ग पर ईसानगर सिसैया मार्ग से पुत्तू पाण्डेय के खेत तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -100 मी0
40	ब्लाक से कॉटा मार्ग पर ईसानगर सिसैया मार्ग पर ब्लाक गेट निर्माण कार्य-1
41	ग्राम पंचायत राजापुर में घूरे लाल भार्गव के घर से मौजी लाल श्रीवास्तव के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -100 मी0
42	ग्राम पंचायत महरिया गौतम पुरवा में जसकरन प्रसाद के मकान से राजम गौतम के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -100 मी0
43	ग्राम पंचायत जसवन्तनगर में मेन खड़न्जा से त्रिभुवन लाल चौहान के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य - 50 मी0
44	ग्राम पंचायत दुर्गापुर पडरी मजरा चंदवापुर में देशराज यादव के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य - 1
45	ग्राम पंचायत लखपेड़ा में राजराम के बंगला से राधेश्याम के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य - 80 मी0
46	ग्राम पंचायत लखपेड़ा में कंधई राजपूत के घर से चौबे महाराज के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य - 35 मी0
47	ग्राम पंचायत महरिया में एल0आर0पी0 रोड से रामलखन लोध के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य - 35 मी0
48	ग्राम पंचायत खमरिया पण्डित में प्रीतम सरदार के घर से पवन गुप्ता के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य -50 मी0
49	ग्राम पंचायत ऐरा में हेमराज निषाद के घर से श्री प्रकाश वर्मा के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य - 100 मी0
50	ग्राम पंचायत ऐरा में रमेश लोध के घर से राम प्रताप श्रीवास्तव के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य - 100 मी0
51	ग्राम पंचायत दिलावलपुर में रामस्वरुप गौतम के घर से शम्भू दयाल के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य

52	ग्राम पंचायत पहरिया के मजरा वसहिया में बंशी लोध के घर से घूरे माली के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य 100 मी0
53	ग्राम पंचायत खमरिया पणउित में मिल गेट से गुड्डू के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य 80 मी0
54	दामू बेहड़ पुलिया के पास से सुशील के खेत तक मिट्टी खड़न्जा निर्माण कार्य - 200 मी0
55	दामू बेहड़ में बलराम के खेत से नागेश्वर के खेत तक खड़न्जा निर्माण कार्य - 200 मी0
56	खुजहा ग्राम में रामकुमार के घर के पूरब से रूल्ली के खेत तक खड़न्जा निर्माण कार्य - 200 मी0
57	खुजहा ग्राम में रूल्ली के खेत से लौकाही बाजार तक खड़न्जा निर्माण कार्य -200 मी0
58	सिकटिहा में खाद सूओर के पश्चिम पुलिया निर्माण कार्य
59	ग्राम पंचायत चहलार में रामलाल के खेत के पास पुलिया निर्माण
60	ग्राम पंचायत ईसानगर में दिलराम भुर्जी के घर व मुनुवा माली के घर तक इंटरलॉकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य -100 मी0
61	ग्राम पंचायत चहलार के मजरा सेमरिया में प्राथमिक विद्यालय तिराहा से ब्रम्हाचारी बाबा के स्थान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य - 40 मी0
62	ब्लाक कैपस में वाटर कूलर आर0ओ0 सहित
63	प्रमुख मानदेय भत्ता आदि वार रूम कक्ष कम्प्यूटर
64	विभिन्न ग्राम पंचायतों हेतु कूड़ादान खरीद कार्य
65	विकास खण्ड परिसर में इज्जत घर मय स्नान गृह निर्माण कार्य
66	एल0आर0पी0 रोड से रामू यादव के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य - 150 मी0
67	विकास खण्ड ईसानगर के विभिन्न चौराहों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य

नत्थी 'ग'

(अता0 प्रश्न सं0-43 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-43 पर)

विधान सभा के चतुर्थ सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-43

क्षेत्र पंचायत निधि से विकास खण्ड धौरहरा में मार्च 2017 से 11-11-2019 तक कराये गये कार्यो का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड	ब्लाक मुख्यालय/ ग्राम सभा	वर्ष	कार्यो का नाम	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2017-18	ब्लाक बाउन्ड्रीवाल मरम्मत कार्य	1245379.00
2	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	कार्यालय का विस्तारीकरण रंगाई पुताई	495684.00
3	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	वि0ख0 परिसर में टाईप 1आवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	245865.00
4	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	विकास खण्ड परिसर में ए0डी0ओ0 आवास की मरम्मत रंगाई पुताई विद्युतीकरण	294526.00
5	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	विकास खण्ड परिसर में ए0डी0ओ0 आवास की मरम्मत रंगाई पुताई विद्युतीकरण	294526.00
6	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	विकास खण्ड परिसर में ए0डी0ओ0 आवास की मरम्मत रंगाई पुताई विद्युतीकरण	385417.00
7	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	एल्यूमीनियम पार्टीशन ग्लास, हैण्डिल, स्लाईड़िग आदि	97717.00
8	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	एल्यूमीनियम पार्टीशन ग्लास, हैण्डिल, स्लाईड़िग आदि	93532.00
9	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	ब्लाक कैम्पस में अवशेष बाउन्ड्रीवाल का उच्चीकरण	404262.00
10	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	वि0ख0 परिसर में मंच निर्माण	286818.00
11	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	वि0ख0 में टाईप 1 आवास मरम्मत	163798.00
12	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	क्षेत्र पंचायत मीटिंग हाल विस्तारीकरण मरम्मत	231623.00
13	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	वि0ख0 में शहीद स्मारक	152339.00
14	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	क्षेत्र पंचायत कार्यालय का रिसोर्स सेन्टर की रंगाई पुताई	167357.00
15	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	वि0ख0 परिसर में वृक्षारोपण एवं ट्री गार्ड	322347.00

1	2	3	4	5	6
16	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	वि0 ख0 परिसर में खण्ड विकास अधिकारी के आवास की रंगाई पुताई	246677.00
17	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	विकास खण्ड में ए0डी0ओ0 टाईप आवास मरम्मत	294231.00
18	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	विकास खण्ड कार्यालय में शासकीय कक्षों की मरम्मत	239351.00
19	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	वि0ख0 में मेन गेट से सहा0 वि0 अधि0 के आवास तक सी0सी0 रोड	430990.00
20	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	स0वि0अ0 आवास से बीज भण्डार गोदाम तक सी0सी0 रोड	429976.00
21	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	शौचालय निर्माण	75781.00
22	धौरहरा	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	प्रधानमंत्री मॉडल आवास का डब्टेल कर विस्तारीकरण कार्य	429668.00
				योग :	**7027864.00**

विधान सभा के चतुर्थ सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार हेतु पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-43

विकास खण्ड ईसानगर में क्षेत्र पंचायत निधि से मार्च, 2017 से 11-11-2019 तक कराये गये कार्यो का व्यय विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	ब्लाक मुख्यालय/ ग्राम सभा का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1	ईसानगर	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	विकास खण्ड परिसर में टाइप-3 आवासों की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	358485.00
2	ईसानगर	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	शहीद स्मारक का पुनर्निर्माण	153911.00
3	ईसानगर	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	क्षेत्र पंचायत कार्यालय मीटिंग हाल का विस्तारीकरण मरम्मत, रंगाई, पुताई	242354.00
4	ईसानगर	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	ब्लाक कैम्पस में बाउण्ड्री वाल मरम्मत, रंगाई, पुताई कार्य	765459.00
5	ईसानगर	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	विकास खण्ड ईसानगर परिसर में टाइप-2 आवासों की मरम्मत पुताई कार्य	991377.00
6	ईसानगर	ब्लाक मुख्यालय	2018-19	विकास खण्ड परिसर में टाइप-1 आवासों की मरम्मत, रंगाई, पुताई कार्य	989461.00
7	ईसानगर	ब्लाक मुख्यालय	2019-20	प्रमुख कक्ष मरम्मत, पुताई एवं फर्नीचर खरीद कार्य	72906.00
8	ईसानगर	ब्लाक मुख्यालय	2019-20	क्षेत्र पंचायत कार्यालय का विस्तारीकरण तथा कार्यालय मरम्मत, पुताई कार्य	470458.00
9	ईसानगर	ब्लाक मुख्यालय	2019-20	क्षेत्र पंचायत कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी आवास की मरम्मत, पुताई/फर्श विद्युतीकरण एवं वाटर सप्लाई कार्य	271180.00
10	ईसानगर	लौकाही मल्लापुर	2018-19	खजुहा ग्राम में रूल्ली के खेत से लौकाही बाजार तक खड़न्जा कार्य	696961.00

1	2	3	4	5	6
11	ईसानगर	लौकाही मल्लापुर	2018-19	खजुहा ग्राम में राज कुमार के घर से रूल्ली के खेत तक खड़न्जा कार्य	459996.00
12	ईसानगर	ईसानगर	2018-19	ब्लाक ईसानगर मार्ग पर पुलिया से मलखे के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	788740.00
13	ईसानगर	ईसानगर	2018-19	ब्लाक ईसानगर मार्ग पर सुरेश पाण्डेय के बाग से मुल्लू पाण्डेय के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	712171.00
14	ईसानगर	ईसानगर	2018-19	ब्लाक ईसानगर मार्ग पर मुन्ना बाजपेई के खेत से सरजू के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	844423.00
15	ईसानगर	ईसानगर	2018-19	ब्लाक ईसानगर मार्ग पर मोहन शुक्ला के खेत से राम मिलन कहान के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	815383.00
16	ईसानगर	दुर्गापुर पड़री	2018-19	दुर्गापुर पड़री मजरा चंदवापुर से देशराज यादव के घर के पास से (महबूब नाई के खेत के पास) 05 दर पुलिया निर्माण	692131.00
17	ईसानगर	समरदाहरी	2019-20	ग्राम पंचायत समरदाहरी में भट्ठीपुरवा जाने वाले मार्ग पर खड़न्जा मरम्मत व 01 पुलिया निर्माण कार्य	772878.00
18	ईसानगर	ऐरा	2019-20	LRP रोड से रामू के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	983061.00
19	ईसानगर	ईसानगर	2019-20	सिसैया रोड से ब्लाक की ओर सी0सी0 रोड एवं गेट का निर्माण कार्य (गेट निर्माणाधीन है)	580313.00
				योग :	**11661648.00**

नत्थी 'घ'

(अता0 प्रश्न संख्या-118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में मार्च, 2012 से दिनांक 20-12-2018 तक कार्यदायी संस्थावार निर्माण कराये गये परियोजनाओं की सूची

क्र0-सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	क्षेत्र पंचायत	कार्यों का विवरण	अवमुक्त धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम पंचायत	कसया	ग्राम सभा मथौली में रामजियावन सिंह के घर से मतिवर यादव के घर तक	6.24	6.24	पूर्ण
2	ग्राम पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत पिपरझाम में इण्टरलॉकिंग कार्य	9.00	9.00	पूर्ण
3	ग्राम पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत बरवाबाजार में इण्टरलॉकिंग कार्य	9.00	9.00	पूर्ण
4	ग्राम पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत मंगलपुर में इण्टरलॉकिंग कार्य	5.60	5.60	पूर्ण
5	ग्राम पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत सिरसिया खेहिया में इण्टरलॉकिंग कार्य	6.00	6.00	पूर्ण
6	ग्राम पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत भैंसही में इण्टरलॉकिंग कार्य	6.00	6.00	पूर्ण
7	ग्राम पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत कुरमौटा में इण्टरलॉकिंग कार्य	6.00	6.00	पूर्ण
8	ग्राम पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत एकडेरवा अव्वल में इण्टरलॉकिंग कार्य	6.00	6.00	पूर्ण
9	ग्राम पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत सपहा में इण्टरलॉकिंग कार्य	5.97	5.97	पूर्ण
10	ग्राम पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत करमैनी प्रेमवलिया में इण्टरलॉकिंग कार्य	6.00	6.00	पूर्ण
11	कसया	कसया	सिरसिया खोहिया में इण्टरलॉकिंग	10.40	10.40	पूर्ण
12	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण नाला वार्ड नं0-2 तथा गत तिराहा से हृण्यावती नाला तक	54.18	54.18	पूर्ण
13	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 म्यूजियम पश्चिम द्वार पर	2.08	2.08	पूर्ण
14	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 म्यूजियम पूर्वी द्वार पर	2.08	2.08	पूर्ण
15	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 श्रीलंका मन्दिर के सामने	2.08	2.08	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
16	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 प्रजापति ब्रह्मकुमारी	2.08	2.08	पूर्ण
17	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण इण्टरलॉकिंग वार्ड नं0-4 बुद्धा घाट पुलिया से पुलिया तक	19.83	19.83	पूर्ण
18	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 छोटी थाई मन्दिर के पास	2.08	2.08	पूर्ण
19	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 छोटी थाई मन्दिर पश्चिम द्वार के पास	2.08	2.08	पूर्ण
20	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 छोटी थाई मन्दिर पूर्वी द्वार के पास	2.08	2.08	पूर्ण
21	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 नेशनल गेस्ट हाउस पूर्वी द्वार के पास	2.08	2.08	पूर्ण
22	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 नेशनल गेस्ट हाउस पश्चिम द्वार के पास	2.08	2.08	पूर्ण
23	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 रामाभार घाट (बुद्धा घाट रोड)	2.08	2.08	पूर्ण
24	न0पं0 कसया	न0पं0 कसया	निर्माण पुलिया वार्ड नं0-4 रामाभार स्तूप के सामने	2.08	2.08	पूर्ण
25	जिला पंचायत	कसया	ग्राम सभा सेमरा घूसी में 150 मी0 इण्टरलॉकिंग	5.00	4.95	पूर्ण
26	जिला पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत भरौली में 200 मी0 इण्टरलॉकिंग कार्य	6.00	5.99	पूर्ण
27	जिला पंचायत	कसया	ग्राम पंचायत सपहा में सपहा चौराहे से खदही जाने वाली पिच मार्ग विद्यालय के पास से विशम्भरापुर गांव से नहर तक कुदन भगत के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	6.00	5.97	पूर्ण

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, कुशीनगर।

नत्थी 'ङ'

(अता0 प्रश्न संख्या-174 का उत्तर पीछे पृष्ठ 109 पर)

जनपद आजमगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों का विकास खण्डवार विवरण

क्रम	विकास खण्ड का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1	अहिरौला	882	408	439	13	1742
2	अतरौलिया	676	323	200	0	1199
3	अजमतगढ़	424	311	205	0	940
4	बिलरियागंज	294	217	57	0	568
5	हरैया	284	143	88	0	515
6	जहानागंज	181	201	170	0	552
7	कोइलसा	1035	471	56	9	1571
8	लालगंज	454	39	104	5	602
9	महराजगंज	378	203	337	0	918
10	मार्टीनगंज	602	356	553	0	1511
11	मेंहनगर	625	559	300	3	1487
12	मिर्जापुर	509	269	62	0	840
13	मोहम्मदपुर	481	191	160	0	883
14	पल्हना	245	224	187	8	664
15	पल्हनी	383	95	58	1	537
16	पवई	2088	1290	1401	15	4794
17	फूलपुर	989	781	1034	0	2804
18	रानी की सराय	279	107	126	0	512
19	सठियांव	357	187	87	2	633
20	तहबरपुर	1065	426	195	1	1687
21	तरवां	656	574	644	46	1920
22	ठेकमा	1129	771	561	0	2461
	कुल	**14016**	**8146**	**7024**	**103**	**29289**

नत्थी 'च'

(अता0 प्रश्न संख्या-179 का उत्तर पीछे पृष्ठ 111 पर)

विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत मार्च, 2017 से 18-11-2019 तक स्वीकृत आवासों की सूची

क्र0-सं0	विधान सभा क्षेत्र	नाम लाभार्थी	वल्दियत	ग्राम	जाति
1	2	3	4	5	6
1	मांट	राजवीर सिंह	पतिराम	नीमगांव	सामान्य
2	मांट	राजकुमारी देवी	महावीर	नीमगांव	सामान्य
3	मांट	बनी सिंह	चरन सिंह	नीमगांव	सामान्य
4	मांट	मांगे	कालीचरन	अर्रुआ	सामान्य
5	मांट	राधा/ओम प्रकाश	गोपाल	पानीगांव	सामान्य
6	मांट	वैजन्ती	बृज मोहन/गोपाल	पानीगांव	सामान्य
7	मांट	तीर्थराज	गेंदा	जयरा	सामान्य
8	मांट	शकुन्तला कौर	सतवन्त	गॉटमूला	सामान्य
9	मांट	जसवन्त उर्फ बसंत	श्याम सिंह	मॉटमूला	सामान्य
10	मांट	हाकिम सिंह	अर्जुन सिंह	लक्ष्मीनगर	सामान्य
11	मांट	चन्द्रपाल	ओम प्रकाश	जावरा	सामान्य
12	मांट	सुन्दरी	राम प्रकाश	गजू	सामान्य
13	मांट	ममता	शिशपाल सिंह	गजू	सामान्य
14	मांट	कमलेश	महेश चन्द्र	गजू	सामान्य
15	मांट	भजन लाल	रामहेत	गजू	सामान्य
16	मांट	सरिता	चन्द्रशेखर	गजू	सामान्य
17	मांट	मंजूदेवी	गिर्राज सिंह	गजू	सामान्य
18	मांट	सोनदेवी	नेकराम	गजू	सामान्य
19	मांट	सुधा	एस0 कुमार	अस्तौली	सामान्य
20	मांट	सतेन्द्र	सुरेश	अस्तौली	सामान्य
21	मांट	बृजमोहन	द्वारिका	अस्तौली	सामान्य
22	मांट	बृजलाल	टीकम	अस्तौली	सामान्य
23	मांट	उमेश	कम्मू	अस्तौली	सामान्य
24	मांट	विजय सिंह	किरोरी	अस्तौली	सामान्य

1	2	3	4	5	6
25	मांट	मनोहर	किशोरी	अस्तौली	सामान्य
26	मांट	ईश्वरी	रमन	सेनवा	सामान्य
27	मांट	लता	अमरत	सेनवा	सामान्य
28	मांट	नवल	दाताराम	अस्तौली	सामान्य
29	मांट	कृपालनाथ	नत्थूलाल	सुरीर विजऊ	सामान्य
30	मांट	शीशुपाल	करन सिंह	सुरीर विजऊ	सामान्य
31	मांट	श्री गिर्राज उर्फ निर्राज	श्री गुलाब	बहादीन	सामान्य
32	मांट	श्रीमती कैलाश	श्री विजेन्द्र	मांट राजा	सामान्य
33	मांट	श्री देशराज	श्री देवीराम	सिकन्दरपुर	सामान्य
34	मांट	श्रीमती संजू देवी	श्री मोहन सिंह	पानीगांव	सामान्य
35	मांट	श्रीमती चिरौजा	श्री शंकर	पानीगांव	सामान्य
36	मांट	श्री मानसिंह	श्री भूदेव	पानीगांव	सामान्य
37	मांट	श्रीमती निर्मला उर्फ उर्मिला	श्री राजेन्द्र	बहादीन	सामान्य
38	मांट	श्रीमती बबीता	श्री राधेश्याम	अकबरपुर	सामान्य
39	मांट	बसन्तलाल	रतिराम	आथरा खेड़ा	सामान्य
40	मांट	दिनेशचन्द्र	बाबूलाल	बिन्दुवुलाकी	सामान्य
41	मांट	किशनलाल	हर प्रसाद	बहादीन	सामान्य
42	मांट	प्रेमलता	डोरी लाल	नीमगांव	सामान्य
43	मांट	मंजूदेवी	भवर सिंह	नीमगांव	सामान्य
44	मांट	श्रीमती कान्ता	श्री वृजो	मांट राजा	सामान्य
45	मांट	श्रीमती राजकुमारी	श्री राजन सिंह	अयेरा	सामान्य
46	मांट	श्रीमती सरोजदेवी	श्री मोहन सिंह	विशावली	सामान्य
47	मांट	कान्ता देवी	पूरन सिंह	अयेरा	सामान्य
48	मांट	श्री किशन	श्री बीघा	धीमरी	सामान्य
49	मांट	श्री पपीता	श्री परसादी	धीमरी	सामान्य
50	मांट	श्रीमती रेखा	श्री रोहताश	बसई शेरगढ़	सामान्य
51	मांट	श्री इन्द्रजीत	श्री अमर सिंह	बसई शेरगढ़	सामान्य
52	मांट	श्रीमती सुनीता	श्री देवराज	बसई शेरगढ़	सामान्य
53	मांट	श्रीमती मेमवती	श्री शेरसिंह	बसई शेरगढ़	सामान्य

1	2	3	4	5	6
54	मांट	श्रीमती ममता	श्री रामहंस	बसई शेरगढ़	सामान्य
55	मांट	श्रीमती राजो उर्फ राजवती	श्री राजेश	बसई शेरगढ़	सामान्य
56	मांट	श्रीमती केला	श्री महतो	बसई शेरगढ़	सामान्य
57					
58	मांट	श्रीमती भोली	श्री बोना	बसई शेरगढ़	सामान्य
59	मांट	श्री नेता	श्री सरूप सिंह	बसई शेरगढ़	सामान्य
60	मांट	श्री महावीर	श्री हरिया	बसई शेरगढ़	सामान्य
61	मांट	श्री हीरा सिंह	श्री डलजीत	बसई शेरगढ़	सामान्य
62	मांट	श्रीमती कुसुम	श्री महावीर	जटवारी	सामान्य
63	मांट	श्री परमाली	श्री पटल	जटवारी	सामान्य
64	मांट	श्री शैलेन्द्र	श्री भिकानाथ	ओवा	सामान्य
65	मांट	श्रीमती हीना	श्री विक्रम	ओवा	सामान्य
66	मांट	श्री दीनदयाल	श्री बालमुकुन्द	ओवा	सामान्य
67	मांट	श्रीमती नथिया	श्री भजनी	सैनवा	सामान्य
68	मांट	श्री वासमती	श्री लच्छो	सैनवा	सामान्य
69	मांट	श्रीमती पूनम	श्री भगवानदीन	सैनवा	सामान्य
70	मांट	श्रीमती कुसुमा देवी	श्री मनत	सैनवा	सामान्य
71	मांट	श्रीमती सिकन्दरी	श्री जमुना प्रसाद	सैनवा	सामान्य
72	मांट	श्रीमती देविदा	श्री मनोहर	सैनवा	सामान्य
73	मांट	श्रीमती मीना	श्री किशनलाल	सैनवा	सामान्य
74	मांट	श्रीमती बिमलेश	श्री इन्द्र	सैनवा	सामान्य
75	मांट	श्रीमती सुखदेई	श्री कुंवरपाल	सैनवा	सामान्य
76	मांट	श्रीमती बुद्धी	श्री ग्यासी	सैनवा	सामान्य
77	मांट	श्रीमती नर्मदा	श्री डालचन्द्र	सैनवा	सामान्य
78	मांट	श्रीमती सत्तो	श्री बंशी	सैनवा	सामान्य
79	मांट	श्रीमती निर्मला	श्री हरीराम	अस्तौली	सामान्य
80	मांट	धर्मवती	धानसिंह	अस्तौली	सामान्य
81	मांट	चन्द्रवती	धर्मवीर	अस्तौली	सामान्य
82	मांट	चन्द्रवती	नत्थो	अस्तौली	सामान्य

1	2	3	4	5	6
83	मांट	मुन्नी	जगदीश	अस्तौली	सामान्य
84	मांट	हेमवती	केशरी	अस्तौली	सामान्य
85	मांट	राजू	रहमत	अस्तौली	सामान्य
86	मांट	विमलेश	महीपाल	अस्तौली	सामान्य
87	मांट	प्रभूदयाल	बदले	अस्तौली	सामान्य
88	मांट	ओमी	करन सिंह	अस्तौली	सामान्य
89	मांट	स्वराज	मोहन सिंह	अस्तौली	सामान्य
90	मांट	ओम प्रकाश	रामसिंह	अस्तौली	सामान्य
91	मांट	पप्पोदेवी	नेमसिंह	अस्तौली	सामान्य
92	मांट	देवेन्द्री	सुनील कुमार	अस्तौली	सामान्य
93	मांट	इन्द्रिरा	धनश्याम	अस्तौली	सामान्य
94	मांट	रामवती	शिवराम	अस्तौली	सामान्य
95	मांट	मुन्दरी	लज्जो	अस्तौली	सामान्य
96	मांट	लक्ष्मीदेवी	भूदेव	अस्तौली	सामान्य
97	मांट	ब्रह्मवती	राजेन्द्र सिंह	अस्तौली	सामान्य
98	मांट	अनीता	दिनेश	अस्तौली	सामान्य
99	मांट	मोहनश्याम	पूरन	अस्तौली	सामान्य
100	मांट	मन्जू	ओमी	अस्तौली	सामान्य
101	मांट	गायत्री	चन्द्रप्रकाश	अस्तौली	सामान्य
102	मांट	ओमवती	परमानन्द	अस्तौली	सामान्य
103	मांट	आजादी	उद्दी	अस्तौली	सामान्य
104	मांट	सुनीता	कन्हैया	अस्तौली	सामान्य
105	मांट	नत्थी	सोहनलाल	अस्तौली	सामान्य
106	मांट	सन्तोष	बाबूलाल	अस्तौली	सामान्य
107	मांट	पुष्पा	करतार	अस्तौली	सामान्य
108	मांट	मंझा	मथुरा सिंह	अस्तौली	सामान्य
109	मांट	परमोली	हरवीर	अस्तौली	सामान्य
110	मांट	श्यामो	रामजीलाल	अस्तौली	सामान्य
111	मांट	कुसुम	रामजीत	अस्तौली	सामान्य
112	मांट	प्रेमवती	अर्जुन सिंह	अस्तौली	सामान्य

1	2	3	4	5	6
113	मांट	पिंकी	सन्तराम	अस्तौली	सामान्य
114	मांट	पिंकी	ज्ञानसिंह	अस्तौली	सामान्य
115	मांट	रज्जोदेवी	बल्ली	खायराकोठी	सामान्य
116	मांट	श्रीमती सुनीता	श्री होशियार	अस्तौली	सामान्य
117	मांट	श्रीमती सीमा देवी	श्री देवेन्द्र कुमार	मुईउद्दीनपुर	सामान्य
118	मांट	श्रीमती सुरजो उर्फ सूरजमुखी	श्री गिर्राज	भालई	सामान्य
119	मांट	श्रीमती मेम	श्री वीरू	सुरीरविजऊ	सामान्य
120	मांट	श्रीमती हेमलता	श्री रामनिवास	सुरीरविजऊ	सामान्य
121	मांट	हरदेवी	कल्लन	सुरीरविजऊ	सामान्य
122	मांट	श्रीमती ज्योति	श्री भागीरथ	नीमगांव	सामान्य
123	मांट	श्रीमती रानी फूलवती	श्री राजा	मोंट राजा	सामान्य
124	मांट	श्रीमती राजकुमारी	श्री कमल सिंह	मोंट राजा	सामान्य
125	मांट	श्रीमती विद्या	श्री ओंकार सिंह	जावरा	सामान्य
126	मांट	श्रीमती ज्योति	श्री सतीश	जावरा	सामान्य
127	मांट	श्रीमती विलकेश	श्री शमशेर	जावरा	अल्पसंख्यक
128	मांट	श्री नवाध	श्री महताब	नॉटमूला	अल्पसंख्यक
129	मांट	लालसिंह	खरगा	बहादीन	सामान्य
130	मांट	रामनिवास	लालाराम	बहादीन	सामान्य
131	मांट	मानसिंह	प्रहलाद	ईरौलीगूजर	सामान्य
132	मांट	पार्वती	शंकर	पानीगांव	सामान्य
133	मांट	सन्तोषी	बलवन्त सिंह	बहादीन	सामान्य
134	मांट	श्रीमती हीरा देवी	श्री महावीर	अयेरा	सामान्य
135	मांट	श्रीमती सुमन देवी	श्री रसाल सिंह	गजू	सामान्य
136	मांट	मीरादेवी	श्री पूरनचन्द्र	अधेरा	सामान्य
137	मांट	श्री रफीक	श्री शकूर	जधावली	अल्पसंख्यक
138	मांट	श्रीमती परवीन	श्री अब्दुल	जलालपुर	अल्पसंख्यक
139	मांट	श्रीमती रसूली	श्री नवाब	जंधावली	अल्पसंख्यक
140	मांट	श्री अतर खां	श्री सुफेद	जंघावली	अल्पसंख्यक
141	मांट	श्रीमती सरवरी	श्री अनस्तर	जंधावली	अल्पसंख्यक

1	2	3	4	5	6
142	मांट	श्री जमसैद	श्री ईशाक	जंधावली	अल्पसंख्यक
143	मांट	श्री गनी	श्री टुण्डा	जंधावली	अल्पसंख्यक
144	मांट	श्री आजाद	श्री कमल	उझानी	सामान्य
145	मांट	श्री रतन सिंह	श्री मोती	उझानी	सामान्य
146	मांट	श्री रोहताश	श्री मिठुआ	उझानी	सामान्य
147	मांट	श्रीमती योगेश	श्री संजय	बसई शेरगढ़	सामान्य
148	मांट	श्रीमती कृपा	श्री राजवीर	बसई शेरगढ़	सामान्य
149	मांट	श्रीमती राजवती	श्री राजू	बसई शेरगढ़	सामान्य
150	मांट	श्रीमती रामा	श्री मुंशी	बसई शेरगढ़	सामान्य
151	मांट	श्रीमती माया	श्री नारायन	बसई शेरगढ़	सामान्य
152	मांट	श्रीमती जगवती	श्री गोपाल	बसई शेरगढ़	सामान्य
153	मांट	श्रीमती कश्मीरा	श्री अमरपाल	अस्तौली	सामान्य
154	मांट	श्री दीपा	श्री चेता	अस्तौली	सामान्य
155	मांट	श्रीमती वेदवती	श्री किशोर	अस्तौली	सामान्य
156	मांट	श्रीमती सावित्री	श्री अन्नो	अस्तौली	सामान्य
157	मांट	श्रीमती रामलता	श्री ओम प्रकाश	चांदपुर कलां	सामान्य
158	मांट	श्रीमती अनीता	श्री मुरारीलाल	मिटठौली	सामान्य
159	मांट	श्री महावीर	श्री ओम प्रकाश	मिदौनी	सामान्य
160	मांट	श्रीमती रेखा	श्री कुमरपाल	भालई	सामान्य

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
मथुरा।

पी0एस0यू0पी0-एल0 111 विधान सभा (173)-27-08-2021-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।